लोक-सभा
वाद-विवाद

द्वितीय माला

खंड ३३, १९५९/१८८१ (शक)

[१७ से २९ अगस्त १९५९/२६ श्रावण से ७ भाद्र १८८१ (शक)]

2nd Lok Sabha
(Eighth Session)

सत्यमेव जयते

आठवां सत्र, १९५९/१८८१ (शक)

(खण्ड ३३ में अंक ११ से २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,

नई दिल्ली

विषय-सूची

[द्वितीय माला खण्ड ३३—अंक ११ से २०—१७ अगस्त से २८ अगस्त १९५९/२६ श्रावण से ७ भाद्र १८८१ (शक)]

पृष्ठ

अंक ११—सोमवार, १७ अगस्त, १९५९/२६ श्रावण, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या ४९१, से ४९३, ४९६, ४९८, ५०० से ५०२ ५०७, ५०३ से ५०६ और ५०८ से ५१२ — १३८३—१४१३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४९४, ४९५, ४९७, ४९९ और ५१३ से ५३६ — १४१३—२४

अतारांकित प्रश्न संख्या ८९० से ९५६ और ९५८ से १०२५ — १४२४—८८

स्थगन प्रस्ताव के बारे में — १४८८

सभा पटल पर रखा गया पत्र — १४८८

राज्य सभा से सन्देश — १४८८–८९

वर्ष १९५९–६० के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगें — १४९०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

आंध्र प्रदेश में तम्बाकू का भारी मात्रा में जमा होना — १४९०–९१

केरल संबंधी उद्घोषणा के बारे में संकल्प — १४९१—१५२०

दैनिक संक्षेपिका — १५२१—२८

अंक १२—बुधवार, १९ अगस्त, १९५९/२८ श्रावण, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या ५३७ से ५३९, ५४२ से ५४४, ५४६, ५४७, ५५० से ५५७ और ५५९ से ५६३ — १५२९—५४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५४०, ५४१, ५४५, ४४८, ५४९, ५५८, ५६४ से ५८३ — १५५५—६४

अतारांकित प्रश्न संख्या १०२६ से १११७ — १५६४—१६०१

स्थगन प्रस्तावों के बारे में — १६०१–०२

	पृष्ठ
सभा पटल पर रखा गया पत्र	१६०२
राज्य सभा से सन्देश	१६०३
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति सैंतालीसवां प्रतिवेदन	१६०३
आंध्र प्रदेश तथा मद्रास (सीमाओं में परिवर्तन) विधेयक के बारे में याचिका	१६०३
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना— दिल्ली में बम विस्फोट	१६०३—०४
सभा का कार्य	१६०४
केरल संबंधी उद्घोषणा के बारे में संकल्प	१६०४—४६
दैनिक संक्षेपिका	१६४७—५३

अंक १३—गुरुवार, २० अगस्त, १९५९/२९ श्रावण, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न* संख्या ५८४, ५८६ से ५८८, ५९० से ५९४, ५९६, ६०८, ५९५ और ५९७ से ६००	१६५५—७८
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५८५, ५८९, ६०१ से ६०७ और ६०९ से ६३१ . . .	१६७८—९२
अतारांकित प्रश्न संख्या १११८ से ११९७	१६९२—१७२९
सभा का कार्य	१७२९
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१७३०
राज्य सभा से सन्देश	१७३१
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति— पन्द्रहवां प्रतिवेदन . . .	१७३१
पांडिचेरी की स्थिति के संबंध में दिये गये वक्तव्य की शुद्धि	१७३१—३२
केरल संबंधी उद्घोषणा के बारे में प्रस्ताव	१७३२—५७
तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग विधेयक—	
विचार करने के लिये प्रस्ताव	१७५८—६८
खंड २ से ३२ और १ . . .	१७६८
पारित करने के लिये प्रस्ताव	१७६८

पृष्ठ

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और बैंक (संशोधन) विधेयक--

विचार करने के लिये प्रस्ताव . . १७६६

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक (संशोधन) विधेयक पुरस्थापित . १७७०

कार्य मंत्रणा समिति--

इकतालीसवां प्रतिवेदन . . १७७१

दैनिक संक्षेपिका . . १७७२--७८

अंक १४--शुक्रवार, २१ अगस्त, १९५९/३० श्रावण, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न* संख्या ६३२ से ६४३, ६४५, ६४६, ६४९ से ६५३ १७७९--१८०४

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ६४४, ६४७, ६४८, ६५४, ६७६ और ११० . १८०४--१६

अतारांकित प्रश्न संख्या ११९८ से १२८५ . . . १८१६--५१

स्थगन प्रस्तावों के बारे में--

कलकत्ते के ऊपर भारतीय वायु क्षेत्र का कथित उल्लंघन १८५२--५३

सभा पटल पर रखे गये पत्र . १८५३

राज्य सभा से सन्देश . . . १८५४

सभा का कार्य १८५४

कार्य मंत्रणा समिति--

इकतालीसवां प्रतिवेदन . १८५४

खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि के बारे में चर्चा . . . १८५४--६७

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति--

सैंतालीसवां प्रतिवेदन . . १८६७

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प . . . १८६८--८६

तिब्बत के मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ को सौंपने के बारे में संकल्प . १८८७--८९

दैनिक संक्षेपिका १८९०--९६

अंक १५--शनिवार, २२ अगस्त, १९५९/३१ श्रावण, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न* संख्या ६७७, ६८०, ६८१, ६८२, ६८३, ६८५, ६८६, ६८८, ६८९, ६९१, ६९५, ६९६, ६९९, ७००, ७०२ और ७०४ १८९७--१९२२

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ६७८, ६७९, ६८४, ६८७, ६९० ६९२, से ६९४, ६९७, ६९८, ७०१, ७०३ और ७०५ से ७०८ १९२२--२७

	पृष्ठ
अतारांकित प्रश्न संख्या १२८६ से १३७६	१९२८—६७
सैयद फ़जल अली का निधन	१९६७—६८
भाखड़ा में हॉयस्ट चैम्बर में दुर्घटना के बारे में वक्तव्य .	१९६८—६९
हाफिज मुहम्मद इब्राहीम .	१९६८—६९
स्थगन प्रस्ताव—	
भाखड़ा में हॉयस्ट चैम्बर में दुर्घटना	१९ ९—७०
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१९७०—७१
सभा का कार्य . . .	१९७१
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और बैंक (संशोधन) विधेयक	१९७२—८३
विचार करने के लिये प्रस्ताव	१९७२
खण्ड २ से ५ और १	१९८३
पारित करने का प्रस्ताव	१९८३
खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि के बारे में चर्चा . .	१९८३—२०११
जमाये हुये तेलों के बारे में आधे घंटे की चर्चा . .	२०११—१७
दैनिक संक्षेपिका	२०१८—२४
अंक १६—सोमवार, २४ अगस्त, १९५९/२ भाद्र, १८८१ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न* संख्या ७१०, ७११, ७१३ से ७१५, ७१८ से ७२३ और ७२५ से ७२९	२०२५—५१
अल्प सूचना प्रश्न संख्या २	२०५१—५२
प्रश्नो के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७०९, ७१२, ७१६, ७१७, ७२४, ७३० से ७६९	२०५३—७१
अतारांकित प्रश्न संख्या १३७७ और १३७९ से १४५६ . .	२०७१—२१०३
स्थगन प्रस्ताव—	
१. दिल्ली के अध्यापकों द्वारा भूख हड़ताल	२१०३—०५
२. तिब्बत में भारतीय .	२१०५—०८
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	२१०८—०९
राज्य सभा से सन्देश . . .	२१०९
भाखड़ा के हॉयस्ट चेम्बर में दुर्घटना के बारे में वक्तव्य	२१०९—१२

पृष्ठ

वर्ष १९५६-५७ के लिये अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (हिमाचल प्रदेश) के बारे में विवरण . . . २११२

वर्ष १९५६-५७ के लिये अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (दिल्ली) के बारे में विवरण . . . २११२

वर्ष १९५९-६० के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगों (केरल) के बारे में विवरण . . . २११२

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

केरल के पश्चिमी समुद्र तट के निकट चीनी पनडुब्बियों की कथित उपस्थिति . २११२-१३

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—

पन्द्रहवां प्रतिवेदन . . २११३-१४

सभा का कार्य २११४

केरल स्थानीय प्राधिकार विधियां (संशोधन) विधेयक पुरस्थापित २११५

वर्ष १९५६-५७ के लिये अतिरिक्त अनुदानों की मांगें . . २११५—२०

वेतन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में वक्तव्य . २१२०-२१

वर्ष १९५९-६० के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांग २१२१—४२

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक (संशोधन) विधेयक २१४३—४८

विचार करने के लिये प्रस्ताव २१४३

दैनिक संक्षेपिका २१४९—५६

अंक १७—मंगलवार, २५ अगस्त, १९५९/३ भाद्र, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या ७७० से ७७८, ७९२, ७७९, ७८१, ७८२, ७८४, ७८५, ७८७, ७८९, ७९१, ७९३ से ७९६ और ७९८ . २१५७—८३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७८०, ७८३, ७८६, ७८८, ७९०, ७९७ और ७९९ से ८१० २१८४—९१

अतारांकित प्रश्न संख्या १४५७ से १५६५ और १५६७ २१९१—२२४३

अतारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि २२४३

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

अड़तालीसवां प्रतिवेदन २२४४

याचिकाओं का उपस्थापन—

(१) रेलवे कार्मिकों पर दुर्घटनायें २२४४

(२) भारतीय शस्त्र नियम में संशोधन २२४४

पृष्ठ

तारांकित प्रश्न संख्या ४९६ के उत्तर की शुद्धि २२४४

विधेयक पुरस्थापित—

(१) विनियोग (संख्या ४) विधेयक, १९५९ २२४५

(२) विनियोग (संख्या ५) विधेयक, १९५९ २२४५

(३) विनियोग (संख्या ६) विधेयक, १९५९ २२४५—४६

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक (संशोधन) विधेयक. २२४६—५०

विचार करने के लिये प्रस्ताव . २२४६

खंड १ और २ . . . २२४८

पारित करने के लिये प्रस्ताव . . २२४९

केरल स्थानीय प्राधिकार विधियां (संशोधन) विधेयक २२५०—५६

विचार करने के लिये प्रस्ताव . २२५०

खंड २ से ७ और १ २२५६

पारित करने के लिये प्रस्ताव . २२५६

पशु निर्दयता निवारण विधेयक २२५६—७१

सहमति के लिये प्रस्ताव २२५६

संस्कृत आयोग के लिये प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव २२७१—२३००

आन्ध्र प्रदेश और मद्रास (सीमाओं में परिवर्तन) विधेयक के बारे में याचिका २३००

दैनिक संक्षेपिका २३०१—०७

अंक १८—गुरुवार, २७ अगस्त, १९५९/५ भाद्र, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या ८११ से ८२०, ८२८, ८२१ से ८२४, ८२७, ८३०, ८३१, ८३३, ८३७, ८४३, ८४० और ८४१ २३०९—३४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ २३३४—३६

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या ८२५, ८२६, ८२९, ८३२, ८३४ से ८३६, ८३८, ८३९, ८४२, ८४४ से ८६५ २३३६—५०

अतारांकित प्रश्न संख्या १५६८ से १६१८ और १६२० से १६७१. २३५०—८८

सभा पटल पर रखे गये पत्र २३८८

भारतीय शस्त्र नियमों के बारे में याचिका २३८९

विधेयक—पुरस्थापित—

(१) सरकारी बचत बैंक (संशोधन) विधेयक २३८९

(२) सरकारी बचत प्रमाण-पत्र विधेयक २३८९

(३) लोक ऋण (संशोधन) विधेयक २३८९—९०

पृष्ठ

विधेयक—पारित—

(१) विनियोग (संख्या ४) विधेयक, १९५९ २३९०

(२) विनियोग (संख्या ५) विधेयक, १९५९ २३९०—९१

(३) विनियोग (संख्या ६) विधेयक, १९५९ २३९१

पशु निर्दयता निवारण विधेयक—

सहमति के लिये प्रस्ताव २३९२—२४०७

अनुपूरक अनुदानों की मागें (केरल) २४०७—१३

विधि आयोग के चौदहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव २४१३—२९

सदस्यों की गिरफ्तारी तथा रिहाई २४२४

दैनिक संक्षेपिका २४३०—३७

अंक १९—शुक्रवार, २८ अगस्त, १९५९/६ भाद्र, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या ८६६ से ८७०, ८७२ से ८७४, ८७६ से ८७८, ८८०, ८८२, ८८३, ८८६ से ८८९, ८९१ और ८९२ २४३९—६४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ से ७ २४६४—७४

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या ८७१, ८७५, ८७९, ८८१, ८८४, ८८५, ८९० और ८९३ से ९१३ २४७४—८६

अतारांकित प्रश्न संख्या १६७२ से १७३३ २४८६—२५११

स्थगन प्रस्ताव—

भारत की उत्तरी सीमा पर स्थिति १५११—१८

सभा पटल पर रखे गये पत्र २५१८

अल्प सूचना प्रश्न के उत्तर की शुद्धि २५१८

राज्य सभा मे सन्देश २५१९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

वेतन आयोग की कथित सिफारिशें २५१९–२०

सरकार द्वारा उधार लिये जाने के संबंध में सरकार की नीति के बारे में प्रस्ताव २५२०—२५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

अड़तालीसवां प्रतिवेदन २५२६

विधेयक—पुरस्थापित—

(१) श्री झूलन सिंह का परिवहन समन्वय विधेयक १९५९ २५२६

(२) श्री राम कृष्ण गुप्त का औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, १९५९ (धारा ३ का संशोधन) २५२६

	पृष्ठ
(३) श्री अर्जुन सिंह भदौरिया का सहकारी समितियां (संघ राज्य-क्षेत्रों के लिये) विधेयक, १९५९	२५२७
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, १९५७ (धारा १०७, १०९ और ११० का लोप और धारा १६१ का संशोधन)	२५२७--३५
विचार करने के लिये प्रस्ताव--अस्वीकृत ।	
राज्य पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक १९५८ (धारा ५१ का संशोधन)	२५३५--४५
विचार करने के लिये प्रस्ताव--अस्वीकृत ।	
मिर्जापुर पाषाण महल (संशोधन) विधेयक, १९५८ (धारा ३ का संशोधन)—	
विचार करने के लिये प्रस्ताव	२५४६
कार्य मंत्रणा समिति—	
बयालीसवां प्रतिवेदन	२५४६
दैनिक संक्षेपिका	२५४७--५३
अंक २०—शनिवार, २९ अगस्त, १९५९/७ भाद्र, १८८१ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न* संख्या ९१४ से ९२८, ९३०, ९३५ और ९३६	२५५५--७९
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९२९, ९३१ से ९३४ और ९३७ से ९६०	२५७९—९०
अतारांकित प्रश्न संख्या १७३४ से १८०८	२५९०--२६१८
स्थगन प्रस्तावों के बारे में	२६१९—२२
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२६२१–२२
सभा का कार्य	२६२२—२५
कार्य मंत्रणा समिति—	
ब्यालीसवां प्रतिवेदन	२६२५–२६
कुछ सदस्यों का सभा से बाहर जाना	२६२६–२७
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (केरल)	२६२६—३७
सरकार द्वारा उधार लिये जाने के सम्बन्ध में सरकार की नीति के बारे में प्रस्ताव	२६३८—४६
राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	२६४७--६१
दैनिक संक्षेपिका	२६६२—६७

नोट:—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा

बुधवार, १९ अगस्त, १९५९

२८ श्रावण, १८८१ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक सेवायें

†*५३७. { **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रशासनिक सेवाओं की तुलना में इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक सेवाओं के वेतन क्रमों की स्थिति कैसी है; और

(ख) संघ लोक सेवा आयोग ने अपने आठवें प्रतिवेदन (पृष्ठ ८) पर जो टिप्पणियां की हैं उन्हें देखते हुए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) :** (क) और (ख) वेतन आयोग के प्रतिवेदन को सामने रख कर सारे मामले पर विचार किया जायेगा ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या संघ लोक सेवा आयोग की राय और उस पर सरकार की प्रतिक्रिया के बारे में वेतन आयोग को सूचित कर दिया गया है ?

†**श्री दातार :** सरकारी स्तर पर उन पर विचार किया गया है। मालूम नहीं कि औपचारिक रूप में वेतन आयोग को सूचित किया गया है या नहीं। मैं पता लगाऊंगा ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या यह सच है कि उच्च शिक्षा प्राप्त इंजीनियरों को जिनमें से कुछ एक के पास मास्टर्स डिग्री भी होती है १७५ रुपये पर जूनियर इंजीनियर के तौर पर

†मूल अंग्रेजी में

काम करना पड़ता है और उन्होंने इसके खिलाफ सरकार को एक अभ्यावेदन भेजा है और यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या मत है ?

†**श्री दातार :** मेरे ख्याल से स्थिति इतनी खराब नहीं है फिर भी हमें अभ्यावेदन मिलते रहते हैं। वैसे वेतन मुनासिब हैं और उनमें काफी हद तक समानता है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** जूनियर इंजीनियरों के अभ्यावेदन के बारे में उत्तर नहीं दिया गया है। माननीय मंत्री ने स्थिति संतोषजनक बताई है। क्या यह सच है कि अखिल भारतीय आधार पर जिन इंजीनियरों की नियुक्तियां की जाती हैं उनका वेतन ६००—१५०० रुपये होता है जबकि भारतीय प्रशासन सेवा पदाधिकारियों का वेतन ८००—१८०० रुपये होता हैं। यदि हां, तो इसका क्या कारण है?

†**श्री दातार :** इससे उच्च कई पदों के वेतन अधिक भी होते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** विभिन्न सेवाओं के स्तर को समान बनाने के विषय पर प्रश्नकाल में चर्चा नहीं की जा सकती ।

†**श्री दातार :** गत सत्र में संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा के दौरान में भी मैं इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूँ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी :** टैक्नीकल सेवा के कितने पदाधिकारी विकल्प दे कर प्रशासन सेवा में जाने की इच्छा प्रकट कर चुके हैं ?

†**श्री दातार :** उनकी संख्या बहुत कम है। १९५६ में केवल तीन इंजीनियर भारत प्रशासन सेवा में लिये गये। १९५७–५८ में कोई भी नहीं और विशेष भर्ती में १०२ में से केवल आठ थे जो कि अधिक नहीं है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या वेतन आयोग टैक्नीकल और प्रशासन सेवाओं को एक स्तर पर लाने में अतिरिक्त इस बारे में भी विचार करेगा कि देश में टैक्नीकल कर्मचारियों को प्रारम्भ में कितना वेतन दिया जाता है ?

†**श्री दातार :** वेतन आयोग सब संगत विषयों पर विचार करके अपनी सिफारिशें भेजेगा ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या यह सच है कि इंजीनियरों और टैक्नीकल कर्मचारियों को कोई प्रशासकीय प्रशिक्षण न दे कर उनके ऊपर प्रशासकीय पदाधिकारी नियुक्त कर दिये जाते हैं जिनके अधीन उन्हें काम करना पड़ता हैं ; यदि हां, तो क्या इस हालत को सुधारने के लिये सरकार इंजीनियरों को प्रशासनीय प्रशिक्षण देने के विषय पर विचार करेगी?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दातार** : मुझे ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है। इन पदाधिकारियों को कार्य आरम्भ करने से पूर्व प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है और तब उन्हें प्रभारी नियुक्त कर दिया जाता है।

इस्पात कारखानों में पुर्जों तथा सामान का मानकीकरण

†*५३८. **श्री स० च० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तीन सरकारी इस्पात कारखानों के फालतू पुर्जों और सामान के मानकीकरण के लिये कोई प्रयत्न किये जा रहे हैं; और

(ख) यदि प्रारम्भ में इसकी ओर अधिक ध्यान नहीं दिया जा सका है तो क्या तृतीय पंच वर्षीय योजना में जब इनकी उत्पादन क्षमता बढ़ाई जायेगी तब इस पर उचित रूप से विचार किया जायेगा ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा)** : (क) और (ख). डिजाइनों में अन्तर होने के कारण अलग पुर्जे एक ही प्रकार के नहीं हो सकते। इस्पात बनाने और बेलने के तरीकों में भी अन्तर है। फिर भी जहां कहीं इस्पात कारखानों के विभिन्न विभागों के उपकरण एक से हैं वहां फालतू पुर्जों और सामान का मानकीकरण करने का यथासम्भव प्रयत्न किया जा रहा है। हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड एक केन्द्रीय नमूना संगठन स्थापित कर रहा है जो अन्य कामों के इलावा जहां कहीं सम्भव है अलग पुर्जों के मानकीकरण के बारे में विचार करेगा।

†**श्री स० च० सामन्त** : क्या इन मामलों की जांच करने के लिये कोई पुर्जे विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई है?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : जिस समय कारखाने लगाये जा रहे थे उस समय पुर्जों का मानकीकरण सम्भव नहीं था। उत्पादन आरम्भ होने पर ऐसा करना सम्भव होगा। उत्पादन आरम्भ हो गया है परन्तु अभी कोई विशेष समिति नहीं बनाई गई है।

†**श्री स० च० सामन्त** : क्या कोई गैर सरकारी समवाय यह कार्य करने के लिये तैयार हुये हैं ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : इसका तो प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री वें० प० नायर** : क्या इन इस्पात कारखानों में प्रति वर्ष प्रयोग होने वाले पुर्जों का कोई अनुमान तैयार किया गया है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : जी हां, अनुमान लगाया गया है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : दुर्गापुर इस्पात कारखाने जहां अंग्रेजी मापों से काम होता है और रूरकेला और भिलाई के कारखानों में, जहां मीटर प्रणाली का प्रयोग होता है, पुर्जों को एकसा बनाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है। क्या नमूना संगठन यह कार्य करेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : केन्द्रीय नमूना संगठन को जिन मामलों पर विचार करना है उनमें से एक यह भी है ।

दिल्ली के स्कूल

†***५३५. श्री राधा रमण** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही के वर्षों में दिल्ली के स्कूल का शिक्षण स्तर **काफी** गिर गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) दिल्ली के स्कूलों में शिक्षण स्तर को ऊंचा उठाने के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). स्कूलों के विस्तार और योग्य अध्यापकों की कमी के कारण दिल्ली के कुछ स्कूलों का शिक्षण स्तर हाल ही के वर्षों में गिर गया है ।

(ग) नये खोले गये स्कूलों में योग्य तथा प्रशिक्षित अध्यापक नियक्त करने की सुविधायें दी जा रही हैं ।

†**श्री राधा रमण** : क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि क्या दिल्ली के स्कूलों में अर्हताप्राप्त अध्यापकों की कमी के कारण ही शिक्षण का स्तर गिरा है या कि इसके कुछ और कारण हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : अन्य कारण भी हो सकते हैं परन्तु मूल कारण यही था ।

†**श्री राधा रमण** क्या दिल्ली में अध्यापकों की ओर से कोई आन्दोलन चल रहा था कि वे अर्हताप्राप्त हैं परन्तु उन्हें निगम के स्कूलों में भेज देने अथवा दिल्ली प्रशासन में न रखने से उन्हें प्राथमिकता नहीं दी जा रही है ? उनके बारे में कोई निर्णय नहीं किया जा रहा है और न ही इस बात की ओर अधिक ध्यान दिया गया है ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : सरकार यह प्रयत्न कर रही है कि शिक्षण संस्थाओं में उच्च अर्हताप्राप्त कर्मचारी नियुक्त किये जायें ताकि शिक्षा का स्तर ऊंचा उठे और जहां कहीं ऐसे कर्मचारी उपलब्ध होंगे सरकार उन्हें भर्ती कर लेगी ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या सारे देश में शिक्षा का स्तर गिर रहा है और क्या अखिल भारतीय स्तर पर इसका उपचार करने के लिये कोई कार्यवाही की जा सकती है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जी हां, यह केवल दिल्ली तक ही सीमित नहीं है । देश भर में शिक्षा का स्तर गिर गया है । केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें हालत को सुधारने के लिए पूरी कोशिश कर रही हैं ।

†**श्री प्र० सिं० दौलता** : क्या यह सच है कि दिल्ली ग्राम्य क्षेत्र की ग्राम्य पंचायत ने यह सिफारिश की है कि स्कूलों में बुनियादी शिक्षा बन्द कर दी जाये क्योंकि इससे शिक्षा का स्तर गिर गया है और यदि परिणाम अच्छे हों तो इसे नगरीय स्कूलों में जारी रखा जाये ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** इस मामले पर कई बार विचार करने के पश्चात् सरकार ने यह निष्कर्ष निकाला है कि बुनियादी शिक्षा काफी लाभप्रद है और इसे नगरीय तथा ग्राम्य सभी स्कूलों में लागू किया जाना चाहिये। वस्तुतः सरकार ने स्कूलों को बुनियादी शिक्षा के ढांचे में परिवर्तित करने का कार्यक्रम हाल ही में आरम्भ किया है।

स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास

+

†*५४२. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० च० सामन्त :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास लिखा तथा प्रकाशित किया जा चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी बिक्री कब शुरू होगी ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्रीहुमायून् कबिर) :** (क) और (ख). पुस्तक का प्रथम खण्ड तैयार करने में काफी प्रगति हुई है और उसका प्रथम भाग तैयार हो गया है और द्वितीय तैयार किया जा रहा है।

†**श्री सुबोध हंसदा :** प्रथम खण्ड प्रकाशित हो गया है या नहीं ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** पहला भाग लिखा जा चुका है और दूसरा भाग लिखे जाने के बाद प्रकाशन का प्रश्न उत्पन्न होगा।

†**श्री स० च० सामन्त :** क्या यह सच है कि यह कार्य बहुत पहले आरम्भ किया गया था और जिस समिति को यह काम सौंपा गया था उसका विघटन हुये भी काफी समय हो गया है ? पुस्तक के प्रकाशन में इतना विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** मेरे ख्याल से अधिक विलम्ब नहीं हुआ है। ऐसे कामों में समय लगता है। सामग्री एकत्र करने में चार वर्ष लगे। उसके पश्चात् जिन्होंने पुस्तक लिखना आरम्भ की उन्होंने महसूस किया कि अभी और सामग्री एकत्र की जानी है। वास्तव में पुस्तक लिखने का कार्य कुछ ही मास पहले आरम्भ हुआ है। आशा है कि प्रथम खण्ड की पाण्डुलिपि इस वर्ष की समाप्ति तक तैयार हो जायेगी और अगले वर्ष के मध्य में छप जायेगी। मैं निश्चित अवधि बताने में असमर्थ हूं।

सेठ गोविन्द दास : क्या इन दो विभागों में हमारे स्वतंत्रता-युद्ध का पूरा इतिहास आ जायेगा और इन दोनों विभागों की पृष्ठ-संख्या करीब करीब कितनी होगी और यह पुस्तक किन किन भाषाओं में प्रकाशित होगी ?

श्री हुमायून् कबिर : माननीय सदस्य ने तीन सवाल पूछे हैं। जहां तक पहले सवाल का ताल्लुक है, यह खाली पहला खण्ड है। यह पूरी किताब तीन खण्डों में प्रकाशित होगी। पहले खण्ड में १७५७ से १८५७ तक के पीरियड की तारीख होगी। फिर माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि इसमें क्या क्या चीजें होंगी। पहले सैक्शन में यहां की सोशल, पोलीटिकल, कल्चरल

†मूल अंग्रेजी में

और इकानौमिक कन्डीशन्ज का हाल होगा । मैकिन्ड मैक्शन में यह लिखा होगा कि अंग्रेजों के आने के बाद क्या असरात पड़े और किस तरह से यहां की पोलीटिकल लाईफ़ शुरू हुई । माननीय सदस्य ने पुस्तक की भाषा के बारे में भी पूछा है । यह किताब पहले अंग्रेजी में शाया की जायेगी और फिर उसको दूसरी हिन्दुस्तानी भाषाओं में शाया करने का इरादा है ।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस पुस्तक के जो लेखक लोग हैं, क्या उन्होंने कभी किसी पालीटिकल मूवमेंट में या फ्रीडम मूवमेंट में पार्ट लिया है या उनको इस बारे में कोई एक्सपीरियंस है ।

श्री हुमायून् कबिर : एक ही लेखक लिख रहे हैं और एक तरह से कहा जा सकता है कि पोलीटिकल मूवमेंट के साथ उनको पूरी हमदर्दी है और उन्होंने कुछ हिस्सा भी लिया था ।

†**श्री विश्वनाथ राय :** क्या **स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास** में भारत का क्रान्ति आन्दोलन का अंशदान भी शामिल होगा ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** इतिहास में वे सब बातें शामिल होंगी जो स्वतंत्रता प्राप्त करने में सहायक सिद्ध हुईं ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** दूसरा भाग तैयार होने से पहले प्रथम भाग को प्रकाशित क्यों नहीं कर दिया जाता ? क्या प्रथम भाग का पुनरीक्षण करने का विचार है ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** प्रथम खण्ड दो भागों में बांटा गया है और जब दोनों भाग लिखे जा चुकेंगे तब उन्हें प्रकाशित किया जायेगा ।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि १९४२ की मूवमेंट में भारतवर्ष की जिन पार्टियों ने आजादी के आन्दोलन का विरोध किया था, उनका भी इतिहास इसमें होगा या नहीं ।

श्री हुमायून् कबिर : आजादी के इतिहास में जो कुछ आना चाहिये और आबजेक्टिव तौर पर हिस्ट्री लिखने से जो जो सामान इसमें रहना चाहिये, वह सब इसमें शामिल किया जायेगा ।

श्री विभूति मिश्र : मंत्री जी ने कहा है कि और भाषाओं में छापने का हमारा इरादा है । मैं यह जानना चाहता हूं कि जब अंग्रेजी जानने वाले तो हिन्दुस्तान में एक या दो परसेंट होंगे और हिन्दुस्तान की फ्रीडम मूवमेंट में किसान मजदूर सब गये तो उनकी जानकारी के लिये सब भाषाओं में इस इतिहास को सरकार क्यों नहीं छापती ।

श्री हुमायून् कबिर : मैंने कहा है कि इरादा है । इरादे का मतलब है इन्टेनशन, डिसिजन । अभी किताब नहीं छपी है । इरादे से ज्यादा तो अंग्रेजी के बारे में भी नहीं है ।

श्री सरजू पांडे : क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया, क्या उनसे लेखकों ने कोई किसी तरह का कन्सलटेशन किया है या नहीं ?

श्री हुमायून् कबिर : जब वह सामान जमा किया गया था, तो इसके लिये एक सैंट्रल बोर्ड आफ एडीटर्ज और हर एक स्टेट में भी एक बोर्ड बनाया गया था । उन्होंने काफी सामान जमा कर लिया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का मुख्यालय

+

†*५४३. **श्री रा० च० माझी :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री सूपकार :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री पहाड़िया :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के मुख्यालय को दिल्ली से रांची ले जाने का कोई विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) और (ख). हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के मुख्यालय को दिली से किसी अन्य स्थान पर ले जाने की संभावना पर विचार किया जा रहा है परन्तु अभी कुछ तय नहीं हुआ ।

†**श्री रा० च० माझी :** निर्णय कब होगा ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : कुछ मास से अधिक समय नहीं लगेगा ।

†**श्री सूपकार** : क्या सरकार इस पर भी विचार कर रही है कि किसी एक इस्पात कारखाने के स्थान पर ही इसे ले जाया जाये या नहीं ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : हर संभावना पर विचार किया जा रहा है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** इस कार्यालय को किसी और स्थान पर ले जाने की क्या आवश्यकता है ? आर्थिक पहलुओं को सामने रखते हुये क्या सरकार यह योजना छोड़ देने के बारे में विचार करेगी ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मूल उद्देश्य यह है कि उनका संचालन कुशलतापूर्वक हो और मुख्यालय उनके निकट भी रहे। पहले पहल मुख्यालय को दिल्ली में रखना ज़रूरी था क्योंकि सरकारी और अर्द्ध सरकारी संस्थाओं से बातचीत चल रही थी परन्तु अब मेरा ख्याल है कि मुख्यालय किसी ऐसे स्थान पर रहे जो सभी इस्पात कारखानों के निकट हो ।

†**श्री जयपाल सिंह** : इस बात को देखते हुये कि इस्पात उद्योग के लिये रांची एक केन्द्रीय स्थान है और वहां बिहार सरकार के कथनानुसार स्थान और जमीन आदि की भी कोई कठिनाई नहीं है क्या अब कोई विशेष कारण उत्पन्न हो गये हैं जो मुख्यालय पहले की गई घोषणा के अनुसार रांची नहीं ले जाया जा रहा है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मामला विचाराधीन है । रांची अच्छा स्थान है और उसकी काफी संभावना है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री पाणिग्रही** : जिन स्थानों के बारे में विचार किया जा रहा है क्या उनमें रूरकेला भी शामिल है ?

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : प्राक्कलन समिति ने सिफारिश की थी कि मुख्यालय किसी ऐसे स्थान पर ले जाया जाय जहां इस्पात कारखाना लगा हुआ है । रूरकेला उनमें से एक है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह ठीक है परन्तु माननीय मंत्री इसका उत्तर दे चुके हैं कि विचार किया जा रहा है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : प्राक्कलन समिति की सिफारिश का क्या परिणाम निकला ।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : एक उपयुक्त स्थान का चुनाव किया जा रहा है और जो स्थान चुना नहीं जाता उसकी उपेक्षा की गई है यह बात सही नहीं होगी ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : प्राक्कलन समिति ने काफी विचार करने के बाद जो यह सिफारिश की थी कि इस्पात कारखाने के स्थान पर ही मुख्यालय होना चाहिये, उसका क्या परिणाम निकला ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मुख्यालय के स्थान का चुनाव हो जाने पर प्राक्कलन समिति की सिफारिश के परिणाम का पता चल जायेगा ।

भारत में विशेष इस्पात और मिश्रित धातुओं का उत्पादन

†*५४४. { **श्री बर्मन** : + **श्री सुबोध हंसदा** । **श्री स० चं० सामन्त** :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारें देश के लोहे और इस्पात के एकीकृत कारखानों में विशेष इस्पात और मिश्रित धातुओं का उत्पादन हो सकता है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार अलग कारखाने लगा कर इनका उत्पादन करना चाहती है ;

(ग) इस समय हमारे देश में स्टेनलैस स्टील और मिश्रित धातुओं का कितना उत्पादन होता है; और

(घ) क्या देश की मांग को पूरा करने के लिये यह पर्याप्त है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा)**: (क) जी नही, सभी ग्रेडों का नहीं ।

(ख) जी हां ।

(ग) देश में स्टेनलैस स्टील नहीं बनता है । देश में अन्य विशेष इस्पात, जिसमें मिश्रित इस्पात, औज़ार और ठप्पे बनाने का इस्पात भी शामिल है, जिसका वार्षिक उत्पादन लगभग २००० से ३००० टन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) जी नहीं ।

†**श्री बर्मन** : प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर के सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूं कि ये कारखाने किन-किन स्थानों पर लगाये जायेंगे ; वे सरकारी क्षेत्र में होंगे या गैर-सरकारी क्षेत्र में और उन पर कितनी लागत आयेगी ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : कारखानों के स्थानों के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता परन्तु एक प्रश्न के उत्तर में यह वक्तव्य दिया जा चुका है कि सरकारी क्षेत्र में एक मिश्रित इस्पात का कारखाना खोला जायेगा ।

†**श्री बासप्पा** : क्या सरकार यह कारखाना भद्रावती इस्पात कारखाने में लगाने के बारे में विचार करेगी क्योंकि इस प्रकार के कारखाने के लिये सस्ती बिजली मिलना ज़रूरी होता है जो शरावती घाटी परियोजना से प्राप्त हो जायेगी ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: कारखाने के स्थान के बारे में निर्णय करते समय उचित मूल्य पर बिजली उपलब्ध होन का पूरा ख्याल रखा जायगा क्योंकि यह आवश्यक है ।

†**श्री दामानी** : प्लेटें आदि बनाने के लिये स्टनलैस स्टील की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है और हमें इसका आयात करना पड़ता है। देश में इसका एक कारखाना लगाने में सरकार के सामने क्या कठिनाइयां हैं ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : कोई विशष कठिनाई नहीं है । हमने एक कारखाना लगाने का निश्चय कर लिया है जिसमें पहले पहल अन्य प्रकार के इस्पात के साथ १०,००० टन स्टनलैस स्टील तैयार होगा ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर के सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या विस्तृत परियोजना प्रतिवदन तैयार करने के लिये मूल्य विवरण मांगे गये हैं और यदि हां, तो क्या कारखाने के लिये चुनाव किया जा चुका है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने का काम एक भारतीय समवाय को सौंपने का निर्णय किया जा चुका है और आशा है कि प्रतिवेदन हमें सात मास में मिल जायेगा ।

†**श्री स० च० सामन्त** : द्वितीय और तृतीय योजना में कितने कारखाने लगाने का विचार है ? क्या कोई योजना बनाई गई है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : द्वितीय योजनाकाल में हम सरकारी क्षेत्र में एक कारखाने का निर्माण आरम्भ कर देंगे परन्तु परियोजना प्रतिवेदन स्वीकृत होने के बाद ३० से ३६ मास लग जायेंगे । अतः उत्पादन द्वितीय योजना में आरम्भ नहीं होगा । आगामी योजना की जानकारी के लिये माननीय सदस्य को प्रतीक्षा करनी होगी ।

†**श्री साधन गुप्त** : कारखाने की स्थापना के लिये स्थानों के बारेमें विचार किया जा रहा है और वे कौन-कौन से हैं ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : परियोजना प्रतिवेदन तैयार होने के बाद सरकार यह तय करेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री वें० प० नायर** : माननीय सभा-सचिव ने बताया कि औज़ार और ठप्पे बनाने का इस्पात २००० टन तैयार होता है। औज़ार और ठप्पे बनाने वाले इस्पात की किन-किन किस्मों का आयात किया जाता है और क्या 'फिनिशिंग इस्पात और 'हाई स्पीड इस्पात का भी उत्पादन होता है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : विभिन्न प्रकार के इस्पात के उत्पादन का ब्यौरा मुझे मालूम नहीं है और प्रश्न के दूसरे के उत्तर में मुझे केवल यह कहना है कि उनका उत्पादन यहां नहीं होता।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : हमारा अनुभव यह रहा है कि यदि इस्पात, संयंत्र की उत्पादन क्षमता का उचित रूप से मूल्यांकन नहीं कर लिया जाता है, तो उसे में बाद में परिवर्तन करने से व्यय बढ़ जाता है। अतः मैं यह जानना चाहूंगी कि क्या हमारे विशेषज्ञों द्वारा उचित रूप से मूल्यांकन करके स्टेनलैस इस्पात और डाई इस्पात संयंत्रों की अन्तिम उत्पादन क्षमता का पता लगा लिया गया है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं प्रथाम भाग के सुझाव को मानने के लिये सहमत नहीं हूं क्योंकि सरकारी क्षेत्र के अपने विद्यअन इस्पात संयंत्रों के बारे में हम पूरी तरह से जानते हैं कि उनकी क्षमता कितनी है और उनकी बढ़ाई गई क्षमता कितनी होगी। इसी प्रकार इस संयंत्र की भी प्रारम्भिक परियोजना रिपोर्ट यह है कि लगभग ४०० टन इस्पात का निर्माण होगा और अन्ततोगत्वा प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता ८०,००० टन हो जायेगी। अतः अतिन्म निर्णय करने से पूर्व हमें प्रत्येक बात पर विचार करना होगा। अपने अनुभव से हमें लाभ पहुंचा है किन्तु मैं यह नहीं मानता कि सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्र की योजना के बारे में हमसे कोई गलती हुई है।

†**श्री बासप्पा** : क्या श्री बी० जी० मेहता की देख-रेख में जो प्राक्कलन समिति बनी थी उसने सिफारिश की है कि इसकी स्थापना भद्रावती में की जानी चाहिये और यदि ऐसा है तो सरकार इस बारे में कब तक निर्णय करेगी ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं समझता हूं कि यह सिफारिश की गई थी किन्तु प्राक्कलन समिति के समक्ष टेक्निकल पहलू नहीं था। इस कारण परियोजना रिपोट के तैयार हो जाने के बाद ही इसके गुणावगुणों के आधार पर अन्तिम निर्णय किया जा सकेगा।

†**श्री शंकरय्या** : भद्रावती स्टील वर्क्स ने एक विदेशी फर्म के सहयोग से स्टेनलेस स्टील बनाने के लिये एक योजना प्रस्तुत की है। उसका क्या हुआ ? क्या ग़ैर-सरकारी क्षेत्र में होने के कारण सरकार उसके लिये मंजूरी नहीं दे रही है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं नहीं समझता कि उस प्रश्न से यह प्रश्न भी उठाया जा सकता है। सरकारी क्षेत्र में संयंत्र स्थापित करने के लिये निर्णय करने के बारे में हमने एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने का काम एक भारतीय परामर्शदाता फर्म को सौंपा है। अतः विदेशी सहकार के बजाय यह निश्चय ही अच्छा प्रबन्ध कहा जाना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

राज्यों में न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलग किया जाना

+

†*५४६. श्री राधा रमण
श्री श्रीनारायण दास :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री पद्म देव :
श्री प्र० गं० देव :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री ४ मई, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या २९०२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के सम्बन्ध में की गई प्रगति का और आगे पता लगाया गया है ;

(ख) यदि ऐसा है, तो उसका क्या परिणाम निकला ;

(ग) क्या उन राज्यों में, जिनमें पूर्णरूपेण पृथक्करण अभी नहीं हुआ है, कोई तारीख निर्धारित की गई है जब कि उनका पूर्ण पृथक्करण हो जायेगा ; और

(घ) यदि हां, तो वे तारीखें कौन–कौन सी हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). आसाम, मैसूर और पश्चिमी बंगाल राज्यों से नवीनतम प्रगति प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है। अन्य राज्यों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(ग) और (घ). उत्तर प्रदेश में दो वर्षों के अन्दर सम्पूर्ण राज्य में और बम्बई में १ सितम्बर, १९५९ तक उनके पृथक होने की आशा की जाती है। अन्य राज्यों ने अभी तक कोई लक्ष्य तिथि नहीं रखी है।

†**श्री राधा रमण** : क्या न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिये किसी राज्य में विधान बनाया गया है ?

†**श्री दातार** : बम्बई में ऐसा किया गया था।

†**श्री राधा रमण** : क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को कोई स्मरण पत्र अथवा निदेश इस सम्बन्ध में जारी किया है कि वे न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के मामले में बड़ी धीमी गति से कार्य कर रहे हैं ?

†**श्री दातार** : हम सदैव उनसे निवेदन करते रहते हैं और जैसा कि मैं कह चुका हूं, तीन राज्यों के पास से हमें कोई प्रतिवेदन नहीं मिले हैं। अन्य राज्यों में थोड़ा-बहुत पृथक्करण हुआ है और वे अन्य जिलो के अनुभव से यह जानना चाहते हैं कि क्या यह चीज़ अन्य ज़िलों में लागू की जा सकती है अथवा नहीं।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक् करने का कार्य बड़ी मन्द गति से हो रहा है, क्या प्रत्येक राज्य में इसकी

---

†मूल अंग्रेजी में

गति बढ़ाने के लिये कोई तरीका और उपाय बताने के लिये एक छोटी समिति बनाने का विचार है ?

†**श्री दातार** : इसकी आवश्यकता नहीं है । इस मामले में कोई समिति बनाने की आवश्यकता नहीं है ।

†**श्री पद्म देव** : मैं जानना चाहता हूं कि विलम्ब का कारण खर्च है या कि मशीनरी इस किस्म की नहीं है जिससे यह कार्य जल्दी हो सके ?

†**श्री दातार** : दोनों ही और इसके अलावा कुछ और कारण भी हैं ।

†**पंडित द्वा०ना० तिवारी** : वे राज्य कौन-कौन से हैं जिनमें न्यायपालिका को पूर्णरूपेण कार्यपालिका से पृथक् कर दिया गया है ?

†**श्री दातार** : मद्रास, आन्ध्र और केरल राज्यों में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पूर्ण-रूपेण अलग कर दिया गया है । बम्बई १ सितम्बर से पूर्ण पृथक्करण हो जायेगा । पुनर्गठन से पहले वाले बम्बई राज्य में पूर्ण पृथक्करण था । मराठवाड़ा और विदर्भ इसमें बढ़ा दिये गये हैं और जैसा कि मैं बता चुका हूं कि इसके बारे में कार्यवाही की जा रही है कि १ सितम्बर, १९५९ तक सम्पूर्ण बम्बई राज्य में पूर्ण पृथक्करण लागू कर दिया जायेगा । सात राज्यों में आंशिक रूप में यह चीज़ लागू की जा रही है । तीन राज्य इस मामले पर विचार कर रहे हैं ।

†**श्री साधन गुप्त** : चूंकि केन्द्रीय सरकार न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के पक्ष में जान पड़ती है और चूंकि कुछ राज राज्य सरकारें इस काम को बहुत धीरे–धीरे कर ही हैं, क्या केन्द्रीय सरकार ने दण्ड प्रक्रिया संहिता में एक संशोधन के द्वारा पृथक्करण को लागू करने की बांछनीयता पर विचार किया है ?

†**श्री दातार** : चूंकि यह उपबन्ध समवर्ती सूची में है, इस कारण इस मामले पर राज्य सरकारों से विचार करवाना होगा । जिन राज्यों में इसे आंशिक रूप से लागू किया गया है उनमें भी कुछ प्रगति हुई है । कुछ ज़िले उनमें बढ़ाये जा रहे हैं । अतः इस अवस्था में केन्द्र के लिये हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं है ।

धमन भट्टियां

†*५४७. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रत्येक राज्य में स्थानीय लोहे के कवाड़ का उपयोग करने के लिये विद्युत से चलने वाली भट्टियों के लिये लाइसेंस देने का विचार है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा)** : उपलब्ध स्थानीय लोहे के कवाड़ का उपयोग करने और उसके प्रादेशिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिये देश के विभिन्न भागों में विशेष इस्पात और ढला हुआ इस्पात बनाने के लिये, जिनके लिये विद्युत की भट्टियां उपयुक्त हैं, २५ विद्युत भट्टियां खोलने के लिये अनुमति देने का विचार है ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या प्रत्येक राज्य को कुछ भट्टियां आवंटित कर दी जायेंगी अथवा क्या तरीका अपनाया जायेगा ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा मामले चलाये जा रहे हैं और अन्तिम निर्णय लाइसेंस देने वाली समिति ही करेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि एक उद्देश्य प्रादेशिक असमानता को दूर करना है, क्या उन राज्यों के मामलों पर भी विचार किया जायेगा जिनमें इसका कम उपयोग होता है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं समझता हूं कि लाइसेंस देने वाली समिति के समक्ष एक यह विचार भी सदैव रहता है जब कि वह नये एककों के लिये लाइसेंस देती है।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम

†*५५०. **श्री पाणिग्रही** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अवशिष्ट वर्षों के लिये अपनी विदेशी मुद्रा को १५ करोड़ रुपये से बढ़ा कर २३ करोड़ रुपये कर देने के लिये कहा है ; और

(ख) यदि ऐसा है, तो क्या सरकार ने राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के लिये और अधिक विदेशी मुद्रा आवंटित करने के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया है ।

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा)** : (क) जी हां, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अवशिष्ट वर्षों के लिये नहीं अपितु चालू वर्ष के राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के सम्पूर्ण कार्यक्रम के लिये विदेशी मुद्रा की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिये कहा है ।

(ख) भारत सरकार ने राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के निवेदन पर विचार करके यह राशि बढ़ा कर २०.२७ करोड़ रुपये कर दी है । अप्रैल, १९६० में पुनः इस स्थिति पर विचार किया जायेगा ।

†**श्री पाणिग्रही** : यह २०.२ करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा द्वितीय योजना के अवशिष्ट वर्षों के लिये आवंटित की गई है अथवा केवल इसी वर्ष के लिये ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: जैसा कि माननीय सभा-सचिव द्वारा बताया जा चुका है, यह कुल आवंटन द्वितीय योजना काल के लिये है ।

†**श्री पाणिग्रही** : राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के लिये मूल रूप से कितनी विदेशी मुद्रा आवंटित की गई थी और उसमें से कितनी मुद्रा का उपयोग किया जा चुका है । इसके अलावा क्या अस्थगित भुगतान के आधार पर मशीनरी लाने के लिये क्या कोई करार किया गया था ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मूल आवंटन के बारे में एक सुझाव माननीय सदस्य के प्रश्न के भाग (क) में दिया हुआ है । उत्तर में केवल यह रूप भेद है कि आवंटन सम्पूर्ण योजना काल के लिये है न कि योजना काल के शेष भाग के लिये । आंकड़ों को भी ठीक कर दिया गया है । आस्थगित भुगतान पर मशीनरी के समाहार का जहां तक सम्बन्ध है, अस्थगित भुगतान की शर्तों पर मशीनरी प्राप्त करने का विचार किया गया है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : कितने प्रतिशत विदेशों से प्राप्त सामान और मशीनों का वास्तव में इस्तेमाल किया जा रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

सरदार स्वर्ण सिंह : मैं ठीक-ठीक उसका प्रतिशत तो नहीं बता सकता किन्तु मैं समझता हूं कि अधिकांश सामान और मशीनों का उपयोग किया जाना चाहिये । उदाहरण के लिये मैं इस बात का उत्तर नहीं दे सकता कि क्या उनका उपयोग २४ घंटे किया जाता है अथवा आठ या दस घंटे किया जाता है किन्तु इतना कह सकता हूं कि जिस चीज़ का उपयोग किया जा सकता है वह बेकार नहीं पड़ी है। यदि कोई चीज़ बेकार पड़ी है और माननीय सदस्य को इसके बारे में जानकारी है तो मैं भी उनकी जानकारी से लाभ उठाना चाहूंगा ।

केन्द्रीय युद्ध सामग्री डिपो छेवकी में अनियमिततायें

+

†*५५१. { **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री जगदीश अवस्थी :
श्री प्र० गं० देव : }

क्या प्रतिरक्षा मंत्री २४ अप्रैल, १६५६ के तारांकित प्रश्न संख्या २०२६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय युद्ध सामग्री डिपो, छेवकी (इलाहाबाद) के लिये स्टोर की स्थानीय खरीद करने के बारे में अनियमितताओं की विशेष पुलिस द्वारा जांच समाप्त हो चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी उपपत्तियां क्या हैं ; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : प्रतिवेदन के कब तक प्रस्तुत किये जाने की संभावना है और क्या इस प्रतिवेदन के न प्रस्तुत किये जाने से जिन लोगों ने अनियमितता की है उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है ?

†**सरदार मजीठिया** : यह मामला विशेष पुलिस संस्थापन के पास है और ज्योंही वह प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी, स्वाभाविक है कि आवश्यक परिणाम निकलेगा ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मेरा निवेदन यह है कि इस मामले में विभागीय कार्यवाही की गई थी और तत्पश्चात् इस मामले को विशेष खुफिया पुलिस को सौंपा गया था । प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने में कितना समय लगने की संभावना है । मुझे इस बात की आशंका है कि यदि रिपोर्ट प्रस्तुत न की गई होती तो निस्सन्देह जिन लोगों ने यह अनियमितता की है उनको प्रोत्साहन मिलेगा ।

†**सरदार मजीठिया** : विशेष पुलिस संस्थापन को रिपोर्ट प्रस्तुत करने में कितना समय लगेगा जहां तक इसका सम्बन्ध है, मैं इस बारे में कोई समय नहीं बता सकता किन्तु विलम्ब से जहां तक दूसरों को प्रोत्साहित करने का प्रश्न है, ऐसा सम्भव नहीं होगा क्योंकि हम इस बात की सख्त कार्रवाई करेंगे ताकि ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० मो० बनर्जी** : स्थानीय खरीद करने में वास्तव में कुल कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त थी, क्या इसका कोई हिसाब लगाया गया है ?

†**सरदार मजीठिया** : यह राशि लगभग २,८०० रुपये है ।

पेट्रोलियम पर उत्पादन शुल्क

†**५५२. श्रीमती मफीदा अहमद** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम सरकार ने पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों पर लगे केन्द्रीय उत्पादन शुक को बढ़ाने के लिये कहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री मफीदा अहमद** : आसाम के तेलों पर लगे मूल और अतिरिक्त शुल्क से कुल कितनी वार्षिक आय होती है और आसाम को पेट्रोल और पेट्रोल उत्पादों पर लगे केन्द्रीय उत्पादन शुल्क में से उसको उसके उचित अंश से क्यों वंचित रखा जा रहा है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : मैं इसके लिय अलग से पूर्वसूचना चाहूंगा । यह ब्योरों सम्बन्धी प्रश्न है ।

†**श्रीमती मफीदा अहमद** : मैं उत्तर नहीं समझ सकी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह अलग से पूर्व सूचना चाहते हैं ।

†**श्री प्र० गं० देव** : क्या यह सच है कि आसाम में पेट्रोल और पेट्रोल उत्पादों का मान देश के किसी भी भाग की तुलना में सब से ऊंचा है, जहां कि वे पैदा होते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह यह जानना चाहते हैं कि क्या उस वस्तु का मूल्य जहां वह पैदा होती है अन्य स्थानों की तुलना में सब से ऊंचा होता है ?

†**श्री ब० रा० भगत**: यह बड़ा विशद प्रश्न है । यह प्रश्न तो इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय से पूछा जाना चाहिये क्योंकि मूल्य वह ही निर्धारित करता है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या वित्त आयोग ने यह सिफारिश की थी कि पेट्रोल पर आसाम को उत्पादन शुक में अधिक हिस्सा दिया जाना चाहिये, क्या सरकार ने इसे स्वीकार किया है अथवा नहीं ?

†**श्री ब० रा० भगत** : मैं प्रश्न नहीं समझ सका ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या वित्त आयोग ने यह सिफारिश की है कि इस शुल्क में से आसाम को अधिक अंश दिया जाना चाहिये । यदि ऐसा है तो क्या यह सिफारिश कार्यान्वित की गई है अथवा नहीं ?

†**श्री ब० रा० भगत** : जी नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री च० द० पांडे** : क्या पेट्रोल पर प्रस्तावित अतिरिक्त शुल्क लगा देने से पेट्रोल के बाज़ार भाव पर कोई असर पड़ेगा ?

†**श्री ब० रा० भगत** : अतिरिक्त शुल्क तो मुनाफे को समाप्त करने के लिये लगाने का विचार था । उसका प्रमुख कारण यह था कि कम्पनियों को मिलने वाले मुनाफे को खतम कर जाये ।

†**श्री च० द० पांडे** : क्या इससे बाज़ार भाव बढ़ नहीं जायेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : काल्पनिक प्रश्न पूछने से क्या लाभ है ? वह यह पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा करने से मूल्य बढ़ नहीं जायेगा । माननीय सदस्य को इसके बारे में निश्चित रूप से पता नहीं है ।

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : उपभोक्ता पर मूल्य में वृद्धि के रूप में इसका कोई असर नहीं पड़ा है ।

†**श्रीमती मफीदा अहमद** : केन्द्र और राज्यों के बीच खनिज तेलों का विभाज्य-संग्रह क्यों नहीं कर लिया जाता ? क्या वित्त आयोग ने इस सम्बन्ध में कोई सिफारिश की है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य वित्त आयोग के प्रतिवेदन में इस चीज़ को क्यों नहीं देखते ?

काश्मीर में विश्वयतन योगाश्रम को अनुदान

†*५५३. { + **श्री राधा रमण** :
श्री खीमजी :
श्री सै० अ० रेहदी : }

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने काश्मीर में एक अखिल भारतीय योग अध्यापक प्रशिक्षण संस्था की स्थापना करने के लिये श्री विश्वयतन योगाश्रम को जो स्वामी धीरेन्द्र द्वारा चलाया जा रहा है, ५,००,००० रुपये का अनुदान दिया है ;

(ख) यदि ऐसा है, तो यह अनुदान किन शर्तों पर दिया गया था ; और

(ग) योजना की विशेषतायें क्या हैं और वह किस प्रकार कार्यान्वित की जायेंगी ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७५]**

†**श्री राधा रमण** : विश्वयतन योगाश्रम को ५ लाख रुपयें का अनुदान देने के अलावा क्या सरकार ने इस प्रकार की किसी अन्य संस्था को इस प्रकार के प्रयोजन हेतु अनुदान दिया है ? यदि ऐसा है तो वह राशि कितनी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** ५ लाख रुपये नहीं मंजूर किये गये हैं। वचन दिये गये ३ लाख रुपये में से १ लाख पहले ही मंजूर किये जा चुके हैं। माननीय सदस्य का दूसरा प्रश्न क्या था ?

†**श्री राधा रमण** योगासन आदि के प्रचार के लिये इस संस्था विशेष को मंजूर की गई राशि के अलावा क्या सरकार ने किसी अन्य संस्था को और इसी प्रकार के प्रयोजन के लिये कुछ राशि मंजूर की है और यदि ऐसा है तो वह राशि कितनी है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** जैसा कि सदन को विदित है सरकार केवल्यधाम श्रीमन माधव योग मन्दिर समिति, लोनावला को आवर्तक और अनावर्तक अनुदान देती रही है और हमने इस संस्था को योगिक दर्शन, और योगिक विज्ञान में गवेषणा करने की प्रथम श्रेणी की संस्था बना दिया है ।

†**श्री बासप्पा** : क्या महा लेखा परीक्षक अब तक इस संस्था के लेखाओं की जांच करते रहे हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : समय आने पर लेखाओं की जांच भी हो जायेगी ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : किसकी सिफारिश पर स्वामी धीरेन्द्र को अनुदान दिया गया, क्या स्वामी धीरेन्द्र ने सरकार के पास कोई मंत्रणा दाता नियुक्त कर दिये हैं अथवा और क्या काम की जांच करने के लिये कोई समिति नियुक्त की गई है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : स्वामीजी का आवेदन हमारे पास आने पर हमने एक समिति नियुक्त की जिस में लक्ष्मी कालेज आफ फिजिकल एजूकेशन ग्वालियर के प्रिंसिपल, श्री पी० एम. जोसेफ; कैवलधाम श्रीमन माधव योग मन्दिर समिति, लोनावला (पूना) के गवेषणा निदेशक स्वामी कुवलभा नन्द और बैम्बू लाडा सबायू, शिमला के श्री जी० डी० सोमानी थे । इस विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर योजना सरकार द्वारा मंजूर की गई थी और अनुदान दिये गये थे ।

†**श्री प्र० चं० बरूआ** : क्या यह सच है कि यह संस्था प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों से ३०० रुपये प्रति मास फीस वसूल करती है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यह मुझे पता नहीं है । जहां तक मुझे पता है यह उस जनता की निःशुल्क सेवा कर रही है जो वहां उपचार योगिक क्रियाएं सीखने के लिये जाते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह केवल यह जानना चाहते हैं कि क्या प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों से ३०० रु० प्रतिमास फीस ली जाती है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मुझे इसकी जानकारी नहीं है । मैं नहीं समझता कि वहां इतनी अधिक फीस ली जाती होगी फिर भी मैं जांच करूंगा ।

†**श्री भक्त दर्शन** : अध्यापकों को योग का प्रशिक्षण देने के लिये इस विद्यालय को जो सहायता दी जा रही है तो इन अध्यापकों के द्वारा योगासनों का प्रचार करने के लिए कोई योजना बनाई गई है और उसे किस प्रकार कार्यान्वित किया जा रहा है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जी हां, यह जो आश्रम है यह कई स्थानों में काम करते हैं । दिल्ली में भी उसका एक केन्द्र है और कलकत्ते में भी कुछ काम कर रहे हैं । ऐसी आशा की जाती है कि यहां से निकले हुए ब्रह्मचारी और क्षेत्रों में भी जाकर योग का प्रचार कर सकेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री पद्म देव : क्या माननीय मंत्री इस पर प्रकाश डालेंगे कि योगाश्राम में अष्टांग योग भी सिखाया जाता है या केवल आसन ही सिखाये जाते हैं ?

डा० का ०ला० श्रीमाली : योग में मेरा इतना ज्ञान तो नहीं है जितना कि माननीय सदस्य को जान पड़ता है परन्तु इतना मैं जानता हूं कि योग की जितनी भी क्रियाऐं हैं, उनका उपयोग इस आश्रम में शारीरिक उन्नति, शारीरिक विकास और आध्यात्मिक विकास के लिए किया जाता है ।

श्री त्यागी : क्या मिनिस्टर साहब को यह पसन्द है इसलिए इसे रक्खा गया या गवर्नमेंट की पालिसी ही योगाभ्यास की हो गई है और यह कि उसका प्रचार किया जाय ?

डा० का० ला० श्रीमाली : गवर्नमेंट इस नतीजे पर पहुंची है कि जहां तक योग का सम्बन्ध है वह शरीर के लिए बहुत उपयोगी है । यह हजारों वर्षों से सिद्ध हो चुका है । अब कोई नई बात नहीं है ।

श्रीमती कृष्णा मेहता : क्या मैं जान सकती हूं कि विश्वयतन योगाश्रम में जिन अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जायेगी, उनका चुनाव शिक्षा मंत्रालय द्वारा होगा या आश्रम के कार्यकर्ताओं द्वारा ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जी नहीं वह योगाश्रम ही करेगा ।

श्री अजराज सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि जिन प्रिंसिपल जोसेफ की सिफारिश पर इस आश्रम को ग्रान्ट दी गई, उन्हीं के द्वारा चलाये जाने वाला स्कूल जो ग्वालियर में है, मेरे खयाल में लक्ष्मीबाई योगाश्रम, उसको भी क्या कोई विशेष ग्रांट दी गई है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जी हां वह तो सारा कालिज गवर्नमेंट का है, नेशनल कालिज आफ फिजिकल एजुकेशन है। मैं माननीय सदस्य को यह बतलाना चाहता हूं कि उस कालिज में भी हमने योग सिखाने का प्रबन्ध किया है ।

तीस हजारी में न्यायालय की इमारत

+

†*५५४. { **श्री कुन्हन** :
श्री प्र० गं० देव :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीस हजारी में न्यामालय की इमारत किस तारीख को बन कर तैयार हुई थी ;

(ख) उसका कितना हिस्सा भर गया है ;

(ग) क्या यह सच है कि इस काल में इमारत का जितना भाग खाली था उसकी कोई देख-रेख का कोई प्रबन्ध नहीं था ;

(घ) इमारत का शेष भाग कब तक भर जायेगा ; और

(ङ) जुलाई, १९५९ तक इमारत के ऊपर कुल कितनी राशि व्यय की गई ?

---

†मूल अंग्रेजी में

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) तीस हजारी की न्यायालय की इमारत के विभिन्न हिस्से निम्न तारीखों को बन कर तैयार हुए थे :—

प्रमुख इमारत	
पूर्वी हिस्सा	३१–३–५७
पश्चिमी हिस्सा	१२–३–५७
मध्य भाग	१५–७–५८
(२) वकीलों के खंड (दो)	१५–१–५५
(३) खजाने का खंड	१५–५–५५
(४) विधि जीवी खंड	१५–४–५८
(५) मुकदमे वालों का खंड	३०–११–५८

(ख) मुकदमे वालों के खंड को छोड़ कर शेष सारी इमारत भर गई है ;

(ग) जी नहीं ।

(घ) निकट भविष्य में ।

(ङ) ७९,२९,३७५ रुपये ।

†**श्री अ० क० गोपालन** : यह कहा गया था कि उसका कुछ हिस्सा खाली था, उसका क्या कारण था ?

†**श्री दातार** : मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य वकीलों के खंड के बारे में पूछ रहे हैं ।

†**श्री अ० क० गोपालन** : जी हां ।

†**श्री दातार** : कुछ किराया निश्चित किया गया था । वकील इतना अधिक किराया देने को तैयार नहीं थे । इसी कारण उन्होंने उस खंड को नहीं लिया था ।

†**श्री अ० क० गोपालन** : उसमें दीवानी' फौजदारी आदि अनेक सेक्शन हैं और सेशन की तरफ भी अनेक सेक्शन हैं और प्रत्येक सेक्शन के अपने अपने कर्मचारी लोग हैं । क्या यह सच है कि कुछ स्थान ऐसे हैं जो गन्दे ही पड़े रह जाते हैं ?

†**श्री दातार** : जहां तक आवास का सम्बन्ध है, सभी दीवानी अदालतें इसी इमारत में आ गई हैं और फौजदारी अदालतों में से सत्ताइस अदालतें इस इमारत में आ गई हैं जबकि शेष अदालतें दूसरे स्थानों पर हैं । इसी इमारत में कुछ और कार्यालय भी स्थित हैं ।

†**श्री अ० क० गोपालन** : मेरा प्रश्न कुछ और था । बताया गया है कि कुछ जगहें गन्दी रह जाती हैं और शौचालय आदि गन्दे रहते हैं । क्या यह बात सही है । यदि ऐसा है, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**श्री दातार** : सफाई और स्थान की अपर्याप्तता—दोनों के बारे में एक शिकायत प्राप्त हुई थी । इसी कारण से निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय ने एक समिति नियुक्त की है जो सभी प्रकार की असुविधाओं को दूर करने की दृष्टि से सारे मामले की जांच कर रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

गाजा पट्टी में भारतीय सैनिक

*५५५. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २४ अप्रैल, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या २०४० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गाजा पट्टी (संयुक्त अरब गणराज्य) में कुछ भारतीय सैनिकों के जख्मी हो जाने के बारे में क्या इस बीच पूरी रिपोर्ट मिल चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी हां ।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय आपात-सेना के सेनापति (कमांडर यूनेफ) ने मिश्री सम्पर्क बलाधिकरण (ईजिप्शिन लायेसन स्टाफ) के पास रिपोर्ट दर्ज की थी, जिसने मामले की सविस्तार जांच की है । उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय आपात-सेना के सेनापति को बताया है, कि उन व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया जा रहा है, जिन्होंने भारतीय सैनिकों पर आक्रमण किया था ।

†**श्री भक्त दर्शन** क्या संयुक्त अरब गणराज्य से कोई मुआवजा मांगा गया है, और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ है ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : जी नहीं ।

वाटर प्रूफ कपड़ों[1] पर उत्पादन शुल्क

†*५५६. **श्री केशव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने वाटर प्रूफ कपड़ों पर उत्पादन-शुल्क की छूट दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो यह छूट किन शर्तों के अधीन दी गयी है ; और

(ग) यह रियायत किन-किन वस्तुओं के लिये दी जा चुकी है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) से (ग). यह सच है कि सभी रबरयुक्त और संश्लिष्ट वाटरप्रूफ कपड़ों पर उत्पादन शुल्क की छूट है ।

जालसाजी विरोधी दस्ता[2]

+

†*५५७. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समवाय विधि सम्बन्धी मामलों का निबटारा करने के लिये दिल्ली में एक जालसाज़ी विरोधी दस्ते की स्थापना की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें किस-किस को रखा जायेगा और उसके कृत्य क्या होंगे;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Waterproof Fabrics.

[2] Anti-Fraud Squad.

(ग) क्या अन्य बड़े औद्योगिक शहरों में भी इसी प्रकार के दस्तों की स्थापना की जायेगी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : : (क) जी हां ।

(ख) इस दस्ते में ये-ये लोग रहेंगे :—

पुलिस सूपरिटेंडेंट	१
पब्लिक प्रॉसीक्यूटर . . .	१
जूनियर टेक्निकल आफिसर (लेखा) .	१
डिप्टी सूपरिटेंडेंट पुलिस .	४
सीनियर क्लर्क स्टेनो .	४
हैड कान्स्टेबल . .	१
फुट कान्स्टेबल .	१४
अपर डिवीजन क्लर्क .	१
लोअर डिवीजन क्लर्क . . .	१

इस दस्ते का काम समवाय विधि सम्बन्धी मामलों में कार्यवाही करना है ।

(ग) जालसाज़ी विरोधी दस्ते का प्रधान कार्यालय दिल्ली में है । अन्य औद्योगिक नगरों में भी इसी प्रकार के दस्तों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव अभी विचाराधीन नहीं है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : जालसाजी-विरोधी इस दस्ते की स्थापना कब की गयी थी, क्या कुछ मामलों की ओर इस दस्ते का ध्यान आकृष्ट किया गया है, और यदि हां, तो ऐसे मामलों की संख्या कितनी है ?

†**श्री दातार** : इसने १ जुलाई, १९५९ से कार्य आरम्भ किया था और दो मामलों में अभी यह जांच कर रहा है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या यह दस्ता उड़न-दस्ते[1] के रूप में है या इसकी स्थापना किसी स्थान पर एक कार्यालय के रूप में की गयी है ?

†**श्री दातार** : फिलहाल इसका प्रधान कार्यालय दिल्ली में ही है और समवाय विधि प्रशासन के परामर्श से सरकार ने कुछ मामले जांच के लिये उसके सूपुर्द कर दिये हैं ।

†**श्री जाधव** केवल दिल्ली में ही यह दस्ता रखने के विशेष कारण क्या हैं ?

†**श्री दातार** : समवाय विधि प्रशासन से सम्बन्धित मामलों की उचित जांच करना वांछनीय समझा गया था । जांच के लिये उच्च स्तर के अधिकारियों की सेवायें आवश्यक होती हैं । दूसरे, यह बड़े ही जटिल प्रकार की समस्या है और इसीलिये लेखा-रखने का ज्ञान इसके लिये आवश्यक समझा गया । यह विशेष पुलिस संस्थापन की ही एक शाखा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Flying Squad.

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या अन्य राज्य सरकारों ने इस ढंग का दस्ता बनाने की इच्छा प्रकट की है ?

†**श्री दातार** : मुझे पता नहीं है ।

अनिवार्य जीवन बीमा योजना

†*५५९. **श्री सूपकार** :
श्री अजित सिंह सरहदी :
पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री हेम राज :
श्री सै० अ० मेंहदी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा कराना सभी के लिये अनिवार्य कर देने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या योजना का ब्यौरा तैयार कर लिया गया है ; और

(ग) इस योजना के कब तक लागू कर दिये जाने की संभावना है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

त्रिपुरा में होम-गार्ड बटैलियन

†*५६०. **श्री बांगशी ठाकुर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा की सीमा-रक्षा के लिये सरकार त्रिपुरा में होम-गार्डों की बंटैलियन बनाने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजन के लिये भर्ती त्रिपुरा के भूतपूर्व हसैनिकों में से की जायेगी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) त्रिपुरा में एक होमगार्ड संगठन की स्थापना का प्रश्न विचाराधीन है ।

(ख) इस मसले पर उपयुक्त समय आने पर विचार किया जायेगा ।

†**श्री बांगशी ठाकुर** : क्या यह सच है कि त्रिपुरा के सशस्त्र बल की शक्ति बढ़ाने के लिये सरकार यह प्रयास कर रही है कि . . . .

†**श्री दातार** : अभी तो यह मसला विचार की प्रारम्भिक स्थिति में ही है । इसलिये त्रिपुरा में होमगार्डों की संख्या निश्चित कर देने का तो अभी प्रश्न ही नहीं उठता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बांगशी ठाकुर** : क्या यह सच है कि सरकार त्रिपुरा की सीमा-रक्षा के लिये त्रिपुरा के बाहर से त्रिपुरा की सशस्त्र पुलिस की संख्या बढ़ाने के लिये भर्त्ती करने का प्रयास कर रही है, और ऐसा क्यों किया जा रहा है ?

†**श्री दातार** : माननीय सदस्य की सूचना गलत है । जहां तक होमगार्डों की भर्त्ती का सम्बन्ध है, स्वाभाविक रूप से उन्हें केवल त्रिपुरा में से ही भर्त्ती किया जायेगा । माननीय सदस्य को यह धारणा हुई ही क्यों ?

खनन इंजीनियरों का विदेशों में प्रशिक्षण

†***५६१. श्री मुरारका** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने ४०० से अधिक खनन इंजीनियरों के विदेशों में प्रशिक्षण की ७७ लाख रुपये की लागत की एक योजना मंजूर कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनों को प्रशिक्षण के लिये भेजा गया है ; और

(ग) इन लोगों को किन-किन देशों में भेजा गया है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा)** : (क) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स ने यह योजना मंजूर की है यह निगम प्रतिवर्ष आवश्यकतानुसार विशिष्ट मामलों सम्बन्धी प्रस्तावों की मंजूरी के लिये सरकार से अनुरोध करता है ।

(ख) और (ग). प्रशिक्षण के लिये भेजे गये अधिकारियों की संख्या, और इन्हें जिन देशों में भेजा गया है उनके नाम इस प्रकार है :—

देश	भेजे गये अधिकारियों की संख्या
ब्रिटेन	१३
अमरीका	१
पश्चिम जर्मनी	१

इनके अलावा विभिन्न वैदेशिक सहायता कार्यक्रमों के अधीन ४४ व्यक्तियों के मामले अभी विचाराधीन हैं ।

†**श्री मुरारका** : इन ४०० इंजीनियरों को किस विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जायेगा और एक देश में इन्हें कितने समय तक रहना पड़ेगा ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : भिन्न भिन्न वर्गों के लिये प्रशिक्षण का स्वरूप भिन्न है और इसकी अवधि भी अलग-अलग वर्षों के लिये भिन्न होगी ।

†**श्री मुरारका** : इन लोगों को दिये जाने वाले उस प्रशिक्षण का स्वरूप क्या होगा जो उन्हें **धनबाद** के खनन स्कूल में नहीं दिया जाता ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : अन्य देशों में उन्हें अधिकांशत: स्नातकोत्तर प्रशिक्षण दिया जायेगा ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या इसी प्रकार का स्नातकोत्तर प्रशिक्षण यहां भारत की उच्चतर प्रौद्योगिकीय संस्थाओं में उपलब्ध नहीं है ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : यह सर्वविदित है कि कुछ देशों में प्रविधिक प्रशिक्षण अत्याधिक वैशिष्ट्यपूर्ण है और जब भी आवश्यक समझा जाता है, उन्हें उच्चतर विशिष्ट प्रशिक्षण के लिय विदेश भेज दिया जाता है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ऐसे अन्य देशों का खनन विज्ञान ब्रिटेन की अपेक्षा कहीं अधिक आगे बढ़ा हुआ है, ब्रिटेन को जर्मनी और अमरीका की अपेक्षा अधिक लोगों को भेजने के क्या कारण हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इसका फैसला कौन करेगा ? माननीय सदस्य या मंत्री महोदय ?

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : मंत्री महोदय ही करेंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने तो फैसला कर लिया है ।

जहां तक पाठ्यक्रम या अन्य बातों का भी प्रश्न है, क्या हमें उसके ब्यौरे पर ही सारा समय व्यय कर देना चाहिये ? माननीय सदस्य को तो इस बात का पता लगाने के लिये एक समिति नियुक्त करनी चाहिये कि उन्हें ब्रिटेन या जर्मनी या फ्रांस या इटली में से किस देश में भेजा जाना चाहिये ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : सब से आगे बढ़े हुए देश में भेजना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह बात यहां कैसे पूछी जा सकती है कि इसके आधार क्या हैं ? क्या उन्हें यह बताना पड़ेगा कि इन-इन मामलों में यह अन्य देशों से आगे बढ़ा हुआ है ?

†**श्रीमती रेणुचक्रवर्ती** : सब जानते हैं कि ब्रिटेन में कोयले के खनन का काम बहुत पिछड़ी अवस्था में है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वे कोयले पर ही आश्रित हैं । लेकिन प्रश्नों में हम केवल जानकारी मांग सकते हैं, राय नहीं पूछ सकते । सरकार ने एक विचार अपनाया है । उनके विचार दूसरी प्रकार के हैं ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : वह ऐसा कहें तो ।

†**श्री साधन गुप्त** : सरकार तो यह नहीं कहती कि ब्रिटेन ही सब से आगे बढ़ा हुआ देश है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या उसे यह कहना भी पड़ेगा ? जब उन्होंने यह फैसला कर लिया है तो यह बात तो उसमें निहित है ही ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

इंडियन लान टेनिस एसोसियेशन

†*५६२. **श्री आचार** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार इंडियन लॉन टेनिस एसोसियेशन को एक खासी रकम देने को राजी हो गयी है ताकि भारतीय टीम विम्बलडन चैम्पियनशिप में भाग ले सके

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार कितनी रकम देने का वादा किया गया है ;

(ग) क्या यह सच है कि यह रुपया समय से नहीं दिया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). तेरह हजार तीन सौ पचास रुपयो का अनुदान मंजूर किया गया है ।

(ग) और (घ). यह अनुदान टीम के रवाना होने से पहले ही मंजूर नहीं किया जा सकता क्यों कि ऑल इंडिया लॉन टेनिस एसोसियेशन ने उनके प्रस्ताव पर विचार के लिये आवश्यक पूरा ब्यौरा समय रहते दिया नहीं था ।

†**श्री आचार** : क्या सरकार का ध्यान अखबारों में प्रकाशित उन टिप्पणियों और आलोचनाओं की ओर आकृष्ट हुआ था कि इस विलम्ब के कारण हमारा टेनिस का नम्बर-१ खिलाड़ी अमरीका नहीं जा सका ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मैं बता चुका हूं कि बिना ब्यौरा दिये सरकार से यह अनुरोध किया गया था और जब ब्यौरा दिया गया तब तक टीम ब्रिटेन के लिये रवाना हो चुकी थी। उनके रावाना होने से पहले ही मंजूरी देना सरकार के लिये इसी कारण से संभव नहीं हुआ कि उन्होंने समय पर ब्यौरा नहीं दिया। स्वाभाविक है कि आवश्यक मंजूरी देने के लिये सरकार को आवश्यक ब्यौरा मिलना जरूरी है ।

†**श्री आचार** : उन्होंने कब आवेदन किया, कब उनसे ब्यौरा मांगा गया और ब्यौरा देने में कितना समय लगाया गया ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : ऑल इंडिया लॉन टेनिस एसोसियेशन ने खेल-कूद सम्बन्धी अखिल भारतीय से २८ अप्रल, १९५९ को अनुदान के लिये आवेदन किया था। लिखा-पढ़ी चलती रही । उन्होंने ब्यौरा नहीं दिया । मंत्रिमंडल ने कहीं जा कर ६–८–५९ को इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया और ४ खिलाड़ियों के बम्बई से लन्दन तक जाने-आने के विमान के किराये के बराबर १३,२५२ रुपये का अनुदान १४ अगस्त, १९५९ को मंजूर किया । देर इस कारण नहीं हुई कि सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया था, बल्कि इसमें पूरी गल्ती एसोसियेशन की थी जिसने आवश्यक ब्यौरा नहीं दिया था ।

†**श्री दासप्पा** : क्या सरकार का ध्यान ऐसी कुछ टिप्पणियों की ओर आकृष्ट हुआ है कि जहां तक बुकिंग, रिर्जेवशन आदि का सवाल है दूतावासों ने खिलाड़ियों को आवश्यक सुविधायें प्रदान नहीं की हैं ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मुझे इन टिप्पणियों का पता नहीं है । यदि माननीय सदस्य उन टिप्पणियों की ओर जो उनकी निगाह में, मेरा ध्यान दिला सकें तो मैं निश्चय ही मामले की जांच करूंगा ।

†**श्री आचार** : मैं ठीक-ठीक वह तारीख जानना चाहता हूं जिस दिन अर्जी भेजी गयी थी और जब ब्यौरा मांगा गया था ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मैं बता चुका हूं कि अर्जी २८ अप्रैल, १९५९ की थी । २१ मई को हमने ऑल इंडिया लॉन टेनिस एसोसियेशन को यह बताने का पत्र लिखा जिसमें उनसे ब्यौरा मांगा गया था । ब्यौरा कहीं जा कर मई के आखिरी सप्ताह में दिया गया और तब मंजूरी दी जा सकी ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन् मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस एसोसियेशन ने गवर्नमेंट को कोई रिपोर्ट दी है कि सहायता प्राप्त करने के बाद उनके खिलाड़ियों ने विम्बलडन चेम्पियनशिप में कहां तक सफलता प्राप्त की ?

डा० का० ला० श्रीमाली : यह रिपोर्ट तो खेल खत्म होने के बाद प्रायः दी जाती है ।

विश्व विद्यालयों और कालेजों में सांध्यकालीन कक्षायें

+

†*५६३. { **श्री प्र० चं० बरूआ** :
श्री दशरथ देव :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह सिफारिश की है कि विश्वविद्यालयों अथवा उनके संघटक कालेजों को सांध्यकालीन कक्षायें नहीं चलानी चाहियें,; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री प्र० चं० बरूआ** : क्या यह सच है कि कई विश्वविद्यालयों ने सरकार से यह अनुरोध किया है कि वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की इस सिफारिश को क्रियान्वित करने के लिये उन पर जोर न डालें ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यह प्रश्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचाराधीन है और मुझे ज्ञात हुआ है कि उन्होंने अभी इस पर कोई निर्णय नहीं किया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में]

प्रश्नों के लिखित उत्तर

उच्चतम न्यायालय और निर्वाचन आयोग का क्षेत्राधिकार जम्मू तथा काश्मीर राज्य तक बढ़ाया जाना

†*५४०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री १६ अप्रैल, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १८७२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जम्मू तथा कश्मीर राज्य को सभी प्रयोजनों के लिये भारत के उच्चतम न्यायालय और निर्वाचन आयोग के क्षेत्राधिकार के भीतर लाने के सम्बन्ध में इस बीच निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)**: (क) और (ख). पिछला उत्तर दिये जाने के बाद से कोई अन्तर नहीं हुआ है ।

युद्ध-सामग्री कारखानों में फालतू श्रमिक

†*५५१. **श्री राजेन्द्र सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कुशल और अर्द्धकुशल श्रमिक युद्ध-सामग्री कारखानों में फालतू हैं ; और

(ख) यदि हां, तो लोगों को बेकार न रहने देने और उत्पादिता बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)**: (क) और (ख). जी हां । फालतू क्षमता का क्रमशः अधिक से अधिक उपयोग किया जा रहा है ।

बीमा प्रतिभूतियां

†*५४५. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **वित्त** मंत्री १७ अप्रैल, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १५२८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भूतपूर्व बीमा समवायों की प्रतिभूतियों के गुम होने और उन समवायों के हिसाब की अनियमितताओं के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७६]**

---

†मूल अंग्रेजी में

कोलार की सोने की खानें

†*५४८. { श्री शिवनंजप्पा :
{ श्री लै० अचौ सिंह :

क्या वित्त मंत्री २९ अप्रैल, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या २१११ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर की सोने की खानों से निकलने वाले सोने को खरीदने के केन्द्रीय सरकार के प्रस्ताव के सम्बन्ध में मैसूर सरकार को राज-सहायता के भुगतान के प्रश्न पर इस बीच कोई निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) और (ख). यह मसला अब भी विचाराधीन है ।

विमानों के इंजनों से संबंधित जांच अदालत का प्रतिवेदन

†***५४९. श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री ७ अप्रैल, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १७१६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमानों के इंजनों के लिये आर्डर देने में विलम्ब सम्बन्धी जांच अदालत का प्रतिवेदन इस बीच मिल गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस की उपपत्तियां क्या हैं ; और

(ग) उस पर सरकार ने क्या निर्णय दिया है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) से (ग). जांच अदालत का कार्य-विवरण अभी पूरा हो कर सरकार को नहीं मिला है ।

प्रादेशिक परिषदों के नियम

†***५५८. श्री लै० अचौ सिंह :** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ राज्य क्षेत्रों की प्रादेशिक परिषदों के कर्मचारियों के लिये नये नौकरी सम्बन्धी नियम बनाये गये हैं ; और

(ख) क्या सभी प्रादेशिक परिषदों के लिये एक ही से नियम हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) और (ख). हिमाचल प्रदेश प्रादेशिक परिषद् ने हिमाचल प्रदेश प्रादेशिक परिषद् सचिवालय की अधीनस्थ सेवाओं (तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणियों) के लिये नौकरी सम्बन्धी विनियम बनाये हैं। परिषद् के अधीन अन्य विभागों के कर्मचारियों के सम्बन्ध में इसी प्रकार के विनियम बनाये जा रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

मनीपुर और त्रिपुरा की प्रादेशिक परिषदों ने अभी अपने कर्मचारियों के लिये नौकरी सम्बन्धी विनियम नहीं बनाये हैं ।

विश्वविद्यालयों में नियोजन यूनिटें

†*५६४. **श्री सैं० अ० मेहदी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक एक नियोजन यूनिट रखने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस पर कितनी राशि व्यय की जाने वाली है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७७]** ।

पटना में आय कर अपीलीय न्यायाधिकरण बेंच

*५६५. **श्री अनिरुद्ध सिंह :** क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटना (बिहार) में आय कर अपीलीय न्यायधिकरण का एक अलग बेंच पुनः स्थापित किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो यह बेंच कब से काम करने लगेगा ?

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस) :** (क) और (ख). स्थान, कर्मचारिवृन्द आदि का प्रबन्ध हो जाने पर पटना में आय कर अपीलीय न्यायाधिकरण का एक बेंच स्थापित करने का विचार है ।

प्रोफेसरों और लेक्चररों की सेवा-निवृत्ति की आयु

†*५६६. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्रोफसर और लेक्चररों की सेवा-निवृत्ति की आयु कितनी कितनी है ; और

(ख) नौकरी सम्बन्धी अन्य शर्त्तों का सुझाव देते समय क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आयु-सीमा में समानता लाने के प्रश्न पर विचार किया था ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी का एक विवरण-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७८]**

बच्चों को उठा ले जाना

†*५६७. **श्री दी० च० शर्मा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री १८ मार्च, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १३५८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इस बात का निर्णय

---

†मूल अंग्रेजी में

करने के लिये कि मौजूदा कानून बच्चों को उठा ले जाने और विशेष रूप से उनका अंगभंग कर देने की घटनाओं का सामना करने के लिये पर्याप्त हैं या नहीं, मौजूदा कानूनों के अध्ययन के सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : भारत सरकार ने भारतीय दंड विधान में संशोधन कर भिक्षावृत्ति में उपयोग करने की दृष्टि से किसी नाबालिग बच्चे का अपहरण या उसे अन्यथा अपने कब्जे में ले लेने वालों के लिये विनिवारक दण्ड का और बच्चों का अंगभंग करने वालों को और भी कठोर दण्ड देने का उपबन्ध करने का निश्चय किया है।

जूनियर टेक्निकल स्कूल

†*५६८. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री राम कृष्ण गुप्त
श्री हेम राज :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री ४ मई, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या २१९५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जूनियर टेक्निकल स्कूलों की स्थापनार्थ केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों को अब तक कितनी सहायता दी है ;

(ख) केन्द्रीय सरकार की सहायता से विभिन्न राज्यों में (राज्य-वार) अब तक कितने जूनियर टेक्निकल स्कूलों की स्थापना की जा चुकी है ;

(ग) उनमें से कितने गैर-सरकारी अभिकरणों द्वारा चलाये जा रहे हैं ; और

(घ) सहायता देने के लिये क्या केन्द्रीय सरकार कोई शर्त लागू करती है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) प्रत्येक राज्य में टेक्निकल शिक्षा की सभी अनुमोदित योजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता के रूप में समेकित राशियां मंजूर की जाती हैं। इसलिये इस समय जूनियर टेक्निकल स्कूलों के लिये दी गयी सहायता के ठीक-ठीक आंकड़े बताना संभव नहीं है।

(ख) ३१ मार्च, १९५९ तक ८ स्कूल—४ मध्य प्रदेश प्रदेश में, ३ पश्चिम बंगाल में और १ पांडिचेरी में—स्थापित किये गये हैं।

(ग) एक भी नहीं।

(घ) इसके सिवा कोई शर्त लागू नहीं की जाती कि स्कूल केन्द्रीय योजना के नमूने और स्तर के अनुरूप होना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की महिलायें

†*५६९. श्री रा० च० माझी :
श्री सुबोध हंसदा :

†क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुसलमानों, ईसाइयों और हिन्दुओं में शादी करने के बाद भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की महिलायें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की दी गयी सुविधायें पाने की हकदार हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी महिलायें केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में भर्त्ती की जाती हैं ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) और (ख). सरकार को यह परामर्श दिया गया है कि अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित आदिम जाति की किसी महिला को केवल इस कारण से कि उसकी शादी किसी मुसलमान, ईसाई अथवा हिन्दू से हो गयी है, अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित आदिम जाति की सदस्या के रूप में मिलने वाले अधिकार मिलने बन्द नहीं होंगे। केन्द्रीय सरकारी सेवा में नौकरी भी इसमें शामिल है।

युद्ध–सामग्री कारखानों में जूतों का निर्माण

†*५७०. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार युद्ध-सामग्री कारखानों में सशस्त्र सेनाओं के लिये जूतों के निर्माण करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना किस प्रक्रम पर है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) और (ख). हारनेस और सैडलरी फैक्टरी, कानपुर में वर्तमान अनुपयुक्त उत्पादन क्षमता का उपयोग करने के लिये इस कारखाने में सेना बूटों का निर्माण करने का फैसला किया गया है। इस क्षमता से लगभग आधी प्रतिरक्षा आवश्यकता पूरी हो जायेगी। बाकी जूतों का बाजार से खरीदा जाना जारी रहेगा।

जम्मू तथा काश्मीर का पुरातत्वीय विभाग

†*५७१. श्री शिवनंजप्पा :
श्री पांगरकर :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने जम्मू तथा काश्मीर सरकार के पुरातत्वीय विभाग को अपने हाथ में लेने का फैसला किया है ;

(ख) यदि हां, तो यह कब लिया जायेगा ; और

(ग) उसके क्या कारण हैं ?

मू ग्रेज़ी में

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

आदिवासियों की ऋणग्रस्तता

†*५७२. **श्री पाणिग्रही** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री २१ अप्रैल, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १९४५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने आदिवासियों के तीन वर्ष पुराने ऋणों की कुल राशि बता दी है जो कि बट्टे खाते डाली जानी है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी कुल राशि कितनी है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

रूपकुंड झील

*५७३. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री ४ मई, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या २१९३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या रूपकुंड झील के पास पाये गये मानवीय अवशेषां के बारे में अन्तिम रिपोर्ट इस बीच तैयार हो गई है ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : जी, हां और इस की एक कापी संसद के पुस्तकालय को भज दी गई है ।

युद्ध-सामग्री कारखानों में प्रशिक्षित कुत्ते

†*५७४. **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री सरजू पांडे :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि युद्ध सामग्री कारखानों में सुरक्षा व्यवस्था के एक भाग के रूप में ो ज.ना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह कब क्रियान्वित की जायेंगी ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). प्रयोगात्मक रूप में चार कुत्तों को छः महीने तक प्रशिक्षित करने और प्रशिक्षण के बाद उन को सुरक्षा कार्य के लिये छः महीने तक चुने हुए कारखानों में रखने का प्रस्ताव है । इस अवधि में परिणाम देखे जायेंगे । कुत्तों के अभिजनन और प्रशिक्षण और परीक्षणात्मक कार्य के लिये सेना द्वारा दो स्थानों में प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

भाषाई अल्पसंख्यक

†*५७५. **श्री आचार** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद् की मिनिस्टिरियल कमेटी ने मद्रास, आन्ध्र, मैसूर और केरल के राज्यों में भाषाई अल्पसंख्यकों के परित्राणों पर विचार किया था;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा क्या प्रमुख निर्णय किये गये ;

(ग) क्या सब निर्णय एकमत से किये गये थे ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). समिति ने दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद् को अभी अपना प्रतिवदन नहीं दिया है ।

सनावर पब्लिक स्कूल

†*५७६. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि क्या सनावर के पब्लिक स्कूल में निश्चित प्रतिशतता के अनुसार कुछ स्थान प्रतिरक्षा कर्मचारियों के बच्चों के दाखले के लिये रक्षित रखे जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो स्कूल के खर्च में प्रतिरक्षा मंत्रालय कितना अंशदान कर रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, हां ।

(ख) शून्य ।

(ग) स्कूल पब्लिक स्कूल के रूप में चलाया जाता है, और वह आत्म निर्भर है ।

आसाम परिष्करणी के लिये भूमि का अर्जन

†*५७७. **श्री ल० अचौ सिंह** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल परिष्करणी के लिये नूनमती, गोहाटी में पर्याप्त भूमि उपलब्ध कर दी गयी है; और

(ख) यदि हां, तो कुल कितना क्षेत्र अपेक्षित है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी, अभी नहीं ।

(ख) लगभग ३०० एकड़ ।

ब्रिटेन में भारतीय क्रिकेट टीम

†*५७८. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन का ध्यान इंगलैंड का दौरा कर रही भारतीय क्रिकेट टीम की ब्रिटिश आलोचकों द्वारा की गई आलोचना की ओर दिलाया गया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या इस दिशा में सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** :(क) जी, हां ।

(ख) सरकार को कोई कार्यवाही नहीं करनी थी ।

देवनागरी लिपि

†*५७९. **श्री बी० च० शर्मा :**
श्री बर्मन :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री भक्त दर्शन :
श्री हेम राज :

क्या **शिक्षा** मंत्री २ मार्च, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ७७१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि देवनागरी लिपि को पुनरीक्षित करने के प्रश्न पर अन्तिम फैसला करने के बारे में और क्या प्रगति हुई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : ८ और ९ मार्च, १९५९ को हुए शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन ने देवनागरी लिपि में सुधार के प्रश्न पर विचार किया और १९५७ के सम्मेलन द्वारा संशोधित १९५३ के लखनऊ सम्मेलन की सिफारिशें, कुछ स्पष्टीकरण के साथ, स्वीकार कर लीं ।

कथारा कोयला खान[1]

†*५८०. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री २५ फरवरी, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ६२४ के उत्तर के समबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कथारा कोयला खान से कोयले का लदान करने के लिये रेलवे साइडिंग पूरी बन गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह कोयला खान अब ३०,००० टन के हिसाब से वाणिज्य स्तर पर कोयला भेज सकती है ।

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**:(क) ३०,००० टन प्रति मास लदान की क्षमता वाली एक अस्थायी रेलवे साइडिंग मई, १९५९ के अन्त तक पूरी हो गई थी । पूरी साइडिंग मार्च, १९६० के अन्त तक बनेगी ।

(ख) जी, हां । कोयले का लदान वास्तव में जून, १९५९ से आरम्भ हुआ ।

हैदराबाद में सैनिक शिक्षा के लिये स्कूल[2]

†*५८१. **श्री शिवनंजप्पा :**
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हैदराबाद में लैंड एयर वारफेयर स्कूल के लिये कोई स्थान चुन लिया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Kathara Colliery.

[2]Land Air Warfare school.

(ख) यदि हां, तो स्कूल औपचारिक रूप से कब खोला जायेगा, और

(ग) स्कूल को दिल्ली से हटाने के क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) जी, हां ।

(ख) स्कूल को इस सितम्बर में खोलने का विचार है ।

(ग) दिल्ली में इस स्कूल को स्थापित करने का कभी भी इरादा नहीं था । स्कूल के लिये एक उचित स्थायी जगह मिलने तक प्रशिक्षण के लिये पाठ-चर्या (सिलेबस) आदि तैयार करने के लिये यह बिलकुल अस्थायी तौर पर काम चलाऊ कर्मचारिवर्ग नियुक्त कर के दिल्ली में स्थापित किया गया था ।

मनीपुर का तामेंगलांग सब-डिवीजन

†*५८२. **श्री ले० अची सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर के तामेंगलांग सब-डिवीजन का कुछ क्षेत्र 'अशान्त क्षेत्र'[1] घोषित कर दिया गया है ;

(ख) क्या गांवों पर सामूहिक जुर्माना किया गया है;

(ग) यदि हां, तो उन गांवों से जुर्माने के रूप में कितना धन वसूल किया गया है; और

(घ) क्या जन और सम्पत्ति की रक्षा के लिये इन गांवों में सशस्त्र पुलिस भेज दी गयी है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)**: (क) जी, हां । सब-डिवीजन में चार गांव 'अशान्त क्षेत्र' घोषित किये गये हैं ।

(ख) जी, नहीं । जिम्मेवार व्यक्तियों से पुलिस अधिनियम, १८६१ के अधीन देय परिव्यय का केवल एक भाग वसूल किया जावेगा ।

(ग) कुछ नहीं ।

(घ) दो गाँवों में सशस्त्र पुलिस भेज दी गई है और अन्य दो गांवों में भी पुलिस भेजने के लिये कार्यवाही की जा रही है ।

उड़ीसा में लौह-अयस्क के निक्षेप

†*५८३. **श्री पाणिग्रही** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा में लौह-अयस्क के निक्षेपों के सरकार द्वारा विदोहन के लिये उपयुक्त क्षत्रों की सिफारिश करने के लिये एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गयी थी;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ग) सरकार द्वारा विदोहन के लिये उड़ीसा में कौन से लौह-अयस्क वाले क्षेत्रों के रक्षित रखे जाने की सिफारिश की गई है; और

(घ) क्या प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जावेगी ?

खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) और (ख). जी, हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Disturbed Area

(ग) समिति ने क्योंझार और सुन्दरगढ़ जिलों में होरोमतो-गुआली, कंडाधारा पहाड़ और मलांग टोला खंडों और मयूरभंज जिला और कटक जिले के कुछ भागों के रक्षित रखे जाने की सिफारिश की है ।

(घ) जी, नहीं । प्रतिवेदन बिल्कुल प्रशासनिक तरीके का है ।

भारत के राज्य बैंक की पंजाब में शाखायें

†१०२६. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब राज्य में भारत के राज्य बैंक की अब तक कितनी शाखायें खोली गई हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मुरारजी देसाई) :** १ जुलाई, १९५५ और ३१ जुलाई, १९५९ के बीच भारत के राज्य बैंक ने पंजाब में बीस शाखायें खोली हैं ।

विदेशी सार्थ

†१०२७. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८-५९ में भारत में विदेशी सार्थों ने लाभ की कितनी धनराशि भेजी ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** प्रारम्भिक प्राक्कलनों के अनुसार १९५८-५९ में विदेशी सार्थों की शाखाओं के लाभ और विदेशी नियंत्रणाधीन भारतीय संयुक्त स्कन्ध समवायों के लाभांश के खाते में २४.२४ करोड़ रुपये भेजे गये ।

जम्मू तथा काश्मीर में चूने का पत्थर

†१०२८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू तथा काश्मीर में चूने के पत्थर की उपलब्धता की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) क्या चूने के पत्थर के पाये जाने के बारे में कोई ब्यौरेवार जांच की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी जांच का क्या ब्यौरा है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) जम्मू तथा काश्मीर के बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग, उरी, ऊधमपुर और पुंच जिलों में चूने के पत्थर के बहुत निक्षेप हैं ।

(ख) और (ग). जी, हां । हाल ही में (१९५३—५८ में) पता लगाये गये चूने के पत्थर के निक्षेपों के बारे में ब्यौरा निम्न प्रकार है :

(१) जंगलगली, ऊधमपुर जिले के समीप रियासी डोम : जंगलगली के समीप पता लगाये गये चूने के पत्थर में मैग्नेशिया बहुत है ।

(२) बरीनाग, दोरु, नाउपुर और जाम, ऊधमपुर जिला के समीप : २०० फुट की गहराई तक चूने के पत्थर के रिजर्व १९८.० लाख टन के हैं जिस में से काम में आने योग्य रिजर्व १३२ लाख टन होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(३) कटरा, चेनियारा और रियासी, होकर मुलताल से सलाल तक, अगहर और गरन, ऊधमपुर जिला : अगहर और सरन के समीप के थोड़े से निक्षेप के अतिरिक्त बाकी चूने के पत्थर की पट्टी में मेगनेशियम अधिक है ।

(४) बाघमारी नाला, कुनान बाडा गुंड, नैधाल, मदार, एरिन, गुंड-ए-सुन्दर कूट, बारामूला जिला : इन स्थानों से चूने के पत्थर का कुल रिज़र्व लगभग २०० लाख टन होगा ।

(५) सलाल से कन्थान, ऊधमपुर जिला और प्रेस, रियासी तहसील : यह अनुमान लगाया गया है कि ५० फुट की औसतन मोटाई के साथ साथ ५० फुट की कार्य-योग्य गहराई पर इस पट्टी में ६म मैग्नेशिया वाला १०० लाख टन चूने के पत्थर के रिज़र्व हैं ।

सारनाथ के स्मारक

†१०२९. **श्री दी० च० शर्मा :**
श्री पांगरकर :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ में सारनाथ के स्मारकों के संधारण पर कितना धन खर्च किया गया ; और

(ख) इस कार्य के लिये १९५९-६० में कितनी व्यवस्था की गई है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) २९,०४२ रुपये ।

(ख) २६,८६५ रुपये ।

पंजाब में आई० ए० एस० और आई० पी० एस० पदाधिकारी

†१०३०. **श्री दी० चं० शर्मा**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५४-५५, १९५५-५६, १९५६-५७, १९५७-५८ और १९५८-५९ में (वर्षवार) पंजाब राज्य में सीधी भर्ती और पदोन्नति द्वारा कितने आई० ए० एस० और आई० पी० एस० पदाधिकारी नियुक्त किये गये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** :

वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा		पदोन्नति द्वारा	
	आई० ए० एस०	आई० पी० एस०	आई० एस० एस०	आई० पी० एस०
१९५४–५५ . .	३	३	–	२
१९५५–५६ .	१	४	७	२
१९५६–५७ . .	३	२	४	२
१९५७–५८ . .	३	५	२९	२
१९५८–५९ . .	८	२	७	५

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब उच्च न्यायालय में लेख याचिकायें

†१०३१. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६५६ में अब तक पंजाब उच्च न्यायालय द्वारा कितनी लेख याचिकायें और बन्दी प्रत्यक्षीकरण आवेदन-पत्र स्वीकार किये गये ;

(ख) उन में से कितने निपटा दिये गये हैं और कितने लम्बित हैं ; और

(ग) कितने मामलों में फैसले सरकार के विरुद्ध किये गये ?

†**गृह-कार्यमंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है जिस में अपेक्षित जानकारी दी हुई है ।

विवरण

मामलों की श्रेणी	(३१-७-५६ तक) वर्ष १६५६ में स्वीकृत	३१-७-५६ तक निपटाये गये मामलों की संख्या	१-८-५६ को लंबित मामलों की संख्या	उन मामलों की संख्या जिन में फैसले सरकार के विरुद्ध किये गये थे
१	२	३	४	५
लेख याचिकायें	७५६	७०	६८६	१७
बन्दी प्रत्यक्षी-करण आवेदन-पत्र	२२	१६	३	४
कुल	७७८	८६	६८६	२१

भारत में पंजीकृत विदेशी

†१०३२. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ अगस्त, १६५६ को (देश-वार) भारत में पंजीकृत विदेशियों की क्या संख्या था ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिस में उपलब्ध नवीनतम जानकारी दी हुई है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७६]**

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश

†१०३३. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री जगदीश अवस्थी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १६५८ और १६५६ में अब तक (राज्य-वार) उच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीश नियुक्त किये गये हैं ?

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री बातार)** : सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिस में अपेक्षित जानकारी दी हुई है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ८०**

आय-कर से छूट

†**१०३४. श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में कुल कितने औद्योगिक समवायों और संयुक्त स्कन्ध समवायों को आय-कर से छूट दी गई है ; और

(ख) प्रत्येक मामले में छूट दिये जाने के क्या कारण हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). किसी भी समवाय को ऐसी छूट नहीं दी गई है । तथापि, १९५६-५७ और १९५८-५९ के वित्तीय वर्षों में केवल दो समवायों को भारतीय आय-कर अधिनियम, १९२२ की धारा १५ ग के अधीन लाभ प्राप्त हुआ है ।

जीवन बीमा निगम द्वारा दावों का भुगतान

†**१०३५. श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में (ज़ोन-वार) जीवन बीमा निगम द्वारा कितनी धनराशि के दावों का भुगतान किया गया ; और

(ख) मृत्यु के दावों के रूप में कितने धन का भुगतान किया गया ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क)

जोन	भुगतान किये गये दावे (लाख रुपयों में)
मध्य	१७.५६
पूर्वी	५६०.३९
उत्तरी	१८६.५२
दक्षिणी	१९९.५७
पश्चिमी	१४०५.५३
कुल	२३६९.५७

जोन (ख)

	मृत्यु द्वारा
मध्य	४.००
पूर्वी	१९१.१०
उत्तरी	५२.८७
दक्षिणी	४८.८१
पश्चिमी	३८६.७८
कुल	६८३.५६

†मूल अंग्रेजी में

बम्बई राज्य को लोहे और जस्ते की चादरों का आवंटन

†१०३६. **श्री पांगरकर** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५९-६० में बम्बई राज्य को लोहे और जस्ते की चादरों का कितना अभ्यंश आवंटित किया गया; और

(ख) अब तक कितनी मात्रा उठाई जा चुकी है ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) आवंटन तीन महीने बाद किया जाता है। ३० जून, १९५९ को समाप्त होने वाली तिमाही में १२,२८९ टन पालिश की हुई नालीदार और प्लेन चादरें आवंटित की गयी हैं।

(ख) अप्रेल से जून, १९५९ तक २,७८८ टन चादरें भेजी गई।

बम्बई राज्य में चन्दा के निकट लौह-अयस्क के लिये भू-भौतिकीय सर्वेक्षण

†१०३७. **श्री पांगरकर** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई राज्य में चन्दा के निकट लौह-अयस्क के लिये भू-भौतिकीय सर्वेक्षण किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

स्टेनलेस स्टील का आयात

†१०३८. **श्री पांगरकर** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९ की प्रथम छमाही में भारत में कितने मूल्य के स्टेनलेस स्टील का आयात किया गया; और

(ख) इस पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). ५९,७९,७४९ रुपये के मूल्य का ११२१ टन।

मैट्रिकुलेटों और ग्रेजुएटों की संख्या

†१०३९. **श्री हेम राज** : क्या **शिक्षा** मंत्री उन मैट्रिकुलेटों, एफ० ए०, एफ० एस० सी, बी० ए० और बी० एस० सी०, लॉ ग्रेजुएटों, मेडिकल ग्रेजुएटों, एग्रीकल्चर ग्रेजुएटों, वेटरीनरी ग्रेजुएटों, फ़ारेस्ट ग्रेजुएटों और विभिन्न श्रेणियों के फ़ारेस्ट ग्रेजुएटों की संख्या बताने की कृपा करेंगे जिन्होंने १९५९ में परीक्षा पास की ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : वर्ष १९५९ के लिये अपेक्षित जानकारी उपलब्ध नहीं है। तथापि, सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें वर्ष १९५७ के लिये उपलब्ध नवीनतम जानकारी दी हुई है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ८१]**

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब के लिये जिला विवरणिकायें[1]

†१०४०. **श्री हेम राज** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला और राज्य विवरणिकायें बनाने के लिय पंजाब सरकार को १९५८-५९ में कितना धन दिया गया है और १९५९-६० में कितना धन दिया जावेगा ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : पंजाब सरकार को जिला विवरणिकायें बनाने के लिये १९५८-५९ में कोई धन नहीं दिया गया क्यों कि उन्होंने अभी कोई विवरणिका नहीं निकाली है।

वर्ष १९५९-६० में राज्य सरकार को उन विवरणिकाओं के बारे में जो कि केन्द्र द्वारा निर्धारित स्तर और तरीके के अनुरूप केन्द्रीय संगठन द्वारा अनुमोदित किये गये हों, संकलन कार्य पर किये गये खर्च का ४०प्रतिशत या प्रति जिला ६२११ रुपये का सहाय्य अनुदान, जो भी कम होगा देगी। पंजाब सरकार को जिला विवरणिका के मुद्रण पर किये गये व्यय का ४० प्रतिशत अनुदान भी दिया जायेगा।

उड़ीसा को इस्पात का आवंटन

†१०४१. **श्री बै० च० मलिक** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ में उड़ीसा को कितना इस्पात आवंटित किया गया;

(ख) १९५८-५९ में इस सम्बन्ध में राज्य की कितनी मांग थी;

(ग) क्या उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष के लिये केन्द्रीय सरकार से लोहे की मांग की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) उड़ीसा राज्य को आवंटित किये गये इस्पात का ब्योरा निम्नलिखित है :—

	टन
लट्ठे तथा टुकड़े (ब्लूम्स व बिलट्स) . . .	२३
हेवी स्ट्रक्चरल इस्पात	५८९
लाइट स्ट्रक्चरल इस्पात, छड़ें (बार) तथा सरिया (रौड) .	११,२१८
काली चादरें (सादी) . . .	९४४
धातू चढ़ी हुई चादरें (सादी) . . .	५६५
धातू चढ़ी हुई चादरें (नालीदार) . .	२,७३९
प्लेटें	२४८
तार	७८२
गोल पट्टे (हूप्स) तथा पत्तियां (स्ट्रिप्स) . .	१००
कुल . .	१७,२०८

†मूल अंग्रेजी में

[1]District Gazetteers.

(ख) राज्य सरकार ने कुल २३,७१५ टन इस्पात की मांग की थी।

(ग) और (घ). जी, नहीं। संभवतः माननीय सदस्य कच्चे लोहे के सम्बन्ध में पूछ रहे हैं। कच्चा लोहा तो इस समय अपनी आवश्यकताओं के लिये कोई भी व्यक्ति मंगवा सकता है और उसके लिये किसी प्रकार की इजाजत की जरूरत नहीं है।

ग्राम्य उच्च शिक्षा

†१०४२. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्राम्य संस्था समिति (कमिटी ऑन रूरल इंस्टीट्यूट्स) की सिफ़ारिशों को ध्यान में रखते हुए ग्राम्य उच्च शिक्षा योजना पर पुनर्विचार किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) और (ख). इस मंत्रालय द्वारा बुनियादी कृषि स्कूलों, मंजरी के ढंग के स्कूलों, जनता कालेजों तथा ग्राम्य संस्थाओं के कार्य के सम्बन्ध में रिपोर्ट देने के लिये नियुक्त की गयी "ग्राम्य शिक्षा समिति" द्वारा की गयी सिफ़ारिशें ग्राम्य उच्च शिक्षा परिषद् की राष्ट्रीय परिषद् को, उसकी २८ जुलाई, १९५९ को नई दिल्ली में हुई बैठक में निर्दिष्ट की गई थीं। ग्राम्य संस्थाओं में चलाये जा रहे विभिन्न पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में रिपोर्ट में दिये गये सुझाव परिषद् द्वारा विभिन्न अध्ययन बोर्डों को भेज दिये गये हैं। आशा है कि उन बोर्डों की बैठक अक्तूबर, १९५९ में होगी।

कुमारी मृदुला साराभाई की रिहाई

१०४३. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुमारी मृदुला साराभाई को २ अगस्त, १९५९ को जेल से रिहा कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस पर लगाये गये आरोप निराधार सिद्ध हुए या उसे किन्हीं शर्तों पर रिहा किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) जी हां।

(ख) उनको प्रिवेन्टिव डिटेंशन एक्ट के मातहत नजरबन्द रखा गया था। उनके खिलाफ कोई मुकदमा दायर नहीं किया गया, इसलिए किसी "आरोप" के निराधार साबित होने का सवाल नहीं उठता। उन्हें २ अगस्त, १९५९ को बिना किसी शर्त के रिहा कर दिया।

रूरकेला इस्पात परियोजना

†१०४४. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूरकेला इस्पात परियोजना के सेक्टर ४, ६ और १८ में जल निस्सारण कार्य[1] के लिये मंगवाये गये टेण्डरों में से सब से कम राशि वाले टेण्डर को स्वीकार नहीं किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Sewer Work.

(ग) जिस पार्टी का टेण्डर स्वीकार किया गया है, उसका क्या नाम है ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) से (ग). मेसर्स कलकत्ता कन्स्ट्रक्शन कम्पनी का टेण्डर स्वीकार किया गया था। उसका टेण्डर सब से कम राशि वाले टेण्डर से दूसरे नम्बर पर था। उसे इसलिये स्वीकार किया गया था कि सब से कम राशि वाला टेण्डर देने वाली पार्टी के पास पहले ही बहुत काम था और उसने वह काम समय पर पूरा नहीं किया था।

कुतब मीनार

†**१०४५. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कुतब मीनार के बाहर 'फ्लड लाइट' लगाने के सम्बन्ध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: कुतब मीनार के बाहर 'फ्लड लाइट' लगाने के सम्बन्ध में और भी प्रयोग किये गये थे; उन प्रयोगों से यह ज्ञात हुआ है कि सब से पहले मीनार के चारों ओर बिजली की मुख्य लाइनें लगानी आवश्यक हैं। इस के लिये प्राक्कलन तैयार कर लिये गये हैं और उन पर विचार किया जा रहा है।

अतिरिक्त उत्पादन शुल्क

†**१०४६. श्री राधा रमण** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ मार्च, १९५७ से १३ दिसम्बर, १९५७ तक और १४ दिसम्बर, १९५७ से ३१ मार्च, १९५८ तक की अवधि में वस्त्र, चीनी और तम्बाकू के सम्बन्ध में उत्पादन तथा अतिरिक्त उत्पादन शुल्क के रूप में कितनी राशि एकत्रित की गई थी;

(ख) क्या १९५८-५९ में सरकार ने वस्त्र के बिक्री कर और केन्द्रीय बिक्री कर को उत्पादन-शुल्क के साथ मिला कर जितनी राशि एकत्रित की है, वह १९५७-५८ में अलग अलग रूप में एकत्रित किये गये बिक्री कर, केन्द्रीय बिक्री कर और उत्पादन शुल्क की राशि से अधिक है; और

(ग) यदि हां, तो कितनी अधिक राशि एकत्रित की गई है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) उत्पादन शुल्क की राशियों के आंकड़े मासिक आधार पर रखे जाते हैं, वे किसी मास के किसी भाग के आधार पर नहीं रखे जाते। इसलिये उक्त दो अवधियों के सम्बन्ध में अलग अलग आंकड़े बताना असंभव है। १९५७-५८ में उक्त तीनों वस्तुओं पर एकत्रित किये गये उत्पादन तथा अतिरिक्त उत्पादन शुल्कों के आंकड़े निम्नलिखित विवरण में निहित हैं :—

विवरण

वस्तु का नाम	मूल उत्पादन शुल्क	अतिरिक्त उत्पादन शुल्क	टिप्पण
	रुपये	रुपये	
वस्त्र	६०,४५,४९	६,९३,६९*	*अतिरिक्त उत्पादन शुल्क
चीनी	३८,९१,१६	३,६०,३५*	केवल १४-१२-५७
तम्बाकू तथा उस की वस्तुएं	४३,७५,०९	२,०५,०३*	से ही प्रारभ हुआ है।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) और (ग). क्योंकि राज्यों द्वारा एकत्रित किये जाने वाले उत्पादन शुल्क के आंकड़े वस्तु-वार नहीं रखे जाते, इसलिये १९५८–५९ के अतिरिक्त उत्पादन शुल्क के आंकड़ों की १९५७–५८ के बिक्री कर से तुलना नहीं की जा सकती।

अस्पृश्यता निवारण सम्बन्धी प्रचार

†१०४७. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५९–६० में देश में अस्पृश्यता निवारण सबन्धी प्रचार करने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों को कितनी कितनी राशि आवंटित की गयी ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा):** सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ८२]**

उच्चन्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति

†१०४८. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री दामानी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री २५ फरवरी, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ६४९ के उत्तर के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राज्य सरकारों से उन व्यक्तियों की सूची प्राप्त हो गयी है जो कि उच्चन्यायालयों में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य हैं;

(ख) यदि हां, तो पंजाब सरकार द्वारा कितने व्यक्तियों के नाम भेजे गये हैं ; और

(ग) क्या स्वीकृत व्यक्तियों की अन्तिम सूची तैयार कर ली गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार):** (क) सभी राज्यों से अभी तक सूचियां प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ख) पंजाब से अभी तक सूची प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

१९६१ की जनगणना

†१०४९. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री अ० मु० तारिक :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री पहाड़िया :
श्री कालिका सिंह :
श्री आचार ।

क्या **गृह-कार्य** मंत्री १७ फरवरी, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ३२३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६१ की जनगणना के सम्बन्ध में और क्या क्या तैयारी की जा चुकी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : सिवाय जम्मू तथा काश्मीर के शेष सभी राज्यों के 'सुपरिन्टेन्डेन्ट्स आँफ सेंसस आपरेशन्स' ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। आशा है कि जम्मू तथा काश्मीर का अधिकारी भी अपना कार्य शीघ्र संभाल लेगा। संघ राज्य-क्षेत्रों के लिये जनगणना कार्य के प्रभारी अधिकारी चुन लिये गये हैं और सिवाय दो के शेष सभी अधिकारियों ने अपना अपना कार्य संभाल लिया है। आशा है कि इस बार आसाम के सभी अदिम जातीय भागों में भी जनगणना की जायेगी। उस के लिये सभी प्रभारी अधिकारी चुन लिये गये हैं और उन्हों ने अपना काम संभाल लिया है।

२. राज्य सांख्यिकीय ब्यूरों तथा अन्य विशेषज्ञ अभिकरणों ने जनगणना सम्बन्धी प्रश्नावली तथा अन्य अनुसूचियों के प्रथम प्रारूप का परीक्षण कर लिया है। प्रथम परीक्षण के परीणामों को ध्यान में रखते हुए एक दूसरा प्रारूप तैयार किया गया है, जिस का सभी सुपरिन्टेंडेंटों द्वारा परीक्षण किया जा रहा है। यह परीक्षण अगस्त मास के अन्त तक कर लिया जायेगा। परीक्षण पूरा हो जाने के बाद सितम्बर के मध्य में नयी दिल्ली में सभी जनगणना सुपरिन्टेंडेंटों का एक सम्मेलन बुलाने का विचार है तब तक सभी सुपरिटेंडेंट अपने अपने क्षेत्रों का दौरा पूरा कर लेंगे और जनगणना कार्य के बारे में पर्याप्त ज्ञान तथा जानकारी प्राप्त करलेंगे। इस सम्मेलन में जनगणना सम्बन्धी अनुसूचियों और कार्यक्रम को अन्तिम रुप से तय कर लिया जायेगा।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूची

†१०५०. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री बै० च० मलिक :
श्री सिदग्या :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री १६ अप्रैल, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १८६१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंग कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूची पर पुनर्विचार करने के सम्बन्ध में, और कितनी प्रगति हुई है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)**: उत्तर प्रदेश सरकार से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के सम्बन्ध में और केरल सरकार से अनुसूचित जातियों के सम्बन्ध में सुझाव प्राप्त हुए हैं और वे विचाराधीन हैं।

जिन राज्यों से अभी तक सुझाव नहीं आये हैं उन्हें इस के लिये फिर से स्मरण करा दिया गया है।

गुरदासपुर में श्रम तथा समाज सेवा कैम्प

†१०५१. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९ में (३० जून, १९५९ तक) पंजाब राज्य के गुरदासपुर जिले में केन्द्रीय सहायता से विद्यार्थियों तथा अन्य युवकों के लिये कौन कौन से श्रम तथा समाज सेवा शिविर लगाये गये थे;

(ख) उन पर कितनी राशि खर्च की गयी थी और उन में किस किस प्रकार के कार्य किये गये थे; और

(ग) १९५९ के उत्तरार्द्ध में इस प्रकार के कौन कौन से कैम्प लगाये जायेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) से (ग). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ८३**]

दिल्ली के ग्रामों के लिये कालेज

†१०५२. {**श्री डी० चं० शर्मा :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **शिक्षा** मंत्री २९ अप्रैल, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या २१०० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के ग्रामों में रहने वाले विद्यार्थियों की सुविधा के लिये वहां पर कालेज चलाने के सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है; और

(ख) उसका क्या ब्योरा है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) २९ अप्रैल, १९५९ को तारांकित प्रश्न संख्या २१०० के उत्तर में यह बता दिया गया था कि सरकार इस प्रकार की किसी भी योजना पर विचार नहीं कर रही है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

माध्यमिक स्कूलों के शिक्षक

†१०५३. **श्री डी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७-५८, १९५८-५९ और १९५९-६० में केन्द्रीय सरकार द्वारा माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों के वेतन क्रमों को बढ़ाने के लिये प्रत्येक राज्य सरकार को कुल कितना अनुदान दिया गया है; और

(ख) क्या सभी राज्यों ने उन अनुदानों का पूरा पूरा इस्तेमाल किया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क)

१९५७–५८	रुपये
आसाम	७,५०,०००
बम्बई	८,७३,०००
बिहार	५,७५,०००
मद्रास	७,८४,५००
मध्य प्रदेश	४,६८,७५०
मैसूर	७,५०,०००
पश्चिमी बंगाल	१,२५,०००
उड़ीसा	९,०००
केरल	३६,५००
कुल	४३,७२,२५०

†मूल अंग्रेजी में

१९५८-५९

माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी उन सभी योजनाओं के लिये, जिनके लिये केन्द्र की ओर से सहायता दी जाती है, इस वर्ष तदर्थ अनुदान एक मुश्त दिये गये थे। इसलिये यह बताना संभव नहीं है कि उस वर्ष माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों के वेतन बढ़ाने के लिये कितनी कितनी राशि दी गयी थी। फिर भी इस सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित की जा रही है।

१९५९-६०

विभिन्न राज्यों की १९५९-६० की योजनाओं में इस प्रयोजन के लिये कुल १.७६ करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई है। इस में से केन्द्र की ओर से ८८ लाख रुपयों की राशि दी जायगी। क्योंकि इस समय राज्यों को प्रति मास राशि दी जाती है, इसलिये इस वर्ष के समाप्त हो जाने पर ही बताया जा सकेगा कि इस वर्ष कुल कितनी राशि दी जायेगी।

(ख) १९५७-५८ में किये गये खर्चों के सम्बन्ध में आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

	रुपये
आसाम	७,००,०००
बम्बई	७,२६,६८५
बिहार	११,०७,५००
मद्रास	७,८३,०००
मध्य प्रदेश	३,३७,५००
मैसूर	
पश्चिमी बंगाल	१,२४,०००
उड़ीसा	८,०००
केरल	५,०००
कुल	३७,९१,६८५

१९५८-५९ के सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित की जा रही है।

१९५९-६० के सम्बन्ध में प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता।

माध्यमिक शिक्षा स्तर पर तीन भाषाओं का अनिवार्य रूप में पढ़ाया जाना

†१०५४. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री भक्त दर्शन :
श्री श्रीनारायण दास :

क्या **शिक्षा** मंत्री २ मार्च, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ११५० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि शेष राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में माध्यमिक स्तर पर तीन भाषाओं को अनिवार्य रूप में पढ़ाये जाने की योजना की कार्यान्विति के सम्बन्ध में और कितनी प्रगति हुई है?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : मनीपुर प्रशासन ने दूसरे सत्र में निहित भाषा नीति को स्वीकार कर लिया है।

†मूल अंग्रेजी में

प्रतिरक्षा सामान का आयात

†१०५५. { **श्री बी० चं० शर्मा :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९-६० में अभी तक कितना प्रतिरक्षा सामान बाहर से मंगवाया गया है; और

(ख) इस सम्बन्ध में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है अथवा करने का विचार है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)**: (क) १९५९-६० में ३० जून, १९५९ तक विदेशों से कुल लगभग ११.८२ करोड़ रुपयों का सामान मंगवाया गया है ।

(ख) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिस में बताया गया है कि इस सम्बन्ध में देश को आत्म निर्भर बनाने के लिये क्या-क्या कार्यवाही की गयी है या करने का विचार है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ८४]**

स्नेहन तेल[1]

†**१०५६. श्री बी० चं० शर्मा :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री ३० मार्च, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १५५४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि बरौनी में स्थापित किये जाने वाले तेल शोधन कारखाने में स्नेहन-तेल बनाने के सम्बन्ध में इस समय क्या स्थिति है ?

†**खान तथा तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** मामला अभी विचाराधीन है ।

सैनिक डेरी फार्म सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट

†१०५७. { **श्री रा० च० माझी :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डेरी फार्मों, कृषि सैनिक फार्मों आदि की स्थापना की संभावनाओं पर विचार करने के लिये सरकार द्वारा नियुक्त की गयी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार कर लिया गया है;

(ख) समिति की मुख्य मुख्य सिफ़ारिशें क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार ने उन सिफ़ारिशों को स्वीकार कर लिया है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** (क) और (ग). आर० बी० एफ० सी० रीआर्गेनाइज़शन कमिटी की रिपोर्ट को कार्यान्वित करने के लिये उस पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) समिति की मुख्य मुख्य सिफ़ारिशें यह हैं कि 'रिमाऊण्ट्स एण्ड वेटरीनरी सर्विसेज़' को सैनिक फार्म विभाग से अलग कर दिया जाय; १०० एकड़ तथा उससे अधिक भूमि के निकट के खण्डों का खेती का काम फार्मों द्वारा स्वयं चलाया जाये; खेती मशीनों द्वारा की जाये; खेती के

†मूल अंग्रेजी में

[1]Lubricating Oil.

काम के लिये सैनिक फार्मों के समान प्रक्रिया अपनायी जाय और सैनिक फार्मों की लेखा पद्धति पर विचार करने के लिये एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की जाय। इसके अतिरिक्त कई और सिफारिशें भी हैं।

जन शक्ति निदेशालय को फोर्ड फाउंडेशन की ओर से अनुदान

†१०५८. **श्री रा० च० माझी :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जन शक्ति निदेशालय को अभी भी फोर्ड फाउन्डेशन की ओर से अनुदान दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके स्थापना काल से लेकर अब तक उसे कुल कितना अनुदान दिया जा चुका है; और

(ग) इस अनुदान का किस प्रकार उपयोग किया जाता है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, हां।

(ख) ३४,००० डालर।

(ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

खर्च का ब्यौरा	राशि
	डालर
(१) जन शक्ति सम्बन्धी पुस्तकों की एक सूची तैयार करने और जन शक्ति सम्बन्धी पुस्तके खरीदने पर किया गया खर्च	५०००
(२) दो थर्मो-फेक्स मशीनों की कीमत	१६००
(३) दो जन शक्ति सर्वेक्षणों, अर्थात् (१) औद्योगिक व्यवसायों के लिये शिक्षण एवं प्रशिक्षण की आवश्यकताओं सम्बन्धी सर्वेक्षण और (२) स्नातक रोजगार के "पैटर्न" सम्बन्धी सर्वेक्षण के लिये निर्धारित राशि सर्वेक्षण करना।	२१,४००
कुल	२८,०००
ऐसे कार्यों पर किये जाने वाले खर्च के लिये, जिन के बारे में पहले पता नहीं, होता और जनशक्ति के सम्बन्ध में अध्ययन करने के लिये अफसरों के विदेश जाने के लिये रखी गयी शेष राशि।	६,०००

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली के नगरीय क्षेत्र में भूमि की कीमतें

†१०५९. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के नगरीय क्षेत्रों में मकानों के निर्माण के लिये खरीदी जाने वाली भूमि की बढ़ती हुई कीमतों की समस्या पर विचार करने के लिये और इन कीमतों पर नियंत्रण रखने के हेतु सुझाव देने के लिये दिल्ली के चीफ कमिश्नर की अध्यक्षता में नियुक्त की गयी समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो उस में क्या क्या सिफारिशें की गई हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) जी, हां ।

(ख) वह अभी सरकार के विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में अन्तिम फैसला कर लेने के उपरान्त इस की एक प्रति सभा पटल पर रख दी जायगी ।

राष्ट्रीय झंडा

†१०६०. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन के मंत्रालय ने राष्ट्रीय झंड के उचित प्रयोग के सम्बन्ध में एक व्यापक संहिता तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उसे कब से लागू किया जायगा ।

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) से (ग). राज्य सरकारों के परामर्श से इस प्रकार की एक संहिता तैयार की जा रही है ।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के लिये विपणन संगठन

†१०६१. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के लिये एक विपणन संगठन स्थापित करने का प्रश्न इस समय किस स्थिति में है ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : कच्चे लोहे तथा अन्य वस्तुओं की बिक्री से काम को चलने के लिये रूरकेला तथा भिलाई परियोजनाओं में विक्रय विभाग स्थापित किये गये हैं। कच्चा लोहा और इस्पात, लोहा तथा इस्पात, नियंत्रक द्वारा आवंटित मात्राओं के अनुसार भेजा जाता है। भविष्य में विपणन सम्बन्धी सामान्य व्यवस्था को निर्धारित करने के सम्बन्ध में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड विचार कर रहा है ।

पंजाब में लौह-अयस्क

†१०६२. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में ५० प्रतिशत से अधिक लोहा पाये जाने वाले लौह-अयस्क के क्षेत्रों की खोज के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या लौह-अयस्क निक्षेपों के सम्बन्ध में कोई प्राक्कलन तैयार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उस का क्या ब्यौरा है ?

†**खान तथा तेल मंत्री (श्री के ०दे० मालवीय)**: (क) से (ग). जी, हां। भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण द्वारा रिकार्ड की गयी लौह-अयस्क सम्बन्धी जानकारी निम्नलिखित है :—

जिला	स्थान	मात्रा
महेन्द्रगढ़	१. छप्परा-आन्तरी–बिहालरीपुर जैनपुर	अनुमान है कि वहां पर लगभग २० लाख टन अयस्क है जिस में ६४ प्रतिशत लोहा है।
	२. धनौटा धनचोली	अनुमान है कि वहां पर १,५००,००० टन अयस्क है जिस में ५८.८ प्रतिशत लोहा है।

निवेली तापीय बिजलीघर

†१०६३. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री पांगरकर :
श्री सुब्बया अम्बलम् :
श्री मुरारका :
श्री श० च० गोखेरा :

क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री ५ मार्च, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ९२६ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक सोवियत संगठन के साथ निवेली तापीय बिजलीघर के संबंध में ड्राइंग्स, प्लांट और मशीनरी तैयार करने के बारे में एक संविदा करने के लिये जो बातचीत चल रही थी वह पूरी हो चुकी है;

(ख) यदि हाँ, तो इस का क्या परिणाम रहा है; और

(ग) क्या इस परियोजना की रिपोर्ट की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायगी ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी हां।

(ख) निवेली लिगनाइट निगम ने मेसर्स टेक्नोएक्सपोर्ट, मास्को के साथ १४ मार्च, १९५९ को एक करार किया है। यह फर्म निवेली के तापीय बिजलीघर के लिये कार्यकारी ड्राइंग्स तैयार कर के देगी जिन पर ४५ लाख रुपया लागत आने का अनुमान है। यह ड्राइंग्स हमें १९६० तक मिल जायेंगे ।

इसी संगठन के साथ ६ मई, १९५९ को एक और करार हुआ है जिस के अनुसार यह फर्म हमें निवेली के तापीय बिजली घर के लिये मद्रास तक के खर्च, बीमा और वस्तु भाड़ा सहित १२ करोड़ रुपये की लागत का प्लांट और मशीनरी सप्लाई करेगी। इस साज सामान की डिलीवरी नवम्बर १९५९ में शुरू होगी। और १९६१ की अन्तिम तिमाही तक पूरी हो जायगी।

(ग) सरकार का कोई ऐसा इरादा नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

पैट्रोलियम प्रौद्योगिकी सम्बन्धी प्रशिक्षण के लिये सुविधायें

†१०६४. श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० च० सामन्त :
श्री रा० च० माझी :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पैट्रोलियम प्रौद्योगिकी (टेनोक्लोजी) में प्रशिक्षण सुविधायें और अनुसन्धान का विस्तार करने लिये के क्या कदम उठाये गये हैं । या उठाये जाने का विचार है;

(ख) क्या सरकार एक पैट्रोलियम टेक्नोलोजी इंस्टीट्यूट की स्थापना के प्रश्न पर भी विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो यह प्रस्ताव किस स्तर पर है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबिर)**: (क) से (ग). धनबाद के इंडियन स्कूल आफ माइन्स एण्ड एप्लाईड जियालोजी में पैट्रोलियम टेक्नोलोजी का पहला डिग्री कोर्स शुरू किया गया है । इस में प्रति वर्ष २० विद्यार्थी दाखिल किये जाते हैं ।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् ने यह सिफारिश की है कि देश में पैट्रोलियम उद्योग के शीघ्रता से विकास के लिये एक पैट्रोलियम परिषद् की स्थापना की जानी चाहिये । इस सिफारिश पर विचार किया जा रहा है ।

यह सुझाव दिया गया है कि पैट्रोलियम परिषद् अन्य बातों के साथ निम्नलिखित विषयों पर भी विचार करे :

(१) कर्मचारियों का प्रशिक्षण, अनुसन्धान और जांच, दस्तावेजी और सूचना, विपणन, और पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में आर्थिक प्रश्नों पर विचार;

(२) वर्तमान और प्रस्तावित संस्थाओं में सुविधाओं और उन सुविधाओं के विस्तार की सम्भावनाओं पर विचार ; और

(३) नई सुविधायें, जिन में नई संस्थाओं का खोलना भी सम्मिलित है, देने के प्रश्न पर विचार ।

राष्ट्रीय अनुसंधान योजना

†१०६५. श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री भक्त दर्शन :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५९-६० के लिये राष्ट्रीय अनुशासन योजना तैयार कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना में उक्त अवधि में कितनी नई संस्थायें (राज्यवार) शामिल की जायेंगी और उन में कितने बच्चों को प्रशिक्षण दिया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां । १९५९-६० में इस योजना की कार्यान्विति के लिये बजट में २० लाख रुपये की व्यवस्था की गई है ।

(ख) नई संस्थाओं की तथा छात्रों की संख्या नीचे दी जाती है :

राज्य	स्कूलों की संख्या	बच्चों की संख्या
दिल्ली	१६	६,५६१
पंजाब	८०	४८,२६८
मध्यप्रदेश	३	१,०००
उत्तरप्रदेश	८	२,४५०
बम्बई	२५	५,०२०
पश्चिमी बंगाल	२६	५,१५०
जोड़	१५८	६८,४४९

चालू वर्ष में योजना के और विस्तार की भी सम्भावना है किन्तु उस के बारे में अभी कोई प्रस्ताव नहीं तैयार किया गया है ।

पंजाब सरकार का शिक्षा विकास कार्यक्रम

†१०६६. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के लिये सामान्य शिक्षा योजनाओं के बारे में अन्तिम विकास कार्यक्रम भेज दिया है और क्या केन्द्रीय सरकार ने उस की जांच कर ली है ;

(ख) इस कार्यक्रम का विस्तृत विवरण ; और

(ग) इस के बारे में क्या निश्चय किया गया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) १९५९-६० का कार्यक्रम मिल चुका है । १९६० के कार्यक्रम उस वर्ष के आरम्भ में मिलेंगे ।

(ख) एक विवरण संलग्न किया जाता है ।

विवरण

पंजाब राज्य शिक्षा विकास कार्यक्रम

वर्ग	१९५९-६० का परिव्यय (लाख रुपयों में)
प्रारम्भिक शिक्षा	१६४.८८
माध्यमिक शिक्षा	१०९.५२
विश्वविद्यालय शिक्षा	२९.३७
अन्य शिक्षा योजनायें	१७.५४
जोड़ (सामान्य शिक्षा योजनायें)	३२१.३१

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इस के लिये किसी निश्चय की आवश्यकता नहीं क्योंकि इस पर आने वाला परिव्यय अधिकतम सीमा के अन्दर है। राज्य सरकार इस को स्वयं कार्यान्वित कर सकती है।

वाणिज्यिक बैंक

†१०६७. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री राधा रमण :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात का कोई संकेत मिला है कि हमारे देश में वाणिज्यिक बैंक अब ग्रामीण ऋण कार्यक्रम को सफल बनाने के लिये हाथ बंटाने लगे हैं विशेष कर अब वे सहकारी विपणन समितियों, विधायन (प्रोसेसिंग) समितियों और अन्य सहकारी संस्थाओं का वित्त-पोषण करने लगे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो वे किस प्रकार से तथा किस सीमा तक हाथ बटा रहे हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) तथा (ख). उपलब्ध सूचना से यह पता चलता है कि स्टेट बैंक आफ इंडिया को छोड़ कर शेष वाणिज्यिक बैंकों ने ग्रामीण ऋण कार्यक्रम को सफल बनाने में कोई विशेष कार्य नहीं किया। देश में स्टोरेज और भाण्डागारों के विकास के उपरान्त अब ये बैंक भले ही लाइसेंसयुक्त भाण्डागारों की रसीदों पर सहकारी विपणन अथवा विधायन संस्थाओं को कुछ ऋण देने लगें।

टर्बो-जेट विमान

†१०६८. **श्री शिवनंजप्पा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार फ्रांस के नेवल टर्बो-जेट विमान ब्रेगवेट एलाइज़ के निर्माताओं से उक्त विमानों की खरीद के विषय में बातचीत कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो बातचीत का क्या परिणाम निकला है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) तथा (ख). इस प्रकार की जानकारी देना जन-हित में नहीं है और अभी इस सम्बन्ध में कोई फैसला भी नहीं हुआ है।

आकाशवाणी

†१०६९. **श्री शिवनंजप्पा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या 'आकाश-वाणी' के व्यय में बचत करने के लिये कोई जांच की जा रही है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : हाल ही में विशेष पुनर्गठन एकक ने, अपने सामान्य कार्य के अन्तर्गत, 'आकाशवाणी' का कार्य अध्ययन प्रारम्भ किया है।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम

†१०७०. **श्री पांगरकर** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री १७ फरवरी, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ३३४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के अधीन कोयला खानों में कर्मचारियों की समितियां बनाने में आगे क्या प्रगति हुई है ; और

---

†मूल अंग्रजी में

(ख) १९५९ की पहली छमाही में किन-किन कोयला खानों में ऐसी समितियां बनी हैं ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) कुरहारबाड़ी, कारगली और जरांगडाह की तीन पुरानी खानों में, जिन का तारांकित प्रश्न संख्या ३३४ में उल्लेख किया गया है, नई कर्मचारी समितियां बनाने के लिये प्रयत्न किया गया था किन्तु सम्बन्धित पार्टियों के द्वारा आपत्तियां उठाये जाने के कारण नई समितियां नहीं बनाई जा सकी हैं । इन आपत्तियों को प्रादेशिक श्रमिक आयुक्त के पास भेजना जरूरी था । नई कोयला खानों में ऐसी समितियां बनाने के लिये प्रारम्भिक कार्यवाही की जा रही है ।

(ख) १९५९ के पूर्वार्ध में कोई कर्मचारी समिति नहीं बनाई गई है ।

बम्बई राज्य में मेगनेसाईट के निक्षेप

†**१०७१. श्री पांगरकर** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में नान्देर जिले (बम्बई राज्य) की किनवात तहसील में मेगनेसाईट के काफी बड़े निक्षेप पाये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन की अनुमानित मात्रा ; और

(ग) क्या इस क्षेत्र में किसी और धातु के निक्षेप भी पाये गये हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) किनवात तहसील न्यूनाधिक दक्षिण के पठार से घिरी हुई है जिस में सामान्यतया आर्थिक महत्व की कोई धातु नहीं पाई जाती । किन्तु राज्य सरकार की खोज के फलस्वरूप उस क्षेत्र में मोहादा और दससौजी गांवों के पास चट्टानों में पाये जाने वाले चूने के पत्थर के बड़े-बड़े निक्षेप मिले हैं । इन निक्षेपों की मात्रा और किस्म के बारे में विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है ।

कुमाऊं में मेगनेशियम के निक्षेप

†**१०७२. श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश के कुमाऊं डिवीज़न में मेगनेशियम के निक्षेप पाये गये हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : वहां पर मंगनेशियम तो नहीं मिला है किन्तु अलमोड़ा जिले में सोमेश्वर के निकट मेगनेसाईट के कुछ निक्षेप पाये गये हैं । अनुमान लमाया गया है कि सोमेश्वर-बागेश्वर क्षेत्र में २३ लाख टन मेगनेसाईट और आगरा-गिरेचचीना क्षेत्र में ११ लाख टन मेगनेसाइट के रिज़र्व होंगे । सम्भवतया कुल रिज़र्व १०० लाख टन के लगभग हों ।

उड़ीसा में चूने का पत्थर

†**१०७३. श्री पाणिग्रही** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में चूने के पत्थर की उपलब्धि की क्या स्थिति है ?

(ख) क्या हाल ही में इसके बारे में कोई खोज की गयी है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इसका विस्तृत विवरण ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ८५]**

राज्यों के मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन

†१०७४. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री सं० अ० मेंहदी :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नई दिल्ली में १३ मई, १९५९ को हुई राज्यों के मुख्य मंत्रियों और शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में क्या निश्चय किये गये हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ८६]**

रूस से इस्पात का आयात

†१०७५. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री अ० मु० तारिक :
श्री विश्व नाथ राय :

क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री १६ अप्रैल, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३१४४ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस के साथ इस्पात के आयात के बारे में करार पर हस्ताक्षर हो चुके हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य शर्तें ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) तथा (ख). जी हां । इसके अन्तर्गत १९५९ में कुल २०४,००० मीटरिक टन इस्पात का निर्यात होगा जिसमें इस्पात के टुकड़े, फर्में, गोलियां, छड़ें और तारें आदि शामिल होंगी । इसका भुगतान भारतीय रुपये होगा । इसका मूल्य भारतीय बन्दरगाहों तक खर्च, बीमा, भाड़ा सहित आधार पर निश्चित किया गया है ।

मंत्रालयों में आदेशों, परिपत्रों और ज्ञापनों का हिन्दी में जारी किया जाना

१०७६. **श्री प्रकाश वीर शास्त्री** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में विभिन्न मंत्रालयों में कुल कितने आदेश, परिपत्र और ज्ञापन आदि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के सम्बन्ध में जारी हुए;

(ख) कितने आदेश आदि हिन्दी में जारी किये गये और कितने दोनों भाषाओं में; और

(ग) जो आदेश, परिपत्र आदि अंग्रजी में निकाले गये उनके हिन्दी अनुवाद न करने के, यदि कोई कारण हों, तो वे क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रजी म

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री बातार) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और जितनी जल्दी सम्भव होगा वह सभा पटल पर रख दी जायगी ।

ईसाई धर्मप्रचारक

१०७७. श्री प्रकाश वीर शास्त्री : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में कितने ईसाई धर्मचारक भारत आये;

(ख) क्या कुछ और विदेशी धर्मप्रचारकों ने भारत आने की अनुमति मांगी है;

(ग) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है; और

(घ) इस समय भारत में (राज्यवार) कितने ईसाई धर्मप्रचारक काम कर रहे हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री बातार) : (क) १९५८ में २२३ ऐसे धर्मप्रचारकों को भारत में आने के लिये वीसा मंजूर किये गये । इन में से कितने वास्तव में भारत में आये, यह सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ख) जी हां ।

(ग) इस साल में अब तक वीसा के लिए ३९० आवेदन-पत्र मिले हैं ।

(घ) मांगी गई सूचना का एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ८७]**

दुर्गापुर के इस्पात कारखाना क्षेत्र में आग लगने की दुर्घटना

†**१०७८. श्री सुबिमन घोष** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १६ मई, १९५९ को दुर्गापुर इस्पात कारखाने की एक श्रमिक बस्ती में आग लगने की दुर्घटना घटित हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस में कितनी हानि हुई;

(ग) इस आग में कितने घर जल गये और क्या इस में किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है अथवा कोई व्यक्ति घायल हुआ है; और

(घ) इस मामले में क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) से (घ). जी हां, दुर्गापुर के इस्पात कारखाने के क्षेत्र में १६ मई, १९५९ को एक अग्नि दुर्घटना हुई है जिसमें इस्कोन के उपठकेदार के कुछ आकस्मिक श्रमिकों द्वारा लगायी गयी झोंपड़ियां जल गयीं । इन लोगों को वहां पर झोंपड़ियां बनाने की कोई अनुमति नहीं दी गई थी । ये अस्थायी झोंपड़ियां कभी कभी काम पर आने वाले श्रमिकों द्वारा बहुत कम अर्से के लिये लगायी जाती हैं । इन घासफूस की झोंपड़ियों की सही संख्या का पता नहीं क्योंकि ये अनधिकृत रूप से लगायी गयी थीं । अग्नि कांड से पीड़ित लोगों की संख्या भी नहीं ज्ञात हो सकी है । लगभग ५००० रुपये की सम्पत्ति की हानि का अनुमान लगाया गया है और एक व्यक्ति के मरने की भी खबर मिली है । अन्य किसी व्यक्ति को चोट नहीं लगी । आग बुझाने के लिये परियोजना तथा ठेकेदारों के आग बुझाने के यंत्रों का तुरन्त उपयोग किया गया ।

---

†मूल अंग्रे जी में

"लोलिता" पुस्तक पर रोक

१०७९. श्री वाजपेयी :
श्री नारयण कुट्टी मेनन :
श्री सं० ग्र० मेहदी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री वी० नाबोकोव द्वारा लिखित "लोलिता" नामक पुस्तक की जो प्रतियां जयको प्रकाशन ने भारत में मंगाई थीं उन्हें चुंगी विभाग ने रोक लिया;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे; और

(ग) इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय करने में कितना समय लगा ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां। मेसर्स जयको प्रकाशन ने श्री व्लादीमीर नाबोकोव द्वारा लिखित "लोलिता" नामक पुस्तक की जो प्रतियां बम्बई बन्दरगाह पर मंगाई थीं उन्हें सीमा-शुल्क कलक्टर ने जांच के लिये वहीं रोक लिया था। बाद में इन प्रतियों के पार्सल को छोड़ दिया गया था।

(ख) समुद्री सीमा-शुल्क अधिनियम की धारा १८ के खण्ड (ग) के अनुसार, अश्लील समझी जाने वाली किसी भी पुस्तक, पुस्तिका, निबन्ध, रेखाचित्र, चित्र, प्रतिमा, आकृति या लेख को देश से बाहर से मंगाने की मनाही है। पार्सल को यह जांचने के लिए रोका गया था कि इसका मंगाया जाना मनाही के विरुद्ध तो नहीं है।

(ग) लगभग दो महीने।

राष्ट्रीय पर्वों पर खर्च

१०८०. श्री प्रकाश वीर शास्त्री : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५२ से १९५९ तक की अवधि में प्रति वर्ष २६ जनवरी और १५ अगस्त के राष्ट्रीय पर्वों पर सरकार ने कितना खर्च किया ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : एक विवरण संलग्न है, जिसमें १९५२ से लेकर १९५८ तक की सूचना दी है [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ८८**]। १९५९ का हिसाब-किताब अभी तैयार नहीं है।

पत्रकारों का निष्कासन

१०८१. श्री डामर : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दलाई लामा के भारत आने के बाद कितने विदेशी पत्रकारों (समाचार संवाददाताओं) को झूठी खबरें देने के कारण भारत से निकाल दिया गया है; और

(ख) उनमें से कितने संवाददाता साम्यवादी देशों के तथा कितने पश्चिमी देशों के थे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) एक भी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

हिन्दी

१०८२. श्री भक्त दर्शन : क्या **शिक्षा** मंत्री २३ मार्च, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १४६९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि हिन्दी को सरल बनाने के लिये इस बीच कौन से ठोस कदम उठाये गये हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : हिन्दी का विकास करने और उसे समृद्ध बनाने के कार्य में इस मंत्रालय ने जो बुनियादी सिद्धान्त अपनाये हैं उनमें एक यह है कि शब्दावली का आधार यथासंभव विस्तृत हो और वह अधिक से अधिक लोगों की समझ में आ सके । जब तक कि किसी विशेष संकल्पना को अपेक्षतया सरल भाषा में व्यक्त करना कठिन न हो जाय तब तक सरल शब्दों और वाक्यांशों को ही तरजीह दी जाती है । वैज्ञानिक, तकनीकी, तथा विधि और प्रशासन सम्बन्धी शब्दों और वाक्यांशों का अनुवाद करने के लिये यथार्थता को ही कसौटी मानना चाहिये ।

मूल हिन्दी शब्दों की दो सूचियां मन्त्रालय ने प्रकाशित की हैं, जो आसान होने के कारण अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के लिये हिन्दी की प्रथम पुस्तकें और पाठ्य पुस्तकें तैयार करने में उपयोगी होंगी ।

इस मंत्रालय के सभी प्रकाशनों की भाषा को, जहां तक संभव हो सका है, सरल रखने का निरन्तर प्रयत्न किया गया है । और यही बात इस मंत्रालय में अंग्रेजी से हिन्दी में किये गये अनुवाद पर भी लागू होती है, जिस में अन्य मन्त्रालयों का काम भी शामिल है ।

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन

†**१०८३. श्री केशव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघीय वित्त मंत्रालय के प्रतिपालन निर्देशालय[1] १९५९ के दौरान में अब तक विदेशीय मुद्रा विनियमन अधिनियम, १९४७ के उल्लंघन के कितने मामलों का निर्णय किया है;

(ख) इन मामलों में अब तक कुल कितना अर्थदंड दिया गया है;

(ग) इसमें से कितना रुपया वसूल हुआ है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) १३९, जुलाई, १९५९ के अन्त तक ।

(ख) ५६,४१,२६१ रुपये ।

(ग) ५५,८०,७८० रुपये ।

सवर्ण हिन्दुओं द्वारा भंगी का काम करना

†**१०८४. श्री बै० च० मलिक** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री १६ अप्रैल, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३१८९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त द्वारा सवर्ण हिन्दुओं द्वारा भंगी का काम किये जाने के बारे में की गयी सिफारिश के बारे में राज्य सरकारों की टीका-टिप्पणियां मिल गयी हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनका विस्तृत विवरण क्या है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

† मूल अंग्रेजी में

[1]Directorate of Enforcement.

राज्यों में पुस्तकालय

१०८५. **श्री पद्म देव** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूसरी पंचवर्षीय योजना काल में भारत सरकार की सहायता से खोले जाने वाले पुस्तकालय वास्तव में खोले जा चुके हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे किन-किन जगहों पर खोले गये हैं ; और

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर नकरात्मक हो, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) से (ग). मांगी गई सूचना राज्य सरकारों से एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

हिमाचल प्रदेश प्रशासन में अनुसूचित जातियां

१०८६. **श्री पद्म देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश प्रशासन में १९५८–५९ में कितने अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को सरकारी नौकरी मिली; और

(ख) अभी प्रशासन के अधीन कार्य करने वाले अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों की प्रतिशत संख्या कितनी है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) १८७।

(ख) ८.६ प्रतिशत ।

हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियों को मकान के लिये ऋण

१०८७. **श्री पद्म देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ में हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियों के कितने व्यक्तियों को मकान बनाने के लिये ऋण दिया गया; और

(ख) उन व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये, जो गुफाओं अथवा दूसरे व्यक्तियों की झोंपड़ियों में रहते हैं और जिनके पास मकान के ऋण की प्रतिभूति देने का कोई साधन नहीं है, सरकार ने क्या योजना बनाई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) कम आय वालों के लिये मकान बनाने की योजना के मातहत १९५८–५९ में ४० हरिजनों को मकान बनाने के वास्ते कर्ज़ दिया।

(ख) ऐसी कोई योजना नहीं बनाई है ।

हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के लिये छात्रावास

१०८८. **श्री पद्म देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के लिये हिमाचल प्रदेश में कितने छात्रावास हैं ;

(ख) इन छात्रावासों में विद्यार्थियों को कौन सी सुविधायें उपलब्ध हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) प्रत्येक हाई स्कूल और कालेज के लिये एक छात्रावास खोलने की कोई योजना क्या सरकार के विचाराधीन है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) अनुसूचित जाति के छात्रों के लिये अलग छात्रावास नहीं हैं। हरिजन सेवक संघ तीन सरकारी सहायता प्राप्त छात्रावास चला रहा है जिनमें ७५ प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति छात्रों के लिये रिजर्व हैं।

(ख) इन छात्रावासों में रहने, बिस्तर, चारपाई, रसोइया और चौके और खाने के बर्तनों की सुविधायें मुफ्त दी जाती हैं।

(ग) नहीं।

विद्यापीठ और गुरुकुल के बारे में राष्ट्रीय आयोग

१०८९. श्री नरदेव स्नातक : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विद्यापीठों और गुरुकुलों जैसी राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओं की दशा का सर्वेक्षण करने के लिये एक आयोग अथवा एक मन्त्रणा समिति स्थापित करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो यह कब तक स्थापित कर दी जायेगी ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): मांगी गई सूचना का विवरण साथ लगा है।

विवरण

शिक्षा, अनुसंन्धान और उनसे सम्बन्धित अन्य कार्यों में लगी हुई अखिल भारतीय महत्व की शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने की योजना के बारे में एक सलाहकार समिति स्थापित कर दी गई है :

(१) यह समिति योजना के अधीन अनुदान देने के लिये संस्थाओं के चुनाव में केन्द्रीय सरकार की सहायता करेगी।

(२) सहायता के लिये संस्थाओं द्वारा बनाई गई योजनाओं के बारे में सरकार को सलाह देगी।

आशा है कि इस समिति की पहली बैठक सितम्बर, १९५९ के दूसरे सप्ताह में होगी।

वर्तमान गुरुकुलों के सर्वेक्षण के लिये एक समिति स्थापित करने का प्रश्न केन्द्रीय संस्कृत बोर्ड की बैठक में रखा जायेगा। यह बैठक शीघ्र ही होगी।

टेक्नीकल व्यक्तियों की भर्ती

†**१०९०. श्री दामानी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूसरी पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के लिये सारे भारतवर्ष में कितने टैकनीकल व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी इसके बारे में कोई देशव्यापी सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ख) क्या सब राज्यों की इस प्रकार के व्यक्तियों की आवश्यकताओं का विस्तृत विवरण देने वाला एक विवरण लोक सभा के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) सभी राज्यों में तथा केन्द्र में इस प्रकार के कर्मचारियों की आवश्यकता का निरन्तर ध्यान रखा जाता है ।

(ख) इस प्रकार का विवरण निकट भविष्य में लोक सभा के पटल पर रख दिया जायेगा ।

कनिष्ठ आयुक्त अधिकारियों (जे० सी० ओ०) के परिवारों के लिये आवास

†**१०९१. श्री हेम राज :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पोस्ट स्टेशन्स में नियुक्त कनिष्ठ आयुक्त अधिकारी (जे० सी० ओ०) और "अदर रैंक्स" शत प्रतिशत पारिवारिक आवास (फैमिली एकमोडेशन) और सफाई सेवाओं (कंज़रवेंसी सर्विसिज़) की सुविधाएं प्राप्त करने के पात्र होते हैं; और

(ख) क्या यह सच है कि जब ये लोग रियायती क्षेत्रों (कंसेशनल एरियाज़) में जैसे जम्मू और काश्मीर तथा नेफ़ा क्षेत्र में नियुक्त किये जाते हैं तब इनको निःशुल्क पारिवारिक आवास और सफाई सेवाओं (कंज़रवेंसी सर्विसिज़) सम्बन्धी सुविधाएं प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं रहता ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) विवाहित कनिष्ठ आयुक्त अधिकारियों को शत प्रतिशत आवास प्राप्त करने का हक होता है । 'अदर रैंक्स' के विवाहित सेनानियों को उनकी यूनिट/पार्श्व टुकड़ी के अनुसार १४ प्रतिशत से १०० प्रतिशत तक आवास प्राप्त करने का अधिकार होता है ।

(ख) जी नहीं । जम्मू और काश्मीर तथा नेफा क्षेत्र में नियुक्त किये जाने वाले सैनिकों को अपने पुराने ड्यूटी स्टेशनों में, यदि रिलीज करने वाले सैनिकों के परिवारों की आवश्यकता से अधिक स्थान हो तो, मकान रखने की अनुमति दे दी जाती है । विकल्प में उनको रेजीमेंटल सेण्टरों/डिपुओं आदि में, यदि वहां पर स्थान उपलब्ध हो तो, स्थान मिल सकता है अथवा यदि वे चाहें तो वे अपने परिवारों को सरकारी खर्च पर अपने मूल स्थान में भेज सकते हैं । सरकार द्वारा दिये जाने वाले मकानों में उस हालत में निःशुल्क सफाई सेवा की व्यवस्था की जाती है जब उस पर कोई अतिरिक्त व्यय नहीं आता ।

कनिष्ठ आयुक्त अधिकारियों (जे० सी० ओ०) की पदोन्नति

†**१०९२. श्री हेम राज :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५२ से १९५८ तक कितने कनिष्ठ आयुक्त अधिकारियों (जे. सी. ओ.) को अफसरों के पद दिये गये;

(ख) कनिष्ठ आयुक्त अधिकारियों (जे. सी. ओ.) की पंक्तियों को किन वर्गों में विभाजित किया गया था ;

(ग) कनिष्ठ आयुक्त अधिकारियों (जे. सी. ओ.) को अफसरों के पद पर पदोन्नति देने के लिये क्या ढंग हैं ;

(घ) कनिष्ठ आयुक्त अधिकारियों (जे. सी. ओ.) के पदों में ऐसा वर्गीकरण करने का क्या कारण है ; और

(ङ) क्या अफसरों के पदों में भी ऐसा वर्गीकरण है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) सैनिक कर्मचारियों की संख्या बताना लोकहित में नहीं है ।

(ख) वेतन के प्रयोजन के लिये कनिष्ठ आयुक्त अधिकारियों (जे. सी. ओ.) ८ वर्गों में (वर्ग ए से एच) से किसी एक में, जिस सशस्त्र सेना में वे काम कर रहे हों अथवा जिस वर्ग में वे हों उस के अनुसार रखा जाता है ।

(ग) २१ वर्ष से २७ वर्ष के बीच की आयु के कनिष्ठ आयुक्त अधिकारी (जे. सी. ओ.) जो कम से कम मेट्रीकुलेट हैं या इस के समान अर्हता रखते हैं। जे. सी. ओ. एन. सी. ओ./ओ. आर. के लिये रक्षित १० प्रतिशत पदों के अभ्यंश में सैनिक कालेज देहरादून के द्वारा प्रार्थनापत्र भेज सकते हैं। उन्हें कोई लिखित परीक्षा नहीं देनी पड़ती, किन्तु योग्यता, व्यक्तित्व और शारीरिक सहनशीलता की परीक्षा के लिये एक सेवा संवरण बोर्ड के समक्ष उपस्थित होना पड़ता है और एक विशेष डाक्टरी बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य परीक्षा करवानी पड़ती है । जो उम्मीदवार चुने जाते हैं उन्हें सैनिक कालेज में दो वर्ष के प्रशिक्षण में सफलता प्राप्त करनी पड़ती है और फिर उन्हें कमीशन का पद दिया जाता है।

जिन एन. सी. ओ. के कुछ विशेष प्रकार के कामों के लिये विशेष ज्ञान और व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त हो वे भी, यदि वे ४२ वर्ष से कम आयु के हों और कम से कम मेट्रिक हों या इस के समान अर्हता रखते हों, एक विशेष सूची में स्थायी नियमित कमीशन प्राप्त करने के पात्र हैं । पात्र उम्मीदवारों की एक सेवा संवरण बोर्ड जांच करता है और फिर सैनिक मुख्यालय का बोर्ड अन्तिम चुनाव करता है । अन्त में जो चुन लिये जाते हैं उन्हें बिना प्रशिक्षण के कमीशन दे दिया जाता है ।

सैनिक चिकित्सा दल के जो कनिष्ठ आयुक्त अधिकारी (जे. सी. ओ.) नियमित रूप से काम कर रहे हों वे यदि वे ४० वर्ष की आयु से कम के हों और कम से कम मेट्रिक हों या उस के समान अर्हता रखते हों, सैनिक चिकित्सा दल (अप्रविधिक) में नियमित कमीशन के लिये पात्र हैं । सेना संवरण बोर्ड पात्र उम्मीदवारों की मौखिक परीक्षा लेता है और चिकित्सा सेवा निदेशक, सैनिक मुख्यालय अन्तिम चुनाव करता है । अन्तिम रूप से चुने गये उम्मीदवारों को प्रारम्भिक प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है ।

सैनिक डाक सेवा के कनिष्ठ आयुक्त अधिकारी (जे. सी. ओ.), यदि वे ४५ वर्ष की आयु तक के हों, तो सैनिक डाक सेवा में एक वर्ष के लिये या जब तक उन की सेवायें अपेक्षित हों, अस्थायी कमीशन के पात्र होते हैं ।

(घ) कनिष्ठ आयुक्त अधिकारियों (जे. सी. ओ.) के वेतन सम्बन्धी वर्गों से सैनिक दलों के विभिन्न वर्गों के लिये अपेक्षित विशेषतया प्रविधिज्ञता और शिक्षा के स्तर का पता लगता है ।

(ङ) जी नहीं ।

कनिष्ठ आयुक्त अधिकारियों (जे० सी० ओ०) की पदोन्नति

†**१०९३. श्री हेम राज** : क्या **प्रति रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफसरों के पदों की तरह कनिष्ठ आयुक्त अधिकारियों (जे. सी. ओ.) के पदों के लिये भी समय क्रम से पदोन्नति की व्यवस्था है ;

(ख) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)**: (क) जी नहीं ।

(ख) जे. सी. ओ. पदाली में सूबेदार और सूबेदार मेजर के पदों पर पदोन्नति की व्यवस्था बहुत समय से विद्यमान है किन्तु सैनिक मुख्यालय इस विषय का पुनर्विलोकन कर रहा है और सरकार इस के परिणाम की प्रतीक्षा करेगी ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग

†**१०९४. श्री हेम राज : क्या इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५७, १९५८, १९५९ में अब तक धर्मसाला और होशियारपुर के काम दिलाऊ दफ्तरों से तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के लिये कितने कर्मचारी भर्ती किये गये ;

(ख) वहां इस प्रयोजन के लिये कितने लोग पंजीबद्ध हुए और कितने मौखिक परीक्षा के लिये बुलाये गये ; और

(ग) उन्हों ने किन प्रकार के पदों के लिये प्राथमिकता प्रदान की ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) १९५७, १९५८, और १९५९ में धर्मसाला, और होशियारपुर के काम दिलाऊ दफ्तरों द्वारा भर्ती किये गये कर्मचारियों की संख्या निम्नलिखित है :

	१९५७	१९५८	१९५९
धर्मसाला . . .	१७	२०	१९
होशियारपुर . . .	—	२८	२०

(ख) तथा (ग). यह जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी जायेगी ।

त्रिपुरा में भूमि सम्बन्धी विवरण

†**१०९५. श्री दशरथ देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५७-५८ और १९५८-५९ में त्रिपुरा की तहसील तेलियामयूर में भूमि संबंधी कुल कितने विवाद हुए ; और

(ख) आदिम जातियों और गैर आदिम जातियों में ऐसे कितने विवाद हुए ; और

(ग) ऐसे विवादों की रोकथाम के लिये त्रिपुरा प्रशासन ने क्या कार्यवाही की ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) १९५७-५८ में २५ और १९५८-५९ में १९ ।

(ख) २१.

(ग) त्रिपुरा में अभी तक भूमि सम्बन्धी सर्वेक्षण नहीं हुआ है, अतः अधिकांश बन्दोबस्त मामलों में अपरिवर्तनीय सीमा रेखायें निर्धारित नहीं की गई हैं । इस कारण आदिम जातियों और गैर आदिम जातियों के बसने के लिये जो भूमि मूलतः थी वे उस से अधिक पर अधिकार जमाने और अधिक मांग करने का प्रयत्न कर सकते हैं । लोगों की यह भी प्रवृत्ति है कि वे सरकारी भूमि

†मूल अंग्रेजी में

पर अधिकार जमाने का प्रयत्न करते हैं । कभी कभी एक ही भूमि के लिये एक से अधिक लोग दावा करते हैं ।

(घ) जहां संभव है, प्रशासन ने भूमि का सीमा रेखांकन किया है । जब लगभग ५ वर्ष में भारत सरकार द्वारा मंजूर सर्वेक्षण और भूमि व्यवस्था की योजना लागू होगी तो विवादास्पद मामलों का निबटारा होगा ।

जम्मू और कश्मीर के लिये औद्योगिक वित्त निगम

†१०९६. **श्री अ० मु० तारिक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू और काश्मीर राज्य में एक औद्योगिक वित्त निगम स्थापित करने का भारत सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) और (ख). जम्मू और काश्मीर राज्य में एक औद्योगिक वित्त निगम स्थापित करने की केन्द्रीय सरकार की कोई प्रस्थापना नहीं है ।

दिल्ली नगर निगम के वित्तीय संसाधन

१०९७. **श्री सरजू पाण्डे :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री २१ अप्रैल, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १९३८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली नगर निगम के वित्तीय संसाधनों का अनुमान लगाने के लिये नियुक्त किये गये विशेष अधिकारी ने क्या अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो उस का विवरण क्या है ;

(ग) क्या सरकारने उस रिपोर्ट पर विचार कर लिया है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने उस रिपोर्ट के किन-किन सुझावों को स्वीकार कर लिया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री गोबिन्द बल्लभ पन्त):(क) सरकार को अभी रिपोर्ट नहीं मिली है । उस के जल्दी ही मिलने की आशा है ।

(ख) से (घ) तक प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

अ-हिन्दी भाषी क्षेत्रों के लिये हिन्दी प्राथमिक पुस्तकें (प्राइमर्स)

†१०९८. **श्री कालिका सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अ-हिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी पढ़ाने के लिये हिन्दी प्राथमिक पुस्तकें (प्राइमर्स) प्रकाशित करनें की दिशा में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) क्या इस योजना में हिन्दी-तेलगू, हिन्दी-मलयालम और ऐसी अन्य प्राथमिक पुस्तकें शामिल हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मंत्री (श्री का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । भाग (क) : —

(१) बुनियादी हिन्दी शब्दावली की दो पुस्तिकायें जिन में क्रमशः ५०० और २००० शब्द हैं और जो हिन्दी प्राथमिक पुस्तकें तैयार करने के लिये आवश्यक हैं, प्रकाशित की गई हैं ।

(२) जिन लेखकों को प्राथमिक पुस्तकें लिखने का काम सौंपा जायगा उन के लिये हिदायतें अन्तिम रूप से तैयार की गई हैं और वे प्रकाशित की जा रही हैं ।

(३) राज्य सरकारों से प्रार्थना की गई है कि वे लेखकों की सूचियां भेजें । कुछ राज्यों से उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है ।

भाग (ख)

द्विभाषी प्राथमिक पुस्तकें निकालने का एक प्रस्थापना विचाराधीन है ।

क्लर्क ग्रेड परीक्षा, १६५८

†*१०६६. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि १६५८ में ली गई क्लर्क ग्रेड परीक्षा के परिणाम के आधार पर ७५० लोअर डिवीजन क्लर्क स्थायी रिक्त स्थानों पर भर्ती करने का सरकार ने निश्चय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस नयी भर्ती से मौजूदा क्लर्कों के भविष्य पर कहां तक बुरा प्रभाव पड़ेगा ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) इस परीक्षा के फलस्वरूप ७५० लोअर डिवीजन क्लर्कों को स्थायी रिक्त स्थानों पर भर्ती करने का विचार है ।

(ख) जितने नये लोग नियुक्त किये जायेंगे, उतने ही स्थायी रिक्त स्थान जो वर्तमान अस्थायी क्लर्कों को पुष्टि (कन्फर्मेशन) के लिये उपलब्ध हैं, कम कर दिये जायेंगे किन्तु यह कमी स्थायी रिक्त स्थानों की कुल संख्या का बहुत छोटा अंश होगी ।

मकान भाड़ा और नगर प्रतिकरात्मक भत्ता

†११००. **श्री मोहम्मद इलियास** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता शहर में जिन दरों पर मकान भाड़ा और नगर प्रतिकरात्मक भाग दिया जाता है, उन्हीं दरों पर वह उत्तर बैरकपुर नगरपालिका की सीमायें रखे गये केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये मंजूर किया गया है;

(ख) यदि हां, तो यह मंजूरी कब दी गई थी; और

(ग) क्या वहां रखे गये केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को उस के अनुसार भत्ते दिये जाते हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई)** : (क) जी हां। उत्तर बैरकपुर नगरपालिका के अन्तर्गत और गैर राज-पत्र घोषित (नान गजटेड) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये जो २३० रुपये माहवार तक पाते हैं, भत्ता सीमान्त परिवर्तनों के साथ मंजूर किये गये हैं।

(ख) मंजूरी १-५-१९५८ को दी गई थी और उसी दिन से लागू हो गयी।

(ग) सरकार को यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि मंजूर किये गये भत्ते नहीं दिये जा रहे हैं।

बैरकपुर छावनी

†**११०१. श्री मोहम्मद इलियास** : क्या **प्रति रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बैरकपुर छावनी, गरूलिया और बैरकपुर नगरपालिका में स्थित कर्मचारियों को मकान भाड़ा नगर प्रतिकरात्मक भत्ता मिलता है;

(ख) यदि हां, तो कब से; और

(ग) यह भत्ता किस दर पर दिया जाता है ?

†**प्रति रक्षा उपमंत्री (श्री रघुरा मैय्या)** : (क) से (ग). बैरकपुर छावनी, गरूलिया और बैरकपुर नगरपालिका में स्थित नान-गजेटेड प्रतिरक्षा असैनिक कर्मचारियों को अब कोई मकान भाड़ा या नगर प्रतिकरात्मक भत्ता नहीं मिलता किन्तु उन्हें ये भत्ते १-५-५८ से ३१-७-५९ तक निम्नलिखित दरों पर प्राप्त हुए जिस के बाद वे बन्द कर दिये गये हैं।

वेतन (मंहगाई वेतन सहित)	प्रतिकरात्मक (नगर भत्ता)	मकान भाड़ा भत्ता
रुपये	रुपये	रुपये
३५ से नीचे	५	१०
३५–५४	७.५० नये पैसे	१०
५५–६०	७.५० नये पैसे	१५
६१–८०	१०	१५
८१–१००	१२.५० नये पैसे	१५
१०१–१४०	१२.५० नये पैसे	२०
१४१–२३०	१५	२०

(इस शर्त के अधीन कि जब वेतन २३० रुपये से अधिक हो जाये कुछ सीमान्त परिवर्तन किये जा सकते हैं)

त्रिपुरा में स्टेडियम

†**११०२. श्री बांगशी ठाकुर** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने द्वितीय पंच वर्षीय योजना में खेल कूद तथा खेल के मैदानों के लिये दो करोड़ रुपये की व्यवस्था की है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हाँ, तो स्टेडियम तथा फुटबाल के मैदान के निर्माण के लिये त्रिपुरा को कितनी राशि आवंटित की गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) खेलों कूदों के विकास के लिये द्वितीय पंच वर्षीय योजना में प्रारम्भ में २ करोड़ रु० का उपबन्ध था परन्तु यह घटा कर १ करोड़ रु० कर दिया गया है। इस घटी हुई राशि में खेल के मैदानों के लिये धन सम्मिलित है।

(ख) निधि का राज्यवार कोई आवंटन नहीं। विशिष्ट परियोजनाओं के लिये प्रार्थना-पत्र विशेषतानुसार स्वीकृत होते हैं।

छावनी बोर्ड के कर्मचारी

† **१०३. श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **प्रति रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई में भारत के राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण में छावनी बोर्ड के कर्मचारियों के विवाद में प्रतिरक्षा मंत्रालय अपना प्रतिनिधित्व करने की कार्यवाही नहीं कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) छावनी बोर्ड स्वायत्त संस्थायें हैं। सरकार उन्हें विशिष्ट परियोनजनाओं के लिये अनुदान देती हैं। न्यायाधिकरण में आने वाले मामलों में सरकार नहीं अपितु एक छावनी बोर्ड या अनकों छावनी बोर्ड संबंधित पक्ष होंगे।

श्री लेवी का प्रतिवेदन

†**११०४. श्री सुब्बया अम्बलम** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री ११ अप्रैल, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १७८४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल परामर्शदाता श्री लेवी का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस पर क्या निश्चय किया गया है ?

खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : श्री लेवी का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है। तेल की खोज और उत्पादन सम्बन्धी उन की मुख्य सिफारिशें निम्न हैं :—

भारत की तेल सम्बन्धी आवश्यकता में इतनी तेजी से वृद्धि हो रही है कि अशोधित तेल तथा शोधित अभाव पदार्थों के आयात से विदेशी मुद्रा का भार अत्याधिक हो जायगा। इसलिये तेल की संभावना वाले विस्तृत क्षेत्रों में आने वाले वर्षों में तेल की खोज करने के लिये टेकनिकल तथा वित्तीय साधनों का पूर्ण प्रयोग किया जायगा और यदि इस में सफलता मिले, तो इस का उत्पादन बढ़ाया जाये। उन्हों ने सिफारिश की है कि इस बात का पूरा ध्यान रखकर कि तेल तथा प्राकृतिक गैस-आयोग के कर्मचारी तथा मशीन आदि कितना कार्यभार ले सकते हैं, उस के लिये पूर्ण साधन जुटाय जायें। परन्तु उन का मत है कि इन महत्वपूर्ण वर्षों में अपेक्षित पूर्ण प्रयास के लिये धन, प्रशिक्षित व्यक्तियों तथा

---

†मूल अंग्रेजी में

मशीन, आदि की आवश्यकता इतनी अधिक होगी कि सरकार के अपने प्रयास को बढ़ाने के लिये खोज करने और यदि इस में सफलता मिले तो तेल के संभावी साधनों के विकास में गैर-सरकारी पूंजी भी ग्राह्य होनी चाहिये। उन्हें आशा है कि विदेशी गैर-सरकारी पूंजी के बारे में, जो साधारणतया राष्ट्रीय नीति के अनकूल होगी, बात चीत करने की संभावना है। उन की सिफारिशें विचाराधीन है और अभी तक कोई अन्तिम निश्चय नहीं किया गया है।

लड़के तथा लड़कियां

†११०५. **श्री पहाड़िया :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले पांच वर्षों में लड़कों की अपेक्षा लड़कियां अधिक पैदा हुई हैं; और

(ख) गत वर्ष कुल कितने लड़के व लड़कियों पैदा हुई।

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा):** (क) १९५३–५७ के वर्षों के समय में, जिन के आंकड़े उपलब्ध हैं, पैदा हुए लड़कों की संख्या लड़कियों से अधिक थी।

(ख) अभी जानकारी उपलब्ध नहीं है।

तेलीचेरी दुर्ग

†११०६. **श्री जीनचन्द्रन :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि तेलीचेरी दुर्ग का प्रयोग, जिस की देख रेख सुरक्षित स्मारक अधिनियम के अधीन होती है, राजनैतिक बंदियों के लिए जेल के रूप में किया जा रहा है और इस कार्य के लिए उसमें नया निर्माण व अदल बदल की जा रही है;

(ख) क्या केरल सरकार ने दुर्ग को जेल बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार की अनुमति पहिले प्राप्त करली ली थी।

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को दुर्ग के भीतर की इमारतों का प्रयोग करने की अनुमति दी है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे प्रयोग की क्या शर्तें हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** (क) तेलीचेरी दुर्ग के भीतर नये निर्माण जिन्हें केरल सरकार ने राजनैतिक बंदी रखने के लिये प्रयोग किया था, प्राचीन स्मारक सुरक्षण अधिनियम के अधीन नहीं आते। दुर्ग की दीवारों के सुरक्षित भागों का प्रयोग फूंस से पटे अस्थायी स्नानगारों के रूप में किया गया था।

(ख) से (घ). जिन बने स्थानों में राजनैतिक बंदी रखे गये थे उन के बारे में कोई अनुमति नहीं मांगी गई क्योंकि वे केन्द्रीय सरकार के प्रभार में नहीं हैं। सुरक्षित क्षेत्रों पर अस्थायी छत के लिये न तो अनुमति मांगी गई थी और न दी गई। संबद्ध प्राधिकारियों से ये अस्थायी छत हटाने को कहा गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

तेल की खोज में विदेशी सहयोग

†११०७. **श्री हेम बरुआ : इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का ध्यान 'स्टेण्डर्ड वेक्यूम आइल कम्पनी' के प्रबन्धक, श्री ओ० आर० अनडनहिल के भाषण की ओर आकर्षित किया गया है जो उन्होंने कलकत्ता राटरी क्लब में इस विषय पर दिया था कि भारत में तेल की खोज करने में स्थापित विदेशी तेल समवायों की सक्रिय रुचि लेने का कारण यह है कि सरकार की शर्तें आकर्षक नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो किन शर्तों पर विदेशी समवायों को भारत में तेल की खोज करने के लिये कहा जाता है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) आज कल जिन शर्तों पर भारत में तेल की खोज करने व निकालने का काम किया जा सकता है वे पैट्रोलियम रियायत नियम, १६४६ (जो सरकार की मूल्य वाली रचना है) में सम्मिलित है । सरकार आज कल इन नियमों का संशोधन करने पर विचार कर रही है ।

टेक्निकल शिक्षा सम्बन्धी भारत-कनाडा करार

†११०८. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री इ० मधुसूधन राव :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में उच्च प्रोद्योगिक संस्थाओं तथा पालिटैक्निकों के विकास के लिये कोलम्बो योजना के अधीन स्वीकृत ५ करोड़ रु० के उपयोग के संबंध में भारत और कनाडा में एक करार हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो करार की मुख्य शर्तें क्या हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई)** : (क) तथा (ख). कोलम्बो योजना के अधीन कनाडा से प्राप्त वस्तुओं के विक्रय से बनी रुपया-निधि का कुछ भाग देश में उच्च औद्योगिक संस्थाओं के विकास पर व्यय होगा, यह निश्चित हो गया है । स्वीकृत धन १ करोड़ डालर के बराबर है ।

विभिन्न योजनायें कनाडा के प्राधिकारियों के परामर्श से चुनी जायेंगी । केवल वही योजनायें चुनी जायेंगी जो भारत सरकार के पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित हैं ।

नागाओं के छिपने के स्थानों पर छापा

†११०६. **प्र० चं० बरुआ** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २२ जुलाई, १६५६ को अजुराम गांव में नागाओं के छिपने के स्थानों पर कोई छापा मारा गया; और

(ख) यदि हां, तो छापे का पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)**: (क) तथा (ख). २१ जुलाई, १९५९ को एक पुलिस टुकड़ी ने अजुराम से लगभग चार मील मकरू नदी के पास एक धान के खेत में पड़ी तीन झोंपड़ियों पर,जहां कुछ उपद्रवी ठहरे हुए थे, छापा मारा। उपद्रवियों ने पुलिस पर गोली चलाई और दोनों ओर से लगभग आधे घंटे तक गोली चलती रही । पुलिस ने दो उपद्रवी पकड़े और कुछ हथियार तथा गोला-बारूद पकड़ा गया । पुलिस वालों में किसी की मृत्यु नहीं हुई ।

विश्व पैट्रोलियम कांग्रेस

†**१११०. श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष अमरीका में हुई विश्व पैट्रोलियम कांग्रेस में भाग लिया था; और

(ख) इस कार्य के लिए कितना धन स्वीकार किया गया ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) ३५,१४५ रु० ।

इस्पात कारखानों में विदेशी

†**११११. श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात कारखानों में विदेशी कर्मचारियों की संख्या कम हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो जुलाई १९५९ तक ऐसे कितने कर्मचारी कम किये गये ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) तथा (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ८९]**

तांबा उत्पादन

†**१११२. श्री दलजीत सिंह** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ में देश में कुल कितना तांबा-उत्पादन हुआ; और

(ख) क्या पिछले वर्षों की अपेक्षा तांबा-उत्पादन बढ़ रहा है या कम हो रहा है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) १९५८-५९ में शोधित तांबे (या अंशोधित तांबा) का कुल उत्पादन ७,९३९ टन था ।

(ख) पिछले वर्षों की अपेक्षा उत्पादन बढ़ रहा है ।

संघ राज्य क्षेत्रों में शिक्षा का विकास

†**१११३. श्री दलजीत सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के संघ राज्य क्षेत्रों में शिक्षा के विकास के लिए १९५८-५९ में क्या कार्यवाही की गई ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

माध्यमिक स्कूलों तथा उनके पुस्तकालयों, आदि की इमारतें

†१११४. **श्री दलजीत सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार ने गैर सरकारी व्यक्तियों द्वारा चलाये जा रहे माध्यमिक स्कूलों तथा उनसे संबद्ध पुस्तकालयों व प्रयोगशालाओं की इमारतों के निर्माण के लिये १९५७-५८ और १९५९ में अब तक राज्यवार कितना धन आवंटित किया ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : एक विवरण संलग्न है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ९०**]

विश्वविद्यालय-परीक्षाओं के असफल उम्मीदवार

†१११५. **श्री सैं० अ० मेहदी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले कुछ वर्षों से विश्वविद्यालय-परीक्षाओं में असफल उम्मीदवारों की संख्या काफी बढ़ गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस के कारणों की कोई जांच की गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) १९५३ से १९५७ तक उपलब्ध आंकड़ों (दोनों वर्षों सहित) से यह प्रकट नहीं होता कि विश्वविद्यालय-परीक्षाओं के असफल उम्मीदवारों की संख्या में कोई ध्यान देने योग्य परिवर्तन हुआ है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

बरेली-शाहजहांनपुर क्षेत्र में सर्वेक्षण

†१११६. **श्री सैं० अ० मेहदी** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरेली-शाहजहांनपुर क्षेत्र में तलछट चट्टान[1] के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण किस किस्म का था; और

(ग) यदि नहीं, तो यह कब किया जायेगा ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) एक दल ने बरेली-शाहजहांपुर सड़क के किनारे सतह के नीचे बनावटी तत्वों सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करने के लिये सर्वेक्षण किया था।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Sedimentary Rocks.

झील कुरंजा में झोपड़ियों को क्षति

†१११७. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में झील कुरंजा की गंदी बस्तियों में रहने वालों की सारी झोंपड़ियां २६ जून, १९५९ की आंधी से या नष्ट हो गईं या उड़ गईं;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की क्षति हुई; और

(ग) क्या इस दोषयुक्त निर्माण के लिये ठेकेदार के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) :** (क) नहीं ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

स्थगन प्रस्तावों के बारे में

†**श्री शि० ला० सक्सेना** (महाराज गंज—उत्तर प्रदेश) : मैंने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी उसे अनुमति नहीं दी गयी है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं ने उसकी अनुमति नहीं दी है । यदि किसी माननीय सदस्य के स्थगन प्रस्ताव की अनुमति मैं नहीं देता तो वह मुझ से ४ और ५ बजे के बीच मिल कर मुझे संतुष्ट कर सकते हैं । यदि मेरा समाधान हो जायेगा, तो अगले दिन मैं उनके स्थगन प्रस्ताव की अनुमति दे दूंगा ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : इस सम्बन्ध में मुझे एक निवेदन करना है । आप को स्मरण होगा कि भूतपूर्व अध्यक्ष महोदय जब किसी स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं देते थे, तो उसका कारण बताते थे । ३० जून, १९५२ को श्री स० म० गरुपादस्वामी ने एक स्थगन प्रस्ताव की अनुमति न दिये जाने का कारण पूछा था, तो उस समय के अध्यक्ष ने उसका पूर्ण उत्तर दिया था ।

पर, इन दिनों हमें बताया गया है कि अनुमति न देने के कारण बताने की कोई आवश्यकता नहीं है । चूंकि आप परिपाटियों तथा नियमों के अनुसरण में काम करते हैं, अतः मैं जानना चाहती हूं कि इस सम्बन्ध में आप क्या परिपाटी बना रहे हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** जिन आधारों पर स्थगन प्रस्तावों की अनुमति नहीं दी जाती वे लगभग २० हैं और मेरे पास उनकी एक सूची है । जब किसी स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी जाती, तो उस सूची में एक या दो, जो भी कारण अनुमति न देने के होते हैं, पर निशान लगा दिया जाता है । इस प्रकार माननीय सदस्य को पता लग जाता है कि किस आधार पर उसकी अनुमति नहीं दी गयी है ।

श्री शि० ला० सक्सेना के स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में मैं ने उन्हें स्थिति समझा दी है । मैं बता चुका हूं कि स्थगन प्रस्ताव की अनुमति न मिलने पर माननीय सदस्य मुझ से मिल कर मुझे संतुष्ट कर दें, तो मैं अगले दिन उसकी अनुमति दे सकता हूं । मैं इसी प्रक्रिया का पालन कर रहा हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त० ब० बिट्टल राव** (खम्मम) : यदि मुझे इस बात का अवसर दिये हुए कि हम बतायें कि यह मामला अविलम्बनीय लोक महत्व का है, आप स्थगन प्रस्ताव की अनुमति देने से इनकार कर देते हैं, तो हम क्या करें, हमें अपनी बात कहने का अवसर तो मिलना चाहिए ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों को देख लेना चाहिए कि स्पष्ट रूप से वह मामला अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय का है कि नहीं । वैसे मुझे स्वविवेक लागू करने का अधिकार है । मैं यह तो नहीं कह रहा हूं कि स्थगन प्रस्ताव लाने की अनुमति नहीं है । स्थगन प्रस्ताव की अनुमति देने या न देने का मुझे अधिकार है । कुछ ऐसे स्थगन प्रस्ताव होते हैं, जिन्हें मैं यहां लाये बिना ही, अनुमति नहीं देता । जब मुझे कुछ संदेह होता है, तो मैं स्थगन प्रस्ताव को सभा में लाता हूं और माननीय सदस्य की बातें सुनने के बाद निर्णय करता हूं कि अनुमति दूं या न दूं । यदि मैं संतुष्ट होता हूं, तो मैं ५० सदस्यों का समर्थन देखता हूं और फिर अनुमति दे देता हूं ।

मैं पहले बता चुका हूं कि यदि माननीय सदस्य को मेरे निर्णय से संतोष न हो, तो वे शाम को मुझ से मिल कर मुझे समाधान कारक दें तो मैं अगले दिन अनुमति दे दूंगा ।

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : १९५२ में भी यह प्रश्न उठा था । उस समय अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि यह निश्चय करने का अधिकार माननीय सदस्य को होगा कि मामला अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय का है या नहीं । अतः माननीय सदस्यों को स्थगन प्रस्ताव की सूचना देने का अधिकार है । उसके बाद अध्यक्ष महोदय यदि अनुमति नहीं देते, तो उसका कारण बतायेंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं हर मामले में कारण देता रहा हूं । यदि उन्हें इन कारणों से संतोष न हो, तो वे मुझ से मिल कर अपना समाधान कर सकते हैं ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : मैं देख रही हूं कि नित्य नये-नये विनिदेश दिये जाते हैं । मैं समझती हूं कि इस सम्बन्ध में विभिन्न समूहों के नेताओं व प्रतिनिधियों को एक साथ बैठ कर सम्पूर्ण मामले पर विचार करना व एक प्रक्रिया निर्धारित करनी चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अभी हाल में ही विभिन्न समूहों के नेताओं तथा प्रतिनिधियों के साथ राय कर के हम ने यह प्रक्रिया निर्धारित की थी । सभी लोग इस से सहमत थे कि यदि मैं अनुमति न देना चाहूं, तो उसे सभा में न लाऊं और माननीय सदस्य को सूचित कर दूं । अब माननीय सदस्य कारण जानना चाहते हैं, तो उन्हें कारण भी दिया जायेगा । यदि फिर भी उन का समाधान न हो, तो वे मेरे पास आ कर बात कर सकते हैं ।

अतः इस प्रकार हम ने यह प्रक्रिया निर्धारित की थी ।

सभा-पटल पर रखा गया पत्र

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : मैं अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उपधारा (२) के अन्तर्गत दिनांक ८ अगस्त, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९०८ और ९०९ की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी० १५४२ ५९]

---

†मूल अंग्रेजी में

राज्य सभा से सन्देश

†**सचिव** : मुझे सभा को यह बताना है कि मुझे राज्य सभा के सचिव से निम्नलिखित सन्देश मिले हैं :—

(१) कि लोक सभा द्वारा ३ अगस्त, १९५९ को पारित सड़क परिवहन निगम (संशोधन) विधेयक, १९५९ को राज्य सभा ने अपनी १७ अगस्त, १९५९ की बैठक में बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है ;

(२) कि लोक सभा द्वारा ११ अगस्त, १९५९ को पारित भारत का राज्य बैंक (संशोधन) विधेयक, १९५९ को राज्य सभा ने अपनी १७ अगस्त, १९५९ की बैठक में बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है ;

(३) कि लोक सभा द्वारा १२ अगस्त, १९५९ को पारित बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक, १९५९ को राज्य सभा ने अपनी १७ अगस्त, १९५९ की बैठक में बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

सैंतालीसवां प्रतिवेदन

†**सरदार अ० सिं० सहगल** (जंजगीर) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का सैंतालीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

आन्ध्र प्रदेश तथा मद्रास (सीमाओं में परिवर्तन) विधेयक के बारे में याचिका

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** (वेल्लोर) : मैं आन्ध्र प्रदेश और मद्रास (सीमाओं में परिवर्तन) विधेयक, १९५९ के बारे में एक याचिकाकार द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूं ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

दिल्ली में बम विस्फोट

†**श्री रघुनाथ सिंह** (वाराणसी) : नियम १९७ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर गृह-कार्य मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह उस के सम्बन्ध में वह एक वक्तव्य दें :—

"दिल्ली में हुए दो बम विस्फोट, एक १० अगस्त, १९५९ को चांदनी चौक के निकट जिस के फलस्वरूप ८ व्यक्ति घायल हुए और दूसरा १४ अगस्त, १९५९ को जामा मस्जिद के निकट जिस के फलस्वरूप १ व्यक्ति की मृत्यु हो गई ।"

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : सभा को पता होगा कि १० अगस्त, १९५९ को जुबली सिनेमा, दिल्ली के निकट एक बम विस्फोट हुआ था । इस सम्बन्ध में तथ्य ये हैं । लगभग सवा नौ बजे रात को पुलिस गश्त के एक दल ने, जिसमें १ हैड कान्स्टेबल और तीन कान्स्टेबल थे, जुबली सिनेमा के निकट एक विस्फोट का धड़ाका सुना ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दातार]

वे तुरन्त घटनास्थल पर पहुंचे । उन्हों ने देखा कि आठ व्यक्तियों को चोटें आई हैं, जिन में एक कान्स्टेबल भी है । इस कान्स्टेबल ने गश्ती दल को बताया कि लगभग १४ या १५ वर्ष का एक लड़का हाथ में एक चीज लिये हुए था और जब वह फूटी तो विस्फोट हो गया । तुरन्त ही पुलिस का उड़न दस्ता बुलाया गया और घायल व्यक्तियों को, जिन में वह लड़का भी था, उपचार के लिये इरविन अस्पताल भेज दिया गया । पुलिस ने उस स्थान का निरीक्षण किया जहां विस्फोट हुआ था । पुलिस खून में सनी हुई कुछ मिट्टी, सीसे के कुछ टुकड़े तथा कुछ जले हुए चीथड़े अपने साथ ले गई । उस लड़के ने पुलिस को बताया कि जुबली सिनेमा के बरामदे में लगी तोलने की मशीन के पास से उस ने, तीन व्यक्तियों के कहने पर जो वहां खड़े थे, एक बोतल उठाई थी । ज्यों ही उस ने बोतल उठाई, बोतल फट गई और उस के हाथों में तथा सीने पर चोट आ गई । पुलिस ने विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अधीन एक मामला दर्ज कर लिया है और अग्रेतर छानबीन की जा रही है ।

१४ अगस्त, १९५९ को भी एक विस्फोट हुआ । लगभग ६ बजे सुबह एलगिन रोड से लगभग १०० गज की दूरी पर एक विस्फोट की आवाज लाल किले के परेड मैदान में एक असिस्टेंट सब-इन्सपेक्टर पुलिस को सुनाई पड़ी । वह वहां पर ड्यूटी पर था । वह तुरन्त घटनास्थल पर गया । वहां उसे जमीन पर पड़ा एक व्यक्ति मिला जिस के हाथ, मुंह और सीने में चोटें आई थीं । दुर्भाग्य से वह व्यक्ति बयान देने की स्थिति में नहीं था और कुछ ही मिनटों में वह चल बसा । उस असिस्टेण्ट सब-इन्सपेक्टर ने कोतवाली पुलिस स्टेशन को इस की सूचना भेजी और तुरन्त ही पुलिस घटनास्थल पर आ पहुंची । मृतक के सामान की तलाशी लेने पर कुछ कपड़े तथा बारूद की एक पुड़िया मिली । इन चीजों की जांच की जा रही है । विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच हो रही है ।

सभा का कार्य

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : श्रीमान्, मैं आप की अनुमति से, कार्य के क्रम में एक परिवर्तन की घोषणा करना चाहता हूं ।

केरल राज्य के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा के अनुमोदन सम्बन्धी संकल्प पर चर्चा २० अगस्त, १९५९ के साढ़े तीन बजे तक होगी । इस चर्चा के समाप्त होने पर, सभा तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग विधेयक पर अग्रेतर विचार आरम्भ करेगी ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले एक प्रस्ताव पर राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (प्राइवेट) लिमिटेड के प्रतिवेदन पर चर्चा, जो पहले २० अगस्त को ३ बजे होने वाली थी, अब शनिवार, २२ अगस्त, १९५९ को ३ बजे होगी ।

केरल संबंधी उद्घोषणा के बारे में संकल्प

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा श्री गो० ब० पंत द्वारा १७ अगस्त, १९५९ को प्रस्तुत किये गये निम्न संकल्प पर अग्रेतर चर्चा करेगी :—

> "कि यह सभा संविधान के अनुच्छेद ३५६ के खण्ड (१) के अधीन केरल राज्य के संबंध में ३१ जुलाई, १९५९ को राष्ट्रपति द्वारा निकाली गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है ।"

श्री ईश्वर अय्यर अपना भाषण जारी रखें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ईश्वर अय्यर** (त्रिवेन्द्रम) : कांग्रेस दल केरल में सीधी कार्यवाही के नाम पर गुंडागर्दी का पूरा समर्थन कर रहा था। वहां की विमोचन सदर समिति के नेता कांग्रेस के हाथ में कठपुतली थे और ईसाइयों के भी चौधरी बने हुए थे। प्रजा समाजवादी दल का वहां कुछ विशेष महत्व नहीं है। कांग्रेस ने ही वहां सब कुछ आरम्भ करवाया और बाद में कहने लगे कि हम खड़े-खड़े तमाशा नहीं देख सकते, हमारा भी कुछ उत्तरदायित्व है। परन्तु हम इस विद्रोह को नहीं दबायेंगे प्रत्युत अनुच्छेद ३५६ के अन्तर्गत कार्यवाही करेंगे। हालांकि अनुच्छेद ३५५ के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के लिये यह जरूरी था कि वह राज्य को आन्तरिक गड़बड़ से बचाती। केरल के मुख्य मंत्री ने इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की सहायता भी मांगी थी, परन्तु गृह कार्य मंत्री इस मामले में झूठ बोल कर यह कह रहे हैं। प्रधान मंत्री और गृह-कार्य मंत्री से बार बार प्रार्थना की गई थी कि वह राज्य में चल रही सीधी कार्यवाही की निन्दा करें, परन्तु उन्हों ने उस की कोई परवाह नहीं की, क्योंकि यह सब उन की मिलीभगत थी। और अब अनुच्छेद ३५६ के अन्तर्गत उद्घोषणा जारी की गई है। राज्यपाल के प्रतिवेदन को सही मान कर उसे इस का आधार बनाया गया है। वास्तविकता यह है कि राज्यपाल का प्रतिवेदन नितान्त बेकार की वस्तु है और ऐसा भी लगता है कि इसे उद्घोषणा जारी करने के बाद तैयार किया गया है। उसकी तो उपेक्षा ही की जानी चाहिये थी। राष्ट्रपति ने उद्घोषणा करते समय तो अपने मंत्रिमंडल से भी परामर्श किया परन्तु राज्यपाल साहब ने अपने मुख्य मंत्री अथवा अन्य किसी भी मंत्री से पूछे बिना अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया। यह बात संवैधानिक नहीं है।

यदि मान लिया जाय कि राज्यपाल के प्रतिवेदन के आधार पर ही राष्ट्रपति ने उद्घोषणा की है, तो भी इस की पुष्टि करने का उत्तरदायित्व तो कांग्रेस का ही है। संविधान के अनुच्छेद ३५६ के अन्तर्गत कार्यवाही तब ही सम्भव होती है, जब संवैधानिक व्यवस्था भंग हो जाये। परन्तु इस सामले में संवैधानिक व्यवस्था के टूट जाने के कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये गये। गृह-कार्य मंत्री ने तो इस सम्बन्ध में बच्चों जैसी दलीलें प्रस्तुत की हैं। यह बात बिलकुल ही निराधार है कि केरल सरकार ने उन लोगों को मुक्त कर दिया था, जिन के विरुद्ध भीषण अपराधों के आरोप थे और जिन्हें विधि के अन्तर्गत सजायें मिल चुकी थीं। प्रान्तीय सरकार को इतना अधिकार तो है ही कि वह यदि चाहे तो किसी मृत्यु दण्ड को माफ कर सकती है, चाहे राष्ट्रपति ने इस सम्बन्ध में अपने अधिकार का प्रयोग किया हो अथवा नहीं। इस सम्बन्ध में मैं गृहकार्य मंत्री महोदय को याद दिलाना चाहता हूं कि १९५४ में सभी राजनीतिक और गैर-राजनीतिक बन्दियों को आंध्र में मुक्त कर दिया गया था जेलों के फाटक खोल दिये गये थे। उन में डाकू, हत्यारे और लुटेरे सभी थे। न्यायाधीश श्री गोविंद मेनन जैसे व्यक्ति ने इस की आलोचना करते हुए कहा था कि यह कृत्य ठीक नहीं है। परन्तु उन का ही यह भी मत है कि ऐसा करना न्यायपालिका के प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं कहा जा सकता। परन्तु केरल सरकार ने तो ऐसी कोई बात की भी नहीं। उन्हों ने कड़ी सजाओं वाले डाकुओं को तो भारी संख्या में मुक्त नहीं किया। आप आंध्र सरकार का आदेश पत्र पढ़ सकते हैं। उस में स्पष्ट लिखा है माफी उन बन्दियों की होगी, जिन के अपराध राजनीतिक ढंग के हैं। मृत्यु दंड प्राप्त लोगों की सजा कम की गई, उन्हें मुक्त तो नहीं किया गया। हमारे गृहकार्य मंत्री महोदय ने आंध्र में तो हस्तक्षेप किया नहीं परन्तु केरल में किया। कारण यह कि केरल का अलग इतिहास है।

अनुच्छेद ३५६ के अन्तर्गत गयी यह कार्यवाही राज्य सम्बन्धी स्वतन्त्रता में बड़ा भारी हस्तक्षेप है। इससे मनोनीत राज्य के अधिकारों में वृद्धि हुई है। लोकतंत्र की प्रगति के रास्ते में रुकावट डाली गयी है और ठक शक्तियों को प्रोत्साहन दिया गया है। परन्तु इन सब बातों के बावजूद हमें विश्वास है कि हम पुनः आने वाले चुनावों में बहुमत प्राप्त करेंगे।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ईश्वर अय्यर]

इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद ३५६ के सम्बन्ध में डा० अम्बेदकर ने भी यह कहा था कि राजनीतिक मंतव्यों के लिये इसका दुरोपयोग हो सकेगा। उन्होंने कहा था कि इन अनुच्छेदों का कभी प्रयोग नहीं होगा और यदि होगा भी तो उस समय के होने वाले राष्ट्रपति जिन्हें ऐसा करने का अधिकार होगा, राज्य के मंत्रिमंडल को समुचित चेतावनी देकर ऐसा करेंगे। यह एक पवित्र आश्वासन था, जो कि संविधान के रचियताओं ने हमें दिया था। परन्तु केरल में इन सब बातों की मट्टी पलीद की गयी। केरल सरकार को कोई चेतावनी नहीं दी गयी कि उसके विरुद्ध अनुच्छेद ३५६ के अन्तर्गत कार्यवाही करने का विचार है। इस अनुच्छेद को केरल मंत्रिमंडल भंग करने के लिये प्रयोग में लाया गया, क्योंकि कांग्रेस और प्रजा समाजवादी लोग इसे अपनी आंख का कांटा समझ रहे थे। केरल राज्य को अनुच्छेद ३५६ के गलत प्रयोग सम्बन्धी परीक्षण करने के लिए क्षेत्र बनाया गया है। लोकतंत्र का अपना मूल्य है। जिन लोगों ने यह गलत प्रयोग किया है, वे शीघ्र ही देश भर से ही समाप्त हो जायेंगे।

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : मुझे प्रसन्नता है कि मुझे केरल के श्रमिक वर्ग के प्रतिनिधियों के पश्चात् बोलने का अवसर मिला है। श्री ईश्वर अय्यर ने अपने भाषण में आगामी चुनावों के नतीजे का भी जिक्र किया है। हमें अभी दो तीन दिन पहले ही इन चुनावों के नतीजों का कुछ संकेत मिला है। माही केरल राज्य के अन्तर्गत एक भूतपूर्व फ्रांसिसी प्रदेश था, यह कहा गया कि वहां के चुनाव परिणामों से यह ज्ञात हो जायेगा कि केन्द्रीय हस्तक्षेप उचित था या अनुचित। वहां के चुनावों का यह परिणाम हुआ, कि वहां सारी जगहें कांग्रेस और प्रजा समाजवादी दल को मिलीं और साम्यवादियों को एक भी स्थान नहीं मिला। श्री डांगे ने केरल की पुलिस नीति के बारे में बोलते हुए कहा कि यदि केरल का प्रशासन साम्यवादियों के अधिकार में आ जाय तो वह पुनः वही नीति अपनायेंगे जो इस बार अपनाई गई है। मैं श्री डांगे को यह बात बता देना चाहता हूं कि जब तक वर्तमान पीढ़ी और इससे अगली पीढ़ी भी जिन्दा रहेगी तब तक वे कभी केरल में पुनः शक्ति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। केरल के सम्बन्ध में मुझे जो भी सूचनायें प्राप्त हुई हैं, उनके आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि मैं इस सम्बन्ध में सभा के मत से पूरी तरह सहमत हूं। सभी इस बात से सहमत थे कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी कि जब संविधान की धारा ३५६ के अधीन केन्द्रीय हस्तक्षेप करना आवश्यक था। इतना ही नहीं स्वयं साम्यवादी दल ने यह कहा था कि यदि आप हस्तक्षेप करना चाहते हैं तो इस में शीघ्रता कीजिये। यह बात श्री अजय घोष और गोविन्दन् नायर ने अपने संयुक्त वक्तव्य में कही थी। उन्होंने प्रधान मंत्री को लिखा था कि यदि केन्द्रीय सरकार हस्तक्षेप करना ही चाहती है तो इस सम्बन्ध में शीघ्रता करे।

अतः केन्द्रीय सरकार द्वारा उठाया गया कदम उचित न्यायोचित और संवैधानिक था। वस्तुतः उस समय जो स्थिति पैदा हो गई थी, उसके सम्बन्ध में मैं प्रदेश कांग्रेस के प्रधान के शब्दों को उल्लिखित करने से अधिक कुछ नहीं कर सकता हूं। उन्होंने राष्ट्रपति को जो ज्ञापन भेजा था उसका सारांश यह था कि केरल सरकार लोकतंत्र का दमन कर रही है और वह ऐसी नीतियां बरत रही है जिससे संविधान के मूलभूत अधिकारों का हनन हो रहा है। उनकी इन्हीं नीतियों और कार्यों के कारण जनता का बहुमत उनका विरोधी हो गया है इत्यादि। राज्यपाल के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में श्री ईश्वर अय्यर ने कहा कि वह एक व्यर्थ की चीज़ थी। वस्तुतः यह उस प्रतिवेदन का सारांश है जिसके आधार पर राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद ३५६ के अधीन कार्यवाही की थी। राज्यपाल ने अपने प्रतिवेदन में कहा है: सारे विधि संबंधी और संवैधानिक प्रश्नों का आधार यह है कि:

---

†मूल अंग्रेज़ी में

क्या केरल सरकार बहुमत का विश्वास खो चुकी है और उस पर अव्यवस्था और लोकतंत्र को हनन करने के जो आरोप लगाये जा रहे हैं वे सच हैं ? मेरे विचार से सरकार के विरुद्ध जो आरोप लगाये गये हैं वे अधिकांशत: सत्य हैं । मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार जनता के बहुमत का विश्वास खो चकी है ।

अब मैं आपको दो एक ऐसे उदाहरण देना चाहता हूं जिन से यह ज्ञात होगा कि राज्यपाल ने जो बात कही थी वह शत् प्रति शत् सही है । वस्तुत: राज्य सरकार द्वारा अपने प्रारम्भ से ही जो नीतियां अपनाई गई उन से कोई किसी भी निष्पक्ष दर्शक इस परिणाम पर पहुंच सकता था कि राज्य सरकार भेदभाव, असमानता और जनता के अधिकांश भाग के लिये असुरक्षा की नीति बरत रही है । जिसके परिणाम स्वरूप संविधान के अनुसार प्रशासन चलाना बहुत कठिन हो गया था ।

श्री डांगे ने यह कहा है कि केन्द्रीय हस्तक्षेप से सभी प्रकार के व्यक्तियों को असुविधा हो रही है । और उनके हृदय में एक कांटा सा चुभ रहा है । वस्तुत: केन्द्रीय हस्तक्षेप से उनको एक प्रकार की राहत मिली है । पहिले उन्हें असुविधा और कष्ट था और साम्यवादी प्रशासन के २८ महीनों में उनका दम घुटता रहा । और वहां की जनता चीख चीख कर पुकार रही थी कि क्या हम शक्तिहीन हैं, और कुछ नहीं कर सकते हैं ? जैसा कि डा० क० ब० मेनन ने कहा वहां की जनता यह कह रही थी कि क्या संविधान में इस स्थिति का कोई उपचार नहीं है ? अत: पहिले निस्संदेह असंतोष था लेकिन अब यह असंतोष समाप्त हो गया है ।

केरल के मुख्य मंत्री ने एक ओर तीसरी अनुसूची के अधीन यह शपथ ली कि संविधान के अधीन बिना भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा ।

लेकिन उन्होंने दूसरी बार ही यह कहा, कि हमें इस बात का दु:ख है कि हमें इस संविधान के अनुसार कार्य करना पड़ेगा जिस की कई बातें हमें पसन्द नहीं हैं । तथापि हम प्रयत्न करेंगे कि हम संविधान के अधीन कार्य करें । उन्होंने न तो इस संविधान की भावना के अनुसार किया और न इसके शब्दों के अनुसार । मैं अपने इस आरोप को पुष्ट करने का प्रयत्न करूंगा ।

श्री डांगे या केरल के मुख्य मंत्री ने यह कहा कि सम्पत्तिशाली वर्गों के हितों की रक्षा करने के लिये पुलिस का इस प्रकार प्रयोग करना श्रमिक वर्गों के बुनियादी अधिकार का हस्तक्षेप करना है ।

संविधान के अधीन हमें कुछ बुनियादी अधिकारों की सुरक्षा मिली है । उक्त प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए वे बुनियादी अधिकार क्या हैं ? संविधान के अधीन प्रत्येक व्यक्ति को सम्पत्ति और जीवन की सुरक्षा का अधिकार है। जिससे उसे सम्पत्ति के अर्जन करने, रखने और बेचने इत्यादि का,विधि के प्रतिबन्धों के अधीन, अधिकार मिल जाता है । दूसरे प्रत्येक व्यक्ति को राज्य द्वारा लगाये गये प्रतिबन्धों के अधीन, व्यापार वाणिज्य और काम धंधा करने का अधिकार है । तीसरे संघ और संस्थायें बनाने का अधिकार है। चौथा अधिकार विधि के सम्मुख सबकी समानता है। तत्पश्चात् संविधान के अधीन सरकार बनाने और कानून की पाबन्दी का उपबन्ध किया गया है ।

संविधान के मुख्य सिद्धान्त हैं कानून की पाबन्दी, विधि के सम्मुख समानता, सब के लिये समान अवसर । इनके आधार पर हम यह देखेंगे कि क्या केरल की सरकार ने अपने २८ महीनों के शासन में इन सिद्धान्तों के अनुसार कार्य किया । मैं इस सम्बन्ध में केवल एक दो उदाहरण देना चाहता हूं ।

वहां पुलिस को कार्य करने में असमर्थ बना दिया गया था । इससे कानून और व्यवस्था भंग हो गई थी । ३०-५-५७ को एल्लप्पी में साम्यवादी दल द्वारा नियंत्रित बम्बई कम्पनी के नारियल

[श्री अ० म० थामस]

जटा के ३०० श्रमिकों ने मैनेजर को अपने कमरे में रोक लिया और उससे अपने बच्चों की शिक्षा के लिये अग्रिम धन मांगने लगे। श्रम सम्बन्धी झगड़ों के कारण ही त्रिचूर में विजय उद्योग को बन्द होना पड़ा। इसके पश्चात् श्रमिकों ने धरना देना प्रारम्भ किया। वहां के मालिक को अपने घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया और जब उसने पुलिस से सहायता मांगी तो पुलिस ने अपनी अक्षमता प्रगट की। पुलिस तथा अधिकारियों के रवैये का दूसरा उदाहरण मालाबार आरा मिल में साम्यवादी श्रमिकों की हड़ताल के समय देखा गया। यह हड़ताल फरवरी १९५८ में प्रारम्भ हुई थी। साम्यवादी दल के २० श्रमिकों ने बिना नोटिस दिये हुए हड़ताल प्रारम्भ कर दी थी। उन्होंने काम करने वाले मजदूरों को आने से रोका और कारखाने की मशीनों को नुकसान पहुंचाया। जब प्रबन्धकों ने पुलिस और जिला कलक्टर से सहायता की मांग की तो कई दिन तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। २७ फरवरी को वहां के प्रबन्धकों ने विवश होकर उच्च न्यायालय में जीवन तथा संपत्ति की सुरक्षा के लिये एक लेख याचिका प्रस्तुत की। कार्मिक संघों तथा अन्य दलों द्वारा प्रारम्भ किये गये झगड़ों के सम्बन्ध में पुलिस की नीति बिल्कुल भिन्न थी। इस प्रकर की भेदपूर्ण पुलिस नीति से संविधान की विधि के सम्मुख समानता के सिद्धान्त का उल्लंघन होता है। प्रत्येक व्यक्ति को चाहे वह किसी भी वर्ग का क्यों न हो उसे अपनी संपत्ति की रक्षा करने और अपना कार्य करने की स्वतंत्रता है। इस अनिवार्य अधिकार को नहीं छीना जा सकता है। मैं उदाहरणों से इस बात को सिद्ध कर सकता हूं कि केरल में विधि और व्यवस्था का पूर्णतः उल्लंघन किया गया।

†**श्री नारायण् कुट्टि मेनन** (मुकन्दपुरम्) : मैं एक औचित्य प्रश्न उठाना चाहता हूं। माननीय सदस्य ने मुख्य मंत्री के एक नीति सम्बन्धी वक्तव्य का हवाला दिया है। उन्होंने उसका केवल एक ही अंश पढ़ा है अतः मैं चाहता हूं कि वह मसविदा अपने पूर्ण रूप में सभा-पटल पर रखा जाय।

†**अध्यक्ष महोदय** : अच्छी बात है भाषण के अन्त में रख दिया जायेगा।

†**श्री अ० म० थामस** : अब मैं एक अभी हाल का उदाहरण देना चाहता हूं। यह उदाहरण थिरपू की अदायगी न होने के कारण पैदा हुआ। तिरुवल्ला के निकट मेपरा में अब्राहम के खेत पर काम करने वाले साम्यवादी दल के नियंत्रित संघ के ४६ मजदूरों ने भूसा उठाने से इन्कार कर दिया और बिना अपनी मजदूरी लिये हुए चले गये। दूसरे दिन वे कृषक टोलीलालो संघ के कुछ सदस्यों के साथ मजूरी मांगने आये। इसी समय अन्य खेतों पर काम करने वाले अन्य ४०० साम्यवादी श्रमिकों ने भी सहानुभूतिसूचक हड़ताल कर दी और उस किसान के घर के सामने धरना दे कर बैठ गये। तीसरे दिन से उन्हों ने सत्याग्रह शुरू कर दिया। इस मामले में भी मुंसिफ के न्यायालय से एक आदेश दिया गया जिस में कुछ व्यक्तियों को सम्पत्ति में घुसने से रोका गया। किन्तु मुंसिफ का आदेश उल्लंघन कर के, वह व्यक्ति पारसाल खेत में घुसा और फसल काट ले गया। इस पर उस के खिलाफ एक फौजदारी का दावा दायर किया गया और यह मामला अभी भी न्यायालय के सम्मुख विलम्बित है। इसी बीच ८-३-५९ को वर्तमान आन्दोलन के प्रारम्भ होने के पूर्व वह व्यक्ति सौ साम्यवादी कार्यकर्ताओं को ले कर उस खेत में घुसा और खेती करने लगा जबकि उस खेत के मालिक ने जो स्वयं कांग्रेसी था, मुंसिफ के आदेशानुसार उसे खुद जोतना तय किया था।

†**श्री नागी रेड्डी** (अनन्तपुर) : माननीय सदस्य एक प्रतिवेदन से उद्धरण दे रहे हैं। यह प्रतिवेदन एक सरकार से दूसरी सरकार को भेजा गया था। इस प्रकार यह गोपनीय है। इसलिये

---

†मूल अंग्रेजी में

जब वे एक गोपनीय मसविदे का उद्धरण दे सकते हैं तो क्या कारण है कि पूरा प्रतिवेदन पटल पर नहीं रखा जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में पहिले भी निर्णय किया जा चुका है कि यदि किसी प्रतिवेदन का कोई अंश उद्धृत किया जाय तो उस पूरे मसविदे का सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना या न करना में माननीय मंत्री महोदय की इच्छा पर निर्भर करता है ।

श्री नागी रेड्डी : यह प्रतिवेदन साम्यवादी सरकार ने कांग्रेस मंत्रिमंडल को भेजा है । इसी-लिये इस प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखना सब के हित में है । मैं यह नहीं चाहता हूं कि प्रतिवेदन का केवल एक अंश सभा के सम्मुख रखा जाय, वस्तुतः पूरा प्रतिवेदन सभा के सम्मुख रखा जाना चाहिये जिस से हम पूरी बात का पता लगे ।

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : अध्यक्ष महोदय का निर्णय बिल्कुल उचित था । मंत्री महोदय को यह अधिकार है कि वे मसविदे को सभा पटल पर रखे बिना उस का जिक्र कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि यह केरल से सम्बन्ध रखता है इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे उस अंश को सभा पटल पर रख दें ।

†**श्री वें० प० नायर** (क्विलोन) : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वे संसद् सदस्य के रूप में इस सुचना को सभा से गोपनीय रख सकते हैं, अथवा वह सरकार के प्रतिनिधि के रूप में बोल रहे हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : संसद सदस्य के रूप में एक सदस्य को जो भी अधिकार हैं सदस्य उन सभी का प्रयोग कर सकते हैं ।

†**श्री साधन गुप्त** (कलकत्ता—पूर्व) : इस के अर्थ यह हैं कि प्रतिवेदन में जो सच्चाई है उसे वह इसलिये छिपाना चाहते हैं कि ऐसा करना लोकहित के विरुद्ध है । लेकिन उन्हें यह बताना चाहिये कि वह जो कुछ कर रहे हैं वह लोक हित में है या नहीं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : औचित्य प्रश्न उठा कर आरोप लगाना ठीक नहीं है । वस्तुतः माननीय सदस्यों को इस बात की पूरी स्वतंत्रता है कि वह प्रतिवेदन का अंश सभा पटल पर रखें या न रखें । यदि वह उस के कुछ अंशों को लोक हित के विरुद्ध समझते हैं तो वह उसे सभा पटल पर रखने से इन्कार भी कर सकते हैं ।

†**श्री अ० कु० सेन** : मैं श्री थामस से यह निवेदन करूंगा कि वे प्रतिवेदन के इस अंश को सभा-पटल पर रख दें ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जैसाकि श्री अ० कु० सेन कह चके हैं, प्रतिवेदन का वह अंश सभा पटल पर रख दिया जायगा ।

ईसके पश्चात विवरण के उस अंश की एक प्रति सभा पटल पर रख दी गई । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ९१]

श्री अ० म० थामस : मैं इस अवधि में केरल में शांति तथा व्यवस्था की स्थिति के बारे में बता रहा था । माननीय सदस्य जानते हैं कि गत वर्ष इसी समय त्रिचूर जिले में क्या-क्या घटनायें हुई थीं । उसी बीच पेरिंगोत्तुकारा की प्रसिद्ध घटना हुई थी । कुछ कांग्रेसी एक सुदृढ़ मकान में छिप गये थे । साम्यवादियों ने उस मकान को घेर लिया था । उसे तोड़ा गया और उन कांग्रेसियों को मकान के बाहर निकाल कर सड़कों पर मारा-पीटा गका और पुलिस को सौंप दिया गया । इस से पता लगता है कि केरल में पुलिस की स्थिति कितनी असह्य थी । जब मामले की जांच करने के

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री म० म० थामस]

लिये कांग्रेस प्रेसीडेण्ट श्री ढेबर केरल गये तो त्रिचूर जिला साम्यवादी दल के सचिव ने जो ज्ञापन श्री ढेबर को दिया उस में इस घटना के सम्बन्ध म कहा गया था कि श्री शंकरन नारायण ने तीन व्यक्तियों के छुरा भोंका था और जब जनता ने उन को पकड़ना चाहा तो वह भाग कर एक कांग्रेसी के मकान में घुस गये। जनता पुलिस को बुलाने गई परन्तु थाने म सिपाहियों की कमी के कारण पुलिस न आ सकी। चार घंटे प्रतीक्षा करने के बाद जनता का धैर्य छूट गया और उस में मकान में घुस कर उस ने श्री शंकरन नारायण को निकाला और पुलिस को सौंप दिया।

मैं बताना चाहता हूं कि पुलिस थाना दुर्घटना के स्थान से २ मील की दूरी पर अन्तिकाद में है और त्रिचूर जिलाधीश का कार्यालय १२ मील की दूरी पर। यदि कोशिश की जाती तो जिलाधीश अथवा पुलिस सुपरिटेंडेंट को टेलीफोन पर स्थिति बताई जा सकती थी और पुलिस बुलाई जा सकती थी। कांग्रेसी मकान मालिक ने डी० एस० पी० तथा जिलाधीश को खबर दी थी परन्तु पुलिस उस स्थल पर चार घंटे बाद आई। केरल में उस समय इस प्रकार का पुलिस शासन था। मुक़दमों को वापस लेने आदि के बारे में अन्य माननीय सदस्य बता चुके हैं। अतः उन के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा।

मैं एक उदाहरण दे कर बताना चाहता हूं कि वहां पुलिस को कैसे प्रभावहीन बना दिया गया था और पुलिस के कामों में कैसे दखल दिया जाता था। उस समय केरल में पुलिस के दो इंस्पैक्टर-जनरल थे। बाद में इन में से एक इंस्पैक्टर-जनरल को रास्ते का कांटा जान कर पुलिस संहिता समिति का सचिव बना दिया गया। पुलिस संहिता समिति के सभापति श्री एन० सी० चटर्जी जब जन्तर मन्तर रोड पर केरल हाउस में इस समिति की एक बैठक कर रहे थे, उस समय मैं श्री नायर के साथ वहां गया। बातचीत के दौरान में श्री चटर्जी ने बताया कि उन्हें यह जानकर बड़ा आश्चर्य है कि केरल में दो इंस्पैक्टर जनरल पुलिस हैं। उन्हों ने कहा कि मैं ने "देश के किसी भी एक भाग में दो इंस्पैक्टर जनरल पुलिस साथ-साथ काम करते नहीं देखे हैं।" श्री नायर मेरे साथ हैं वह मेरी बात की पुष्टि कर सकते हैं।

प्रदेश कांग्रेस ज्ञापन तथा अन्य प्रकाशनों में सैल न्यायालययों का जिक्र है। हाल में ही एक सैल न्यायालय के बारे में मुझे एक घटना का पता लगा। इस सभा के भूतपूर्व सदस्य, श्री शिवाराव के, जो अब राज्य सभा के सदस्य हैं, पास सैल न्यायालय द्वारा जारी किये गये समन की एक फोटो प्रति भी है, जो कन्नड़ भाषा में है। उस में एक मुकदमे का जिक्र है जिस में एक जमीन के दो मालिकों को नोटिस दिया गया है कि "चूंकि झगड़े की जांच करते समय वे मौजूद नहीं थे, अतः मामला स्थगित कर दिया गया है। अब आप दोनों दलों के लोग उस जमीन में बिल्कुल भी प्रवेश नहीं करेंगे, जब तक कि मामले का निबटारा न हो जाये। समिति की बैठक जल्दी हो होगी, मामले को निबटाने के लिये।" केरल के वकीलों ने जो ज्ञापन प्रकाशित किया है, उस में भी कहा गया है कि "सरकारी नीति तथा राज्य के गोपनीय कारणों के आधार पर" सब कुछ मनमानी किया जाता है।

अब मैं केरल की आर्थिक स्थिति के बारे में कुछ कहूंगा। आप सभी लोग जानते हैं कि केरल एक गरीब राज्य है। वहां पर बेकारी की बहुत बड़ी समस्या है और इसीलिये रोजगार देने अथवा मजदूरों के मामलों में पक्षपात करने से बड़े बुरे परिणाम हो सकते थे। कांग्रेस तथा अन्य विरोधी दलों के प्रकाशनों में आप को मिलेगा कि केरल में ताड़ी निकालने वालों की सहकारी समितियां साम्यवादी दल की शाखा के रूप में काम कर रही थीं। ज्ञापन में बताया गया है कि इन ताड़ी निकालने वालों की सहकारी समितियों को ताड़ी की दुकानें देने से सरकार को लगभग ४ लाख रुपये की हानि

उठानी पड़ी । परन्तु केरल सरकार इस बात को मानने से इन्कार करती है । परन्तु मेरे पास तथ्य है कि साम्यवादी दल की शाखा के रूप में इन ताड़ी निकालने वालों की सहकारी समितियों द्वारा इस वर्ष में सरकार को लगभग ११ लाख रुपये का घाटा हुआ है यह सब कैसे हुआ यह मैं अभी बताऊंगा । ताड़ी की जो दुकानें इन सहकारी समितियों को सौंपी गईं, उनसे चालू वर्ष में ४४,६८,८६० रुपये की आय हुई, गत वर्ष इन से ४७,६८,७७० रुपये की आय हुई थी । इस प्रकार लगभग ४ लाख रुपये का घाटा रहा दुकानों की संख्या में भी १५ प्रतिशत की वृद्धि हो गई और इन से ८,६०,६१० रुपये की आय हुई पर यदि इन को भी नीलाम किया गया होता, तो ११ लाख की आय सरकार को हो जाती ।

श्री वारियर जिस पत्र में लेख लिखते हैं, उस "नवजीवन समाचार पत्र में प्रकाशित एक लेख से यह बात प्रमाणित हो जाती है कि ताड़ी निकालने वालों की सहकारी समितियां साम्यवादी दल की शाखायें हैं । इस में तीन लाख की निधि शीर्षक के अन्तर्गत दिया गया है कि ताड़ी निकालने वालों की सहकारी समितियों ने २०,८८७ रुपये इस निधि में दिये; यह निधि केवल एक दिन में अर्थात् ३ फरवरी को इकट्ठी की गयी ।

मजदूर सहकारी समितियों के बारे में अनेक बातें कही गईं । सभी जानते हैं कि केरल के प्रत्येक मंत्री के पास साम्यवादी दल का एक सदस्य प्राइवेट सेक्रटरी के रूप में रहता था । यह कहा जाता है कि जब मजदूर सहकारी समितियां बनाने का विचार था, उस समय उप-विधियां बनाई गईं और जनता को अपने उद्देश्य के बारे में कुछ भी बताने से पहले सरकार ने इन उप-विधियों की प्रतियां अपने दल वालों के पास परिचालित कर दीं । इस प्रकार इन उप-विधियां के प्रकाशित होने से पूर्व ही २५ मजदूर सहकारी समितियां बन चुकी थीं और सरकार ने उसके पश्चात आदेश दे दिये थे कि अब और सहकारी समितियां नहीं बनाई जानी चाहिये । इस प्रकार केरल में मजदूरों की सहकारी समितियां बनाई गईं ।

हमारे ज्ञापन में यह भी बताया गया है कि नारियल जटा सहकारी समितियों में हस्तक्षेप किया गया । समिति के एक व्यक्ति को बदल दिया गया तथा उसके स्थान पर साम्यवादी दल का दूसरा व्यक्ति लाया गया । इसी प्रकार का एक मामला केरल के उच्च न्यायालय में भी गया था । चूंकि वह मामला मेरे निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्धित था अतः मैं उसके बारे में जानता हूं । तीन साम्यवादी व्यक्तियों को समिति में रखने का आदेश दिया गया । उस विभाग के अधिकारी ने इस संबंध से जो आदेश किया था उसमें ऐसा करने के लिए तीन कारण बताये गये थे । एक कारण यह था कि समिति के सचिव को सरकार की अनुमति के बिना वेतन दिया गया । दूसरा कारण यह था कि एक बैठक बिना आवश्यक गणपूर्ति के की गयी । छानबीन करने पर यह कहा गया कि गलती से यह आरोप लगाया गया है कि सरकार की स्वीकृति के बिना वेतन दिया गया । दूसरा आरोप गलत साबित हो गया । दूसरे आरोप की जांच करने पर पता लगा कि २२-९-५८ की बैठक में आवश्यक गणपूर्ति थी । इस प्रकार उच्च न्यायालय में इन आदेशों के विरुद्ध फैसला दिया गया । इन बातों से यह भी पता लग जाता है कि नारियल जटा सहकारी समितियों में किस प्रकार गड़बड़ी की गयी ।

शासन व्यवस्था तथा पुलिस की कुव्यवस्था के सम्बन्ध में कई माननीय सदस्य अनेक बातें बता चुके हैं । अतः मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता ।

शिक्षा अधिनियम तथा भूमि सुधार विधेयक के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है । शिक्षा अधिनियम के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि आन्दोलन इतना भीषण न होता यदि जनता को

[श्री अ० म० थामस]

यह विश्वास नहीं हो जाता कि सभी गैर सरकारी स्कूलों के प्रबन्ध को सरकार अपने हाथ में लेकर छोटे बच्चों को अपने सिद्धान्तों का पाठ पढ़ायेगी । इस प्रश्न पर विचार करने के लिये एक समिति नियुक्त की गई थी तथा केरल सरकार का कहना है कि उस समिति के प्रतिवेदन का सारांश भी प्रकाशित हो गया है । इस सम्बन्ध में एक विज्ञप्ति में यह भी कहा गया है कि विद्यार्थियों को अपने सिद्धान्त पढ़ाने का सरकार का कोई विचार नहीं है । इस विज्ञप्ति के छपते ही पाठ्य-पुस्तक जांच समिति के प्रेजीडेंट न एक वक्तव्य दिया कि इस विज्ञप्ति को जारी करके उनके साथ न्याय नहीं किया गया है । पाठ्य-पुस्तक जांच समिति ने अपने प्रतिवेदन में समस्त तथ्य स्पष्ट कर दिये हैं । उनका प्रतिवेदन अब जनता के सामने आ गया है । उस प्रतिवेदन के बारे में त्रिवन्द्रम में समाचार-पत्रों की टिप्पणियां भी अब प्रकाशित हो चुकी हैं । उस प्रतिवदन में बताई गई कुछ बातें बड़ी आश्चर्यजनक हैं । यद्यपि समिति ने अपने प्रतिवेदन में यह कहा है कि पाठ्य पुस्तकों में साम्यवादी सिद्धान्तों का प्रचार तो नहीं किया गया है पंर उसमें से कुछ लाइनें इस प्रकार हैं :—

> "सामाजिक ज्ञान की पुस्तक में 'विश्व प्रसिद्ध व्यक्तियों' अध्याय में महात्मा गांधी की जीवनी न होना एक आश्चर्यजनक बात है । इसी प्रकार 'अध्याय १४ में चीन की प्रगति का विस्तृत वर्णन है, परन्तु अध्याय १५में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत की प्रगति का वर्णन बहुत ही संक्षिप्त है । हमारे विचार से चीन और रूस की प्रगति का जहां पर वर्णन किया गया है वहां पर यह भी बताया जाना चाहिये था कि उन्होंने अपनी प्रगति के लिये किन तरीकों को इस्तेमाल किया ताकि विद्यार्थियों को पूरी बात का पता लग जाय' । इसके अतिरिक्त सामाजिक ज्ञान की पुस्तकों में ऐसे पाठ भी हैं, जो साम्यवादी विचारधारा का प्रतिपादन करते हैं । पुस्तक ६ के पाठ १३, १४ और १५ में चीन व रूस की प्रगति के सामने भारत की गति का संक्षिप्त विवरण एक बड़ी गलती है ।

इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि केरल में किस प्रकार की पाठ्य पुस्तकें बच्चों को पढ़ाई जाती हैं ।

केरल में इस प्रकार की प्रशासन नीति थी और इसका जिक्र राज्यपाल के प्रतिवेदन में भी किया गया है कि जनता में असंतोष की भावना फैल चुकी थी । मैं सभा को बताना चाहता हूं कि केरल की विधान सभा में १२६ सदस्यों में से ६० सदस्य साम्यवादी दल के थे और मंत्रिमंडल बनाने के लिये उन्होंने ५ स्वतंत्र सदस्यों का सहारा लिया । दो स्वतंत्र सदस्यों को मंत्री भी बनाया गया । एक मंत्री की तो पहली मांग यही थी कि मंत्रिमंडल में उनको लिया जाये । मैं बताना चाहता हूं कि यदि केरल कांग्रेस चाहती तो प्रजा समाजवादी दल, मुस्लिम लीग तथा स्वतंत्र सदस्यों को मिलाकर वहां मंत्रिमंडल बना सकती थी । परन्तु जैसा कि माननीय गृह-कार्य मंत्री ने संकल्प प्रस्तुत करते समय बताया, हम सत्तारूढ़ होने को उत्सुक नहीं थे ।

मैं यह भी बताना उचित समझता हूं कि जो स्वतत्र सदस्य विजयी हुए थे वह प्रजा समाजवादी दल तथा मुस्लिम लीग को समर्थन के कारण ही सफल हुए थे । विधि मंत्री श्री बी० आर० कृष्ण अय्यर एक स्वतंत्र सदस्य थे तथा टेल्लीचेरी उनका चुनाव था व समाजवादी दल व मुस्लिम लीग की सहायता से विजयी हुए थे । टल्लीचेरी नगरपालिका परिषद् में मुस्लिम लीग सत्तारूढ़ है और उन्होंने एक संकल्प पारित किया कि चूंकि चुनाव से पहले आपका साम्यवादी सरकार से मिलने का कोई विचार नहीं था, अतः आपको अब त्यागपत्र दे देना चाहिये । इसी सम्बन्ध में एक तार विधि

मंत्री के पास भी भेजा गया। श्री कृष्ण अय्यर ने इसका उत्तर देते हुए जो कुछ लिखा वह संक्षेप में इस प्रकार है :—

> "आपका तार मिला परन्तु मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हूं। चूंकि मैं समझता हूं कि मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि नेताओं का विचार है कि मैंने मुसलमानों की भावनाओं का तिरस्कार नहीं किया है। आपका तार केवल नगर के कुछ मुस्लिम नेताओं तक सीमित है। प्रजा समाजवादी दल के सामने चुनाव होते समय मैंने जो कुछ कहा था उसका उलंघन मैंने नहीं किया है।"

ऐसा लगता है कि उनके मतानुसार मुस्लिम लीग के प्रामाणिक नेताओं ने उनसे पदत्याग की मांग नहीं की थी। इस उत्तर के दो दिन पश्चात् मुस्लिम लीग पार्टी ने एक प्रस्ताव पारित करके श्री कृष्ण अय्यर से मांग की कि वे केरल सरकार से इस्तीफा दे दें। इस प्रकार उनके उपरिलिखित पत्र का कोई महत्व नहीं रह जाता है। आप देखेंगे कि केरल मंत्रिमंडल के दो सदस्य श्री कृष्ण अय्यर व डा० ए० आर० मेनन मुस्लिम लीग व प्रजा समाजवादी दल के समर्थन से जीते थे। और जब जनता का ख्याल उनकी ओर से बदल गया और मुस्लिम लीग व प्रजा समाजवादी दल ने उन से कहा कि वे मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दें तो उनका नैतिक कर्त्तव्य था कि वे त्यागपत्र अवश्य दे देते। पर ऐसा नहीं किया गया।

माननीय प्रधान मंत्री पर षड्यंत्र का आरोप लगाया गया जबकि सच यह है कि केरल में साम्यवादी दल स्वयं एक षडंयंत्र कर रहा था—लोकतंत्र को उखाड़ फेंकने के लिए। मैं समझता था कि केरल में यदि कोई षड़यंत्र था, तो यही था। श्री डांगे ने अपने भाषण में कहा कि हमारे प्रधान मंत्री अब तक अमर देवता थे परन्तु अब वह साधारण मनुष्य रह गये हैं। क्या ही अजीब बात है कि साम्यवादी दल जब चाहता है तब प्रधान मंत्री को अमर देवता या साधारण मनुष्य बना देता है। १९४७-४८ में उन्हें साम्राज्यवादी एजेन्ट कहा गया और उनकी सरकार को हिंसा से उलट देने का प्रयत्न किया गया। मैं पूछता हूं कि उस समय वे अमर देवता थे या साधारण मनुष्य। अतः मैं तो समझता हूं कि साम्यवादी लोग अवसर देखकर प्रधान मंत्री को अमर देवता या साधारण मानव, कुछ भी कह सकते हैं।

श्री डांगे ने कांग्रेस की वर्तमान अध्यक्षा के बारे में कहा कि राजनीति में वह अभी छोटी सी बच्ची हैं। मेरा निवेदन है कि भारत की नारियों के लिये बड़े सम्मान की बात है कि वह कांग्रेस की अध्यक्षा बनाई गईं और ४० करोड़ जनता के कल्याण का उत्तरदायित्व उनको सौंपा गया। मुझे इतना ही कहना है। मैं माननीय गृह-कार्य मंत्री के संकल्प का समर्थन करता हूं।

†**श्री वें० प० नायर** : व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के लिये मैं एक बात कहना चाहता हूं। श्री थामस ने अपने भाषण में कहा कि मैं श्री एन० सी० चटर्जी के एक वक्तव्य की पुष्टि करूंगा। मैं सभा को बताना चाहता हूं कि श्री चटर्जी ने ऐसी कोई बात नहीं कही थी। हमारी तरह उन्हें भी मालूम था कि आन्ध्र राज्य बनने के बाद वहां दो आई० जी० थे—श्री नम्बियार और श्री शिव कुमार लाल। यह कहना कि श्री चटर्जी को इसका पता नहीं था बिल्कुल ग़लत है।

श्रीमती सुचेता कृपालानी (नई दिल्ली) : राष्ट्रपति का हस्तक्षेप अथवा राज्य सरकार को हटाना भारत में पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी ऐसा हुआ है लेकिन कुछ कारण वशात अब की बार इस की आलोचना बहुत हुई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती सुचेता कृपलानी]

यह कहा गया है कि प्रजातन्त्र खतरे में है। प्रजातंत्र में सामान्यतः यह प्रथा स्वीकार कर ली गई है कि विधान सभा में जब कोई सरकार हार जाये तो यह समझा जाता है कि उसके पीछे बहुमत नहीं रहा है। इसलिये साम्यवादियों अन्य दूसरे लोगों द्वारा यह आलोचना की गई है। लेकिन जैसा कि श्री पंत ने अपने भाषण में एक उदाहरण देकर स्पष्ट किया है कि बहुमत के होने पर भी मंत्रिमंडल से शासन छोड़ने के लिये कहा गया था अतः जनता के समर्थन को नापने के लिये यह उपाय नहीं है। आंगल इतिहास में भी इस बात के उदाहरण मिलते हैं कि बहुमत होने पर भी देश का बहुमत समर्थन न होने पर मंत्रिमंडल को शासन छोड़ना पड़ा था। यहां हम देखते हैं कि साम्यवादी मंत्रिमंडल को बहुमत समर्थन प्राप्त नहीं था। अतः त्यागपत्र देने के लिये उनसे कहा गया। हालांकि साम्यवादी मंत्रिमंडल ऐसा करना नहीं चाहता था।

अब प्रश्न यह उठता है कि बहुमत का यह समर्थन वापस क्यों लिया गया क्या उन्होंने कोई कार्य ऐसे किये थे जिनसे भारत संविधान का उच्छेदन हुआ।

२८ महीने पूर्व साम्यवादियों ने पांच स्वतंत्र विधायकों की सहायता से सरकार बनाई लेकिन उन्हें दल के बाहर के व्यक्तियों का भी उनके साथ समर्थन एवं सद्भावनायें थी। यह कहा गया है कि वहां की जनता कांग्रेस तथा प्रजा समाजवादियों से परेशान आ गई थी अतः उन्होंने साम्यवादियों का स्वागत किया। यह भी कहा गया है कि केन्द्रीय सरकार ने शुरू से ही इस साम्यवादी सरकार को ठप्प करने के लिये प्रयत्न किया लेकिन मैं बता देना चाहती हूं कि केन्द्रीय सरकार की उनके साथ सदभावना थी और इसने सदैव ही उनको सहयोग दिया। राज्यपाल ने अपने प्रतिवेदन में इस बात का उल्लेख किया है कि मतभेद होने पर भी केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार के साथ सहयोग कर रही थी। वित्तीय दृष्टि से भी केरल राज्य के साथ अन्य राज्यों जैसा बर्ताव किया गया। सत्तारूढ़ होने पर साम्यवादी सरकार ने कहा था द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये ८७ करोड़ रुपये की राशि कम है उन्हें २०० करोड़ रुपये दिये जाने चाहिये लेकिन हम देखते हैं कि वे ८७ करोड़ रुपये भी खर्च नहीं हो पाये। अगर वे सब राशि खर्च करते तो उन्हें अधिक धन दिया जा सकता था लेकिन उन्होंने तो आधा धन भी खर्च नहीं किया। अतः आपका यह कहना ठीक नहीं है कि केन्द्रीय सरकार का बर्ताव उनके साथ अच्छा नहीं था अथवा वह उनके साथ सहयोग नहीं कर रही थी।

एक वर्ष पूर्व जब डा० क० ब० मेनन ने प्रस्ताव रखा था तब साम्यवादियों को छोड़ कर शेष सभी सदस्य उस पर चर्चा करना चाहते थे क्योंकि उन दिनों केरल से यही समाचार मिल रहे थे कि सरकार का वहां की जनता के साथ बर्ताव अच्छा नहीं है—पक्षपातपूर्ण बर्ताव है। लेकिन उस समय श्री जवाहरलाल नेहरू तथा पंडित गोविन्द बलभ पंत ने वाद-विवाद रुकवा दिया। इस प्रकार उन्होंने साम्यवादियों को कार्य करने के लिये और अवसर दिया। इसलिये माननीय सदस्य यह नहीं कह सकते कि केन्द्रीय सरकार उनके विरुद्ध षड़यंत्र कर रही थी। वास्तव में तो केन्द्रीय सरकार उनकी सहायता करना चाहती थी।

लेकिन आज २८ महीने पश्चात हम देख रहे हैं कि साम्यवादियों को छोड़ कर शेष दल उनके विरुद्ध हो गये हैं। सभी जातियां ईसाई, मुसलमान, हिन्दू उनके विरोध में हैं। सभी नगरपालिकाओं तथा अधिकांशतः पंचायतों ने, जो निर्वाचित निकाय है, प्रस्ताव पास किये हैं कि साम्यवादी सरकार शासन छोड़े। सभी वकील समाजों ने उनसे शासन छोड़ने के लिये प्रस्ताव पास किये हैं। वकील लोग तो किसी दल के नहीं होते वे तो व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा चाहते हैं उन्होंने भी इनसे शासन छोड़ने के लिये कहा है।

साम्यवादी मजदूर संघों को छोड़ कर अन्य सभी मजदूरों संघों ने आन्दोलन में भाग लिया है। सभी विद्यार्थियों ने एक मत हो कर इनसे शासन छोड़ने की मांग की है। उनके ४३ संघों में से एक संघ को छोड़ कर शेष ४२ संघों ने ऐसे प्रस्ताव पारित किये हैं। मैंने अपने केरल के भ्रमण में शहरों तथा गावों का दौरा किया लेकिन इस जैसा आन्दोलन मैंने ब्रिटिश शासन-काल में भी नहीं देखा था। वहां की महिलायें जो शिक्षित एवं अग्रगामी हैं, जो राजनीतिक कार्य क्रमों में भाग नहीं लेती, वे भी इनके विरोध में बाहर निकल आईं और बन्दी बनीं। इनमें सभी जातियों की महिलायें सम्मिलित थीं। त्रिवेन्द्रम में महिलाओं पर अमानुषिकता पूर्ण लाठी प्रहार किया गया। जिसकी सभी लोगों ने भर्त्सना की है।

अब प्रश्न यह उठता है कि वहां के सभी राजनीतिक दल, सभी जातियों और सभी जनता वहां की सरकार का विरोध कर रही है लेकिन क्यों? इस सामूहिक विरोध का कारण क्या है?

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

श्री डांगे ने इसका उत्तर देते हुये कहा है कि चूंकि वहां की सरकार प्रगतिवादी थी अतः सभी लोगों ने उसका विरोध किया। उन्होंने यह भी कहा था कि जब भी साम्यवादियों सरकार सत्तारूढ़ होगी तो वह किसानों तथा श्रमिकों की भलाई के लिये कार्य करेगी। अगर उनकी सरकार किसानों तथा श्रमिकों के लिये कार्य कर रही थी तो फिर वे लोग ही उनके विरुद्ध क्यों हो गये। यह बात समझ में नहीं आई कि एक ओर तो वे कहते हैं कि कांग्रेस उनके विरुद्ध थी दूसरी ओर वह कहते हैं कि वहां की सरकार कांग्रेस नीति का अनुसरण कर रही थी। उनका कहना है कि चूंकि सभी लोग प्रगतिशील नहीं थे अथवा पिछड़े थे अतः वे प्रगतिशील प्रशासन को समझ नहीं सके।

साम्यवादियों का दूसरा आरोप साम्प्रदायिकता का है। इस आन्दोलन का उद्देश्य प्रजातंत्र तथा व्यक्तियों और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा था। वे लोग मुसलमानों अथवा नायरहितों के लिये नहीं लड़ रहे थे। वे केरल में प्रजातंत्र की सुरक्षा के लिये लड़ रहे थे। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये सभी जातियां सम्मिलित थीं। मैंने वहां कोई भी साम्प्रदायिक नारा नहीं सुना। हां, यह साम्प्रदायिक आन्दोलन इस दृष्टि से था कि भारतीय धर्म को मानते हैं वे साम्यवादियों की तरह अधार्मिक नहीं हैं। मैं एक बात पूछना चाहती हूं कि अगर उनकी सरकार प्रगतिशील थी और वह निर्धनों के लिये कुछकर रही थी तो फिर हजारों की तादाद में ये लोग इसके विरुद्ध क्यों हो गये। उस दृष्टि से मैं तो कहूंगी कि यह साम्यवादियों की महान असफलता थी। इस लिये मैं तो इस निष्कर्ष पर पहुंची कि वहां का यह आन्दोलन किसी वर्ग विशेष का आन्दोलन नहीं था बल्कि सभी व्यक्तियों का आन्दोलन था जो अपने वैयक्तिक अधिकारों की सुरक्षा करना चाहते थे। वहां किसी भी दल विशेष के नेतृत्व में यह आन्दोलन नहीं हुआ था। सभी दल एकत्रित हो गये और उन्होंने इस आन्दोलन में भाग लिया।

मैंने कोट्टयम जाते समय चांगानूर के निकट पुलिस के सिपाहियों को सड़क पर रोक लगाते हुये स्वयं देखा है। ताकि वे जनता में विरोधीतत्वों के बारे में प्रचार कर सकें। मेरी कार वहां रोक ली गई थी। कार में मैं, अकेली ही नहीं थी बल्कि मेरे साथ तीन व्यक्ति और भी थे। उन्होंने भी यह घटना देखी। कोट्टयम पहुंचने पर हमने देखा कि सब तरफ़ सुनसान था। पुलिस के जाने पर कुछ लोग बाहर निकल कर आये उन्होंने बताया कि एक प्रकार से यहां मार्शल ला है। सड़क पर इनके द्वारा लगाई गई रोक तो आप देख ही चुकी हैं। आगे चल कर आपको दो पुल और मिलेंगे जिनको पुलिस ने तोड़ फोड़ दिया है। उनके चित्र लिये जायेंगे और दोष

[श्रीमति सुचेता कृपलानी]

हमारे सर मढ़ा जायेगा। साम्यवादियों ने यह इसलिये किया वे जनता पर गोली चला सकें और उसके प्रमाण में ये चित्र दिखा सकें ।

साम्यवादी दल सविधान के अधीन सत्तारूढ़ हुआ और उसने संविधान के प्रति शपथ ली संविधान के अनुसार शासन करने की उन्होंने सौगंध ली। हमारे संविधान के अनुसार विधि की दृष्टि से सभी लोग समान हैं। सभी को वैयक्तिक सुरक्षा के समान अधिकार हैं। लेकिन सत्तारूढ़ होने पर, जैसे कि आशा थी कि वे हमारे संविधान के अनुसार कार्य करेंगे, साम्यवादी सरकार ने कार्य नहीं किया। यह बड़ा स्वाभाविक था क्यों कि वे इस प्रकार के प्रजातंत्र में विश्वास नहीं करते थे। वे अपने दल की प्रभुता में विश्वास करते थे।

वहां दरअसल बात यह हुई कि संविधान की आड़ में एक दूसरी ही सरकार बन गई। राज्य के अन्तर्गत एक और दूसरा राज्य बन गया। जो साम्यवादी दल द्वारा शासित थी। उनके वित्तीय साधन क्या थे यह बात मेरी समझ में नहीं आई। अतिरिक्त संवैधानिक सरकार चलाने के लिये उन्हें सरकार से अप्रत्यक्ष रूप से शारी मिली साम्यवादी दल की स्थानीय शाखाओं के मंत्रियों ने प्रशासन पर हाबी होना शुरू कर दिया। और सरकारी कर्मचारियों को आदेश देने शुरू कर दिये। अतः वहां इस प्रकार का शासन चला। इस प्रकार उन्होंने प्रशासन तथा न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप किया। इस सम्बन्धी सूचना भी प्रकाशित हो चुकी है। यदि आप केरल के वकीलों द्वारा राष्ट्रपति को दिये गये ज्ञापन को देखें तो आप को पता चल जायेगा कि जिन न्यायाधीशों ने साम्यवादियों की इच्छानुसार कार्य नहीं किया या तो उन्हें हस्तान्तरित कर दिया गया अथवा उनकी पद-अवनति कर दी गई। अदालतों में निलम्बित मामलों में साम्यवादियों द्वारा हस्तक्षेप करने के भी मामले हैं। उनकी विस्तृत सूचना इस ज्ञापन में दी हुई है । यह एक ऐसा मामला है जिसकी जांच आसानी से की जा सकती है।

इस प्रकार राज्य में दो वर्ग बन गये। एक वर्ग तो ऐसा था जो विधि के क्षेत्राधिकार से अलग था और दूसरा वर्ग ऐसा था जिसे विधि के अनुसार न्याय भी नहीं मिलता था। इस प्रकार के उदाहरण श्री थामस ने दे दिये हैं। नगरपालिका की सीमा में कांग्रेसी विधायक तथा कार्यकर्ता के ऊपर दिनदहाड़े आक्रमण किये गये। उनके मकानों पर हमला किया गया उनको क्षति पहुंचाई गई। मैंने अपने भ्रमण के दौरान में उन स्थानों का स्वयं देखा है। लेकिन पुलिस को सूचना देने के बावजूद भी उन्हें कोई सुरक्षा नहीं दी गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर आक्रमण करने, उन्हें मारने के बहुत से उदाहरण भी मिलते हैं । लेकिन साम्यवादी हम पर यह आरोप लगाते हैं कांग्रेस वालों ने वहां हिंसा से कार्य किया। लेकिन मैं कहूंगी कि साम्यवादीयों ने वहां हिंसात्मक कार्यवाही की और पुलिस द्वारा जनता की सुरक्षा नहीं की गई। राज्यपाल के प्रतिवेदन में इस प्रकार का भी उल्लेख मिलता है ।

ताड़ीवालों का संगठन किस प्रकार किया उनको किस प्रकार धन दिया गया इसके बारे में श्री थामस ने बता दिया है। इस सम्बन्ध में मुझे व्यक्तिगत जानकारी है, लेकिन मैं सदन का समय नहीं लूंगी। राज्यपाल ने अपने प्रतिवेदन में इन ताड़ीवालों के संगठन, उनके कार्य तथा उनको किस प्रकार धन मिलता है इन सब बातों का उल्लेख किया है। ताड़ी वालों का यह संगठन, सहकारी संस्थाओं के नाम पर, गरीबों की दशा सुधारने के बहाने साम्यवादियों के अनधिकृत सुदृढ़ दल के रूप में जनता को डराने का कार्य कर राहा है ।

श्री डांगे ने पुलिस के पक्षपातपूर्ण बर्ताव को ठीक बताते हुये कहा है कि साम्यवादी सरकार जनता के कल्याण के लिये है तथा उनकी सहायता एवं भलाई के लिये है जो मजदूरों के शोषक नहीं

हैं। और पुलिस सदा ही इन मजदूरों की सहायता उन शोषकों के विरुद्ध करेगी। हम इस सिद्धान्त को स्वीकार नहीं करते। लेकिन उन्होंने जो कुछ कहा है उसे हम स्वीकार भी कर लें तो क्या उन सिद्धान्तों का वहां पालन भी हुआ है? लेकिन स्थिति वहां दूसरी ही है। गैर साम्यवादी मजदूरों के साथ उनका बर्ताव ठीक नहीं है पुलिस ने उन पर लाठी प्रहार किया है उन पर गोली चलाई है। मजदूर वर्ग में भी पुलिस के बर्ताव के बारे में बड़ी सख्त शिकायत है। मुझे आशा है कि प्रजासमाजवादी तथा अन्य दल भी इस प्रकार की शिकायतों का उल्लेख अपने भाषणों में करेंगे। एक उदाहरण देती हूं जहां कि पक्षपात किया गया है अदूर के रबड़ बागानों में ३०० एकड़ भूमि को अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस, तथा भारत राष्ट्रीय मजदूर संघ कांग्रेस में बराबर बराबर बांटने का निर्णय किया गया लेकिन बाद को मंत्री महोदय के हस्तक्षेप करने पर अखिल भारतीय मजदूर संघ को तो २५० एकड़ मिली और दूसरे संघ को केवल ५० एकड़। क्या मजदूरों के प्रति यही समानता दिखाना है? क्या यह शोषण नहीं है।

श्री डांगे ने कहा है कि मजदूरों के विरुद्ध पुलिस का उपयोग नहीं किया गया है। लेकिन भारत राष्ट्रीय मजदूर संघ के प्रधान श्री नायर ने श्री डांगे को उत्तर देते हुये अपनी पुस्तिका में लिखा है कि जब उनके संघ के कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे थे तो पुलिस ने उन पर लाठियां चलाई और बाद को बन्दी बना कर ले गई। उन्होंने यह भी बताया है कि वह तत्सम्बन्धी घटनाओं के बारे में तिथि और समय भी दे सकते हैं। इस से प्रकट होता है कि साम्यवादी राज्य में मजदूरों के साथ इस प्रकार के अत्याचार हुये हैं। इस प्रकार श्री डांगे की बात गलत हो जाती है। हां यह ठीक हो सकता है कि पुलिस ने साम्यवादी मजदूरों के साथ भलाई की है और विरोधी मजदूरों को सताया है।

अंत में मैं निवेदन करूंगी कि केरल में संविधान का उच्छेदन हुआ है। इसलिये यह ठीक ही समय था जब कि राष्ट्रपति ने वहां हस्तक्षेप किया। मैं तो कहूंगी कि राष्ट्रपति तथा केन्द्रीय सरकार ने काफ़ी धैर्यता से काम लिया उन्होंने वहां की सरकार को काफ़ी समय दिया।

†**श्री फ्रैंक एन्थनी** (नामनिर्देशित आंग्ल-भारतीय) : यह सुझाव दिया गया है कि जब एक राज्य में स्थिर बहुमत हो तो वहां संविधान के अनुच्छेद ३५६ को लागू नहीं किया जा सकता। मेरा निवेदन है कि यह बहुत ही संकीर्ण विचार है। हमारे यहां अभी तक जो पूर्वोदहारण मिले हैं उनमें स्थिर बहुमत न होने पर ही अनुच्छेद ३५६ लागू किया गया है। लेकिन संविधान के अनुच्छेद ३५६ में स्पष्ट कहा है कि "जब किसी राज्य में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता तो उस समय राष्ट्रपति का यह अधिकार ही नहीं हो जाता बल्कि यह उसका कर्तव्य है कि वह संविधान के अनुच्छेद ३५६ के अनुसार कार्य करे।" ठीक यही बात केरल में हुई। और राज्यपाल ने अपने प्रतिवेदन में इस बात के काफी प्रमाण दिये हैं।

वहां मंत्रिमण्डल भी स्थिर बहुमत में नहीं था तथा साथ ही संविधान के उपबंधों का भी वृहद रूप में उल्लंघन हुआ था। राज्यपाल ने अपने प्रतिवेदन में राज्य सरकार द्वारा की गई वृहद गड़बड़ी का उल्लेख किया है। वहां सजायें कम कर दी गई, मुकद्में वापस लिये गये, संविधान के उपबन्धों का पालन नहीं किया गया, अपराधों का पंजीयन नहीं किया गया, उनकी कोई जांच नहीं की गई। पुलिस पूर्णतः अपंगु बन गई। वे दंड प्रक्रिया लागू नहीं कर सकते सारी विधियां रद्द कर दी गईं; उच्च न्यायपालिका एक प्रकार से बेकार कर दी। ऐसी अवस्था में राजनीतिक, संवैधानिक तथा विधिक प्रणाली खाली नाम की थी। आप इस पर विस्तृत रूप से विचार करें।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री फ्रैंक एन्थनी]

केरल में जो कुछ हुआ वह देश के किसी राज्य में नहीं हुआ। और ऐसा किसी भी राज्य जो प्रजातंत्र के सिद्धान्त और आदर्शों में कम से कम भी विश्वास रखती है, वहां हो सकता है। लेकिन यह केरल में संभव था क्योंकि उनका सिद्धान्त तो प्रजातंत्र की अवहेलना है। वहां संघटित रूप से खतरा उत्पन्न किया गया, सेवाओं में भ्रष्टाचार किया गया, वहां संघटित रूप से पुलिस में अनैतिकता फैलाई गई। वहां करदाताओं के धन को जनता की भलाई के लिये न लगा कर साम्यवादी दल को लाभ पहुंचाया गया।

साम्यवादियों की निगाह में जो व्यक्ति साम्यवादी नहीं है वह या तो साम्राज्यवादी है, या प्रतिक्रियावादी अथवा दंडनीय प्रतिक्रियावादी है। श्री डांगे का कहना है कि यह आन्दोलन प्रतिक्रियावादियों का था। लेकिन केरल में हमने देखा है विभिन्न सम्प्रदाय एक दूसरे से मिल गये। इसे हम देखते हैं कि यह साम्प्रदायिकता कहां रही। हमने पहली बार अपने देश में देखा कि जाति, धर्म, सम्प्रदाय अथवा राजनीतिक विचारधारा के भेदभाव के बिना सब लोग एकत्रित हुये और साम्यवाद का विरोध किया। साम्यवादियों ने शुरू में नायरों को केथोलिक लोगों से अलग किया और बाद को आरतीज पुलिया, तथा हडवाओं को हिन्दुओं से अलग करने का प्रयत्न किया। उन्होंने साम्प्रदायिकता फैलाई। एक सम्प्रदाय द्वारा दूसरे सम्प्रदाय को घृणा करना सिखाया। ऐसा प्रतीत होता है कि साम्यवाद सिद्धान्त यह है कि पहले अशांति पैदा करे और एक वर्ग को दूसरे वर्ग से तथा एक सम्प्रदाय को दूसरे सम्प्रदाय से लड़ाये। केरल ने हमको यह सिखाया है कि साम्प्रदायिकता के बिना साम्यवाद स्थिर नहीं रह सकता।

श्री डांगे ने केरल के मजदूर तथा किसानों का उल्लेख किया है। लेकिन मेरा निवेदन है कि उन्हें वहां नाना प्रकार की यातनायें सहनी पड़ी हैं। उनके साथ भेदभाव किया गया है। कांग्रेस सदस्यों को साम्यवादियों के इस कार्य से शिक्षा लेनी चाहिये कि वे पहले भ्रांति में डालते हैं और बाद को आपस में विभाजन कराते हैं। उन्होंने यह कार्य बड़ी सफलता से केरल में किया है और आगे भी करना चाहते हैं।

हम ने देखा है कि साम्यवादियों की बात में एक चौथाई सत्य और तीन चौथाई झूठ होता है।

श्री डांगे ने कहा है कि प्रधान मंत्री ने केरल जाने पर अगर कांग्रेस तथा अन्य दलों से आन्दोलन वापस लेने के लिये कहा होता तो वे आन्दोलन वापस ले लेते। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि सहनशीलता की भी एक सीमा होती है और लोगों की सहनशीलता उस सीमा को पार कर चुकी थी। अतः प्रधान मंत्री के कहने पर भी वे आंदोलन को वापस नहीं लेते। अगर कांग्रेस ने यह आंदोलन वहां वापस ले लिया होता तो एक राजनीतिक दल के रूप में वह वहां समाप्त हो गई होती। उस समय केरल की स्थिति ऐसी थी। उन्होंने प्रधान मंत्री तथा मंत्रिमंडल के सदस्यों को बुरा भला कहा। यहां तक धमकी दी कि अच्छी बात है आप हमारे यहां अनुच्छेद ३५६ लागू करो और और हम बता देंगे कि हम बंगाल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में क्या करते हैं। और मुझे खुशी है कि केन्द्रीय सरकार ने साम्यवादियों की इस धमकी की कोई परवाह नहीं की।

कुछ लोग इस भ्रांति में पड़े हैं कि क्या केरल में "प्रत्यक्ष आन्दोलन" को हमने प्रत्यक्ष रूप से समर्थन नहीं दिया है। उनसे मेरा निवेदन है कि उनका ऐसा करना ठीक था। क्योंकि प्रजातंत्र विरोधी सरकार को प्रत्यक्ष आंदोलन द्वारा हटाना ही अच्छा है। और यह तो हमारा कर्त्तव्य है।

कुछ लोग भारत में साम्यवादियों और प्रजातंत्रवादियों के सहअस्तित्व के बारे में विचार करते हैं। लेकिन मेरी समझ में उनकी यह बात नहीं आई क्योंकि सच्चा साम्यवाद तो प्रजातंत्र विरोधी है। ऐसी स्थिति में फिर भला वे साथ साथ किस प्रकार रह सकते हैं।

कुछ साम्यवादी मित्रों का कहना है कि अमृतसर सिद्धान्त को मानते हैं: लेकिन श्री कृपालानी ने इस सिद्धान्त की व्याख्या करते हुये कहा है कि इसका अर्थ संविधान के अर्वान काम करते हुये संविधान को हानि पहुंचाना है। उस सिद्धान्त की यही विशेषता है।

इस बात के बारे में मतभेद है कि क्या केन्द्रीय सरकार ने बहुत देरी से हस्तक्षेप किया अथवा वह साम्यवादियों के प्रति बहुत अधिक नम्र थी। मेरा विचार है कि वह उनके प्रति बहुत नम्र थी। वह बहुत पहले ही हस्तक्षेप कर सकती थी और उन्हें बता सकती थी कि आप ने विधि के नियमों का उल्लंघन किया है और संविधान का उच्छेदन किया है। लेकिन अगर सरकार ने एक वर्ष पूर्व ऐसा किया होता तो सभा में इस प्रकार की बातें होतीं जो हमने कभी देखी न होतीं। अतः मेरा विचार है कि सरकार ने उस समय बड़ी योग्यता से काम लिया और केरल राज्य की जनता द्वारा इस प्रकार विरोध करने तक प्रतीक्षा की। अब हर कोई कह सकता है कि सरकार के विरुद्ध यह बृहद आंदोलन था। वहां के प्रत्येक व्यक्ति ने अपने भेदभावों को भूल कर और संयुक्त रूप से एकत्रित हो कर न केवल केरल को ही बल्कि समस्त संसार को यह दिखा दिया कि हम चाहे अपने आप खड़े खड़े मर जायेंगे लेकिन साम्यवादी सरकार बर्दाश्त नहीं करेंगे।

अतः माननीय गृह मंत्री ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं।

†**श्री अ० क० गोपालन** (कासरगोड) : जहां तक उद्घोषणा के संवैधानिक औचित्य का सम्बन्ध है उसके बारे में श्री ईश्वर अय्यर ने बताया है। इस कारण मैं इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। श्री थामस ने बंदियों की रिहाई, पाठ्य पुस्तकों तथा सहकारी संस्थाओं आदि के बारे में बहुत सी बातें कहीं। मैं दूसरे पक्ष की बातें भी यहां बताना चाहता हूं कि ताकि सभा को दोनों तरफ की तस्वीर दिखाई जाय और सभासद ठीक तरह से स्थिति को समझ सकें। श्रीमान्, मैं यह चाहता हूं कि इन आरोपों को जो उत्तर केरल सरकार ने दिये हैं वे सभा-पटल पर रखे जायें।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि पाठ्य पुस्तकों में महात्मा गांधी का कोई उल्लेख नहीं था। आप सामाजिक अध्ययन की पुस्तक संख्या ३ के पृष्ठ ७३—७४ देखें। उसमें लिखा है कि हमारा देश बापू के अथक प्रयत्नों से स्वाधीन हुआ। अहिंसा के कारण उन्हें कोई न भूलेगा। केरल सरकार ने नेहरू जी की पुस्तक "लैटर्ज फ्राम ए फादर टू ए डाटर" को पाठ्यपुस्तक के रूप में लगाया था परन्तु कैथोलिक स्कूलों ने इसे स्वीकार नहीं किया। पाठ्यपुस्तकों का चुनाव सरकार नहीं करती बल्कि एक समिति करती है, जिसके अधिकतर सदस्य साम्यवादी नहीं हैं।

अब मैं राज्यपाल के प्रतिवेदन के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। श्री एन्थनी ने जो कुछ कहा वह सब प्रतिवेदन से असम्बद्ध था। वे मार्क्सवाद पर ही बोलते गये। खैर जो कुछ भी प्रतिवेदन में है उसमें कहीं पर भी यह नहीं बताया गया है कि केरल की सरकार ने किन किन संविधान की धाराओं का उल्लंघन किया।

इसके अतिरिक्त, राज्यपाल ने कहीं पर भी यह नहीं कहा कि आरोप सत्य हैं या नहीं। उन्होंने प्रत्येक स्थान पर यही कहा है कि "आरोप लगाया गया है कि साम्यवादी सरकार ने यह किया वह किया।" इस प्रकार की बातें लिखना राज्यपाल की शान के विरुद्ध है। श्रीमान्, हमने

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० क० गोपालन]

राज्यपाल के प्रतिवेदन की प्रतिलिपि मांगी थी परन्तु हमें नहीं मिली। हमने चर्चा की प्रार्थना की किन्तु चर्चा की अनुमति नहीं मिली। यह सामग्री जो भी हमें दी गई है, वह केवल पूरी रिपोर्ट की संक्षेपिका है। इसमें तो कोई महत्वपूर्ण बात ही नहीं लिखी गई। उसमें बताया जाना चाहिये था कि केरल सरकार ने संविधान की अमुक धाराओं का उल्लंघन किया इत्यादि। इस लिये यदि इसी प्रतिवेदन के आधार पर यह उद्घोषणा जारी की गई है तो यह व्यर्थ है।

प्रतिवेदन में राज्यपाल ने कहा है कि साम्यवादी जनता से पृथक् हो गये हैं और उन्होंने अपने आचरण से केरल में लोकतंत्र का दमन कर दिया है। यह आरोप तो गंभीर है परन्तु इसका कोई प्रमाण नहीं दिया गया है। विधान-सभा के सत्र के आरंभ पर राज्यपाल ने इन्हीं साम्यवादियों की नीति की प्रशंसा की थी। किन्तु अब एक दम यह अन्तर कैसे आ गया। मैं यह जानना चाहता हूं कि वहां लोकतंत्र का दमन किस रीति से हुआ।

प्रतिवेदन में कहा गया है कि सरकार ने साम्यवादी दल के हितों की अभिवृद्धि के लिये ही सरकारी व्यवस्था का प्रयोग किया। यह बात भी समझ में नहीं आती। वस्तुतः हर दल लोकतन्त्र की अलग अलग भावना को महत्व देता है। प्रतिवेदन में यही आरोप लगाया गया है कि साम्यवादी दल ने निहित हितों का पक्ष नहीं लिया। हां यह ठीक है। हमने सदैव परिश्रम करने वाले लोगों के हितों का ध्यान रखा है और उसे रखते भी जायेंगे।

पुलिस सम्बन्धी नीति पर भी बहुत से आरोप लगाये गये कहा गया कि पुलिस केवल एक ही पक्ष की सहायता करने के लिये है। परन्तु यह आरोप भी गलत है। पुलिस नीति को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहले तो यह कि केरल के प्रत्येक निवासी के जीवन और उसके माल की पूरी हिफ़ाजत की जायगी; चाहे वह कोई भी क्यों न हो; और दूसरे यह कि पुलिस गरीबों को न सतायेगी। आप जानते हैं कि १९४७ के बाद भारत में लाखों बेदखलियां हुई हैं। सामान्यतया पुलिस की सहायता से ही मकान मालिक या जमींदार किरायादारों या कृषकों को बेदखल करते हैं। अतः इस संम्बन्ध में केरल सरकार ने किरायेदारों और कृषकों की सहायता की। अतः इस नीति को तरफदारी की नीति नहीं कहा जा सकता। मैं अधिक कुछ नहीं कहना चाहता; केवल यही बताना चाहता हूं कि अभी राष्ट्रपति की उद्घोषणा जारी हुये केवल १७ दिन हुये हैं परन्तु केरल में गरीबों पर फिर से अत्याचार होने लगा है।

हमारा उद्देश्य लोकतंत्र का विनाश न था, बल्कि इसे और भी ज्यादा मजबूत बनाना था। सरकार ने नयी पुलिस नीति अपना कर निर्धनों की सहायता की है।

अब आप केरल सरकार की खाद्य नीति पर भी विचार कर सकते हैं। यह नीति भी हानिकारक नहीं थी। संविधान में लिखा है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करेगा और उन्हें आवश्यक अधिकार भी सौंपे जायेंगे। हमने इसी के अनुसार पंचायत विधेयक तथा ज़िला परिषद् विधेयक पेश किये थे ताकि सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो। केरल सरकार ने गरीबों की बेदखलियां बंद की क्या इसी से जनता ने उन्हें विरोधी पाया।

इसके बाद ५–६ लाख श्रमिकों की सहकारी संस्थायें बनायी गईं। यहां पर यह कहा जाता है कि इन सहकारी संस्थाओं को एक साधन बना कर साम्यवादी दल को धन दिया गया। यदि एक श्रमिक जो साम्यवादी है १००–२०० रुपया बोनस के रूप में ले जाता है तो क्या हानि है ?

इसी तरह से जहां तक शिक्षा विधेयक का प्रश्न है उसमें भी केरल के लाखों अध्यापक हमारे साथ हैं। शिक्षा के बारे में हमारा विरोध शिक्षा संस्थाओं के प्रबन्धकों ने किया है।

इसी तरह से ऋण सहायता विधेयक से २०,००० लोगों को फायदा पहुंचा है। वस्तुतः इधर भी हमारा विरोध साहूकारों ने किया है।

साम्यवादी सरकार ने श्रमदान से ३२१ छोटी सिंचाई योजनायें कार्यान्वित कीं और बिजली भी इसी तरह से लगाई गयी। वहां लोगों ने श्रमदान से मुन्सिफ की अदालत भी बनवाई। इस लिये यह नहीं कहा जा सकता कि वहां लोकतंत्र का दमन हुआ वरन् यही कहा जा सकता है कि वहां नौकरशाही का दमन हुआ। जहां तक मंत्रियों के आचरण का सम्बन्ध है और जहां तक सरकारी नीतियों का सम्बन्ध है किसी से भी लोकतंत्रात्मक भावनाओं का दमन नहीं होता था।

हिन्दू समाचार पत्र के एक संवाददाता ने केरल के श्रमिकों की सहकारी संस्थाओं का अध्ययन किया है। उन्हें वे संतोषजनक लगी थीं। साम्यवादियों ने जब शासन का भार संभाला था तब गरीब लोगों, किसानों और श्रमिकों को यह आशा हो गई थी कि अब वे जन्म जन्मान्तर के दुखों से छूट जायेंगे। किन्तु अब उनके पत्र हमारे पास आते हैं और वे कहते हैं कि उन्हें अब कोई आशा नहीं रही। हमारी सरकार ने लोकतंत्र को नहीं वरन् त्रावणकोर-कोचीन की सामन्तशाही को उखाड़ा था। वस्तुतः कोई भी सरकार जब कभी समाज सम्बन्धी कानून बनाती है तो लाखों लोग उसके विरुद्ध उठ खड़े होते हैं। हाल ही में कांग्रेस के नागपुर के संकल्प के विरुद्ध भी तो राजा जी ने एक स्वतंत्र दल की रचना कर डाली है।

कहा गया है कि साम्यवादियों ने स्वयं केन्द्रीय हस्तक्षेप की अभ्यार्थना की थी। परन्तु यह बात गलत है। अगर आप उसे सही मानते हैं तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप पश्चिमी बंगाल में भी हस्तक्षेप करें।

केरल में विरोधी दलों ने मंत्रियों को गालियां दीं। किसी ने कहा मंत्रियों की नाक काट लो और किसी ने कुछ। असैनिक तथा पुलिस के वरिष्ठ कर्मचारियों को भड़काया गया। परन्तु इस पर भी केरल सरकार ने निवारक निरोध अधिनियम का प्रयोग नहीं किया। किन्तु बंगाल में सैकड़ों लोग इसी अधिनियम के अन्तर्गत जेलों में ठुंसे पड़े हैं। पंजाब में क्या हुआ। वहां के मुख्य मंत्री ने किसानों की बातें नहीं मानी। मैं पंजाब गया और मुझे वहां से निकल जाने का आदेश दिया गया। किन्तु केरल में हमने श्रीमती सुचेता कृपालानी को हरेक जगह जाने दिया। परन्तु फिर भी केरल में लोक तंत्र नहीं और पंजाब में है। केरल में श्री जाजे तथा मन्नय जैसे नेताओं ने भयानक तथा भयावने भाषण किये। उन्होंने कहा कि यदि इन मंत्रियों को हटा कर इनकी जांच कराई जाय तो इनके नाक कान कटवाने पड़ेंगे और लोगों के सामने इनसे कोड़े लगवाने होंगे। इस से सिद्ध होता है कि केरल सरकार का विनाश करने की साजिश पहले से ही तैयार हो चुकी थी।

केरल में पहले पहल विरोधियों ने विद्यार्थियों को भड़काया और बाद में उन्होंने हिंसात्मक कृत्य किये परन्तु केन्द्रीय सरकार ने एक बार भी उन हिंसात्मक कार्यवाहियों की निंदा नहीं की।

आप जानते हैं कि प्रधान मंत्री ने इस बात की घोर निंदा की थी कि यदि कोई दल विधिवत निर्वाचित सरकार को पद से हटाने के उद्देश्य से आन्दोलन चलाये तो उस आन्दोलन का विरोध किया जायेगा। परन्तु केरल में कांग्रेस वालों ने स्वयंमेव ही यह आन्दोलन चलाया। आन्दोलन किसी एक मामले पर होने चाहिये। वह मामला सुलट भी सकता है। परन्तु इस प्रकार के आन्दोलन तो अनुचित हैं। केन्द्रीय सरकार ने कभी भी आन्दोलन की भर्त्सना नहीं की। कांग्रेस ने अपने सिद्धान्तों का स्वाहा कर दिया।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० क० गोपालन]

केरल में २६ पाठशालायें जला दी गयीं। बसें भी जलाई गयी थीं। क्या आपने कभी ऐसा कहीं और भी देखा है? यह समाज एवं देश विरोधी कार्यवाहियां केवल मात्र केरल में ही हुई हैं। वहां पर विद्यार्थियों ने हिंसात्मक दंगे फिसाद किये किन्तु किसी ने उनका विरोध न किया। नैयर समाज तथा कैथलिकों की साम्प्रदायिक संस्थाओं ने कांग्रेस की सहायता की। किन्तु कांग्रेस के महान नेताओं ने ये सारी बातें सहन कीं और उनकी रोकथाम न की। पहले अपहल तो प्रधान मंत्री यह कहते रहे कि हिंसात्मक प्रदर्शनों से सरकार उलटना अनुचित है परन्तु बाद में उन्होंने भी मौन धारण कर लिया।

श्री थामस ने बताया है कि निर्वाचनों में अमुक दल जीतेगा। हमें इससे क्या? इस बात का निर्णय तो केवल केरल की जनता ही करेगी।

केरल के मुख्य मंत्री ने प्रधान मंत्री से कहा था कि वे कांग्रेस वालों को समझायें कि वे इस प्रकार से सीधे प्रदर्शनों में सम्मिलित न हों परन्तु उन्होंने बजाय इसके दूसरी प्रकार का हस्तक्षेप किया।

प्रधान मंत्री वहां २३ तारीख को गये उस दिन वर्षा हो रही थी तो प्रदर्शन के प्रबन्धकों ने लोगों में नयी छतरियां बांटी, नये कपड़े दिये और प्रत्येक व्यक्ति को ढाई रुपये दिये गये। इस प्रकार किराये के प्रदर्शनकारियों को लेकर इन लोगों ने जलूस निकाला यह कदापि भी जनता का आन्दोलन न था। ईसाई पादरियों ने धर्म की दुहाई दी और कहा कि ईसाई धर्म खतरे में है। उन दिनों वेटिकन के राजदूत भी बंगलौर में थे। क्या इसे जनता का आन्दोलन कहा जायेगा? ऐसा ही आन्दोलन यहां भी हुआ था उस समय जब कि मास्टर तारासिंह गिरफ्तार कर लियें गये थे। किन्तु उस भीड़ को देख कर भी प्रधान मंत्री ने यह न कहा कि विधिवत निर्वाचित सरकार के विरुद्ध ऐसी कार्यवाही करना अनुचित है।

इसके अतिरिक्त वहां की सरकार ने यह बात भी मानी कि वे गोली चलाने के वाकथात में भी जांच करा देंगे और प्रधान मंत्री की बात भी मान लेंगे। किन्तु केरल सरकार की बात को तो किसी ने सुना भी नहीं।

७ जुलाई को प्रधान मंत्री ने पुनः यह कहा कि हम यह पसंद नहीं करते कि लोग पाठशालाओं और अन्य संस्थाओं के समक्ष धरना दे कर बैठ जांय। हम इसे उचित नहीं समझते। किन्तु कांग्रेस संसदीय बोर्ड के साथ मिलने के बाद उन्होंने भी अपनी राय बदल लीं। उधर हालात खराब होने लगे। वहां के लोगों ने सचिवालय पर कब्जा करने की ठान ली। उन्होंने हर तरीके से असहयोग किया। किन्तु किसी ने न कहा कि यह कार्यवाही अनुचित है। इस तरह देश में सुधार नहीं होता और न कभी देश उन्नति कर सकता है।

श्री थामस इत्यादि बार बार यही कहते हैं कि हम लोगों ने प्रधान मंत्री से जा कर यह प्रार्थना की थी कि वे केरल में हस्तक्षेप करें। किन्तु यह बात नहीं कि हम इस नीयत से गये। वस्तुतः हम ने पूछा कि इन बातों पर प्रधान मंत्री का क्या विचार है? वे कहने लगे कि हम अभी सोच रहे हैं। किसी न किसी प्रकार का हस्तक्षेप तो अवश्य ही होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि इस हस्तक्षेप की बात हमने स्वयं नहीं कही।

मैं तो यही कहूंगा कि षड्यंत्र के द्वारा केरल की सरकार को पदच्युत किया गया है। मैं इस उद्घोषणा को नहीं मानता। यह पहला अवसर है जब कि एक ऐसी सरकार को हटाया जाय जो विधान-सभा में बहुमत रखती हो और जो ठीक तरह से काम चला रही हो।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भरसक कोशिश करूंगा कि इस वाद-विवाद में रोष व उत्तेजना पैदा न होने पावे ; मैं कुछ बुनियादी बातों की चर्चा करूंगा सभा में दोनों पक्षों की ओर से कुछ ऐसी बातें कही गयी हैं, जिनका वाद-विवाद से कोई मतलब नहीं है। पर ऐसे वाद-विवाद में कोई ऐसी निर्धारित रेखा नहीं खींची जा सकती।

श्री डांगे ने, जिन्होंने अपना धाराप्रवाह व विद्वता पूर्ण भाषण दिया, अनेक बातें कहीं। मुझे आश्चर्य हुआ कि इतने लम्बे भाषण में सार की बात कितनी कम थी। उन्होंने जो कुछ कहा उसे समझने की मैंने कोशिश की। उन्होंने, लोकतंत्र तथा अन्य अनेक मामलों व षड्यंत्र आदि के बारे में अनेक बातें कहीं पर चर्चा के विषय के संबंध में बहुत ही थोड़ा कहा। उनके भाषण का और कुछ हद तक श्री गोपालन के भी भाषण का मुख्य तर्क यह है कि केरल सरकार को समाप्त करने के लिये एक षड्यंत्र किया गया था।

सभा के दोनों पक्षों की ओर से और खास तौर से विरोधी पक्ष की ओर से लोकतंत्र शब्द का बहुत अधिक जिक्र किया गया। श्री डांगे ने मुझ पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया—मुझे उनके शब्द ठीक से याद नहीं हैं पर उन्होंने कुछ ऐसे ही शब्द कहे थे। इस संबंध में मुझे एक उस नव-युवक की कहानी याद आती है जिसने अपने मां बाप की हत्या कर दी थी। जब वह न्यायालय के सामने उपस्थित किया गया तो उसने न्यायालय से प्रार्थना की कि चूंकि मैं अनाथ हूं अतः मुझे क्षमा दान दिया जाये।

श्री डांगे ने मेरे बारे में कुछ अच्छी बातें भी कहीं। उन्होंने कहा कि जनता ने मुझे जिस उच्च आसन पर बैठाया था, मैं उस पर से उतार दिया गया हूं। मैं बजात खुद यह पसन्द नहीं करता कि कोई मुझे उच्च आसन पर बैठाये। यदि किसी ने ग़लती से मुझे उच्च आसन पर बैठा भी दिया था, तो यह अच्छी बात है कि उन्होंने मुझे वहां से उतार दिया। यह बात मेरे लिए और उनके लिए अच्छी ही हुई है।

श्री डांगे ने यह भी कहा कि केरल में की गयी कार्यवाही के संबंध में भारत के बहुत से लोगों में, जिनमें कांग्रेस के लोग भी सम्मिलित हैं, बड़ा रोष है। उनके द्वारा इस बात का जिक्र करना बिल्कुल ठीक था। उन्होंने शायद पता होगा कि समाचारपत्रों में भी समाचार आये हैं कि इस मामले पर विचार करने के लिए संसदीय कांग्रेस दल की तीन लम्बी-लम्बी बैठकें हुई थीं। जिन में लोगों ने बिल्कुल स्वतंत्रता पूर्वक अपने विचार प्रकट किये, जैसा कि उन्हें चाहिए था। पर आप जानते हैं कि ऐसा क्यों किया गया ? इसका अभिप्राय यह था कि चूंकि काग्रेस दल लोकतंत्र व वैधानिक प्रक्रिया में विश्वास रखती है अतः वह जानने के लिये आतुर थी कि ऐसा काम क्यों किया गया जिसे अलोकतंत्रात्मक कह कर उसकी आलोचना की गयी। इस से पता लगता है कि काग्रेस दल का स्वरूप क्या है। जब उसकी अपनी सरकार ने एक काम किया या एक कदम उठाया, तो उसने उसे आंख मूंद कर स्वीकार नहीं कर लिया। वह चाहती थी सारे तत्थ्यों व सारी बातों को जानना ताकि उसके सदस्य या समूह अपनी राय कायम कर सकें। उन तीनों बैठकों में हमने देखा कि मोटे तौर पर वे लोग जो केरल में हुई घटनाओं के बारे में जानते थे—उन में से अधिकांश लोग केरल हो भी आये थे—एक मत थे। उनके मन में कोई संदेह नहीं था। कुछ लोगों के मन में जो वहां नहीं गये थे और जिन्हें वहां की घटनाओं के बारे में सारा हाल पता नहीं था, कुछ शंकायें थीं। पर जब उनके सामने इन बैठकों में सारी बातें रक्खी गयी, तो उनके मन में भी कोई शंका नहीं रह गयी। तो मैं यह बता रहा था कि कांग्रेस के आम लोग तथा कांग्रेस के महत्वपूर्ण सदस्य इस प्रकार काम करते हैं। वे हर बात को समालोचक की दृष्टि से देखते हैं। मेरा निवेदन है कि जब हमारी

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

पार्टी के लोग सदियों से इस वातावरण में पले हैं कि वह किसी बात को बिना समझे बूझे आंख मूंद कर मानने को तैयार नहीं हो जाते, जब वे हर बात की आलोचना व प्रत्यालोचना करते हैं, तो क्या इस पार्टी के नेताओं के लिए यह संभव था कि वे कोई ऐसा काम कर सकते, जिसका दल के लोग घोर विरोध करते हों। स्पष्ट है कि ऐसे किसी भी काम से हम में बड़ी अशांति फैल जाती; जब हम परिस्थितियों के कारण बिल्कुल मजबूर ही हो गये, तभी हमने ऐसा कदम उठाया। मैं बताना चाहता हूं कि इस संबंध में हम ही नहीं बल्कि सब ही परिस्थितियों से मजबूर हो गये थे। पर वे परिस्थितियां कैसे पैदा हुईं, यह एक दूसरी बात है जिस पर हम बिचार कर सकते हैं।

श्री गोपालन ने अपने भाषण के अन्त में इस बात का खण्डन किया, जैसा कि कहा गया था, कि साम्यवादी दल के नेता भी चाहते थे कि केन्द्र हस्तक्षेप करे। उन्होंने राष्ट्रपति की उद्घोषणा निकलने के ३ या ४ दिन पूर्व अपनी तथा श्री अजय घोष की मेरे साथ हुई भेंट का भी ज़िक्र किया। वैसे मैं व्यक्तिगत भेंट का उल्लेख करना सामान्य रूप से पसन्द न करता पर चूंकि उन्होंने उसका जिक्र कर दिया है अतः मुझे आशा है कि आप मुझे उसके बारे में कुछ कहने की अनुमति देंगे।

श्री अजय घोष तथा श्री गोपालन ने मुझ से स्पष्ट शब्दों में यह नहीं कहा कि केन्द्र इस मामले में हस्तक्षेप करे। पर यह बात मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि उनकी बातचीत से मेरा यही ख्याल हुआ कि वे केन्द्र के हस्तक्षेप का स्वागत करेंगे। वास्तव में श्री अजयघोष तथा श्री गोपालन ने विमोचन समर समिति द्वारा दी गयी उस धमकी का उल्लेख किया कि ९ तारीख को समिति सचिवालय पर एक विशाल भीड़ लेकर जायेगी और उस पर कब्ज़ा कर लेगी।

निश्चय ही, मेरी राय में वह एक बिल्कुल गलत बात थी। लेकिन जो कुछ भी मुझ से कहा गया उसका मतलब यह था कि मैं इस ९ अगस्त वाली घटना को ही नहीं बल्कि इस सारे आन्दोलन को रोकूं अन्यथा जितनी जल्दी मैं हस्तक्षेप करूं उतना अच्छा होगा। लेकिन इस संबंध में मैं अपने विचार प्रकट कर सकता था और यह भी कह सकता था कि सब अनुचित है पर उस समय या उसके पूर्व भी उस महान आन्दोलन को रोकना मेरे बस की बात नहीं थी। वैसे यदि मैं राज्य का प्रभारी होता और मेरी सरकार ऐसी इच्छा प्रकट करती तो मैं सरकार के बल से ऐसे आन्दोलन का सामना कर सकता था। यह एक दूसरी बात है। पर मैं जानता था कि उस समय आन्दोलन ऐसी स्थिति में पहुंच गया था कि मेरे लाख करने पर भी वह एकाएक रुक नहीं सकता था। अतः मैं ने यही निष्कर्ष निकाला कि जितनी जल्दी यह उद्घोषणा निकाली जाये, उतना ही अच्छा हो।

जब यह उद्घोषणा निकली— मैं अपने मन की बात बता रहा हूं—तो काग्रेस दल के मेरे बहुत से साथियों के मन में बड़ी चिंता पैदा हो गई पर साम्यवादी दल को इस से काफी शान्ति मिली। और यह स्वाभाविक भी है। (**अन्तर्बाधा**) मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि वे लोग शुरू से ही चाहते थे कि केन्द्र हस्तक्षेप करे। पर इतना मैं जरूर कहूंगा कि एक ऐसी स्थिति पैदा हो गयी थी, जिसे संभाल पाना या जिसका सामना कर पाना उनके लिए बहुत ही कठिन हो रहा था।

मुझे बताया गया कि वहां इसके भीषण व भयानक परिणाम होंगे, बड़े पैमाने पर मार-काट होगी और न जाने क्या क्या होगा। कोई भी सरकार, चाहे, वह साम्यवादी सरकार हो या गैर-साम्यवादी, इन बातों को पसन्द नहीं करती। अतः उनके सामने एक बड़ी कठिनाई थी। मैं समझ सकता हूं कि वे कितनी कठिनाई में थे और यदि ऐसी स्थिति में कोई भी सरकार होती तो वह भी उस कठिनाई का अनुभव करती अवश्य। अतः और कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि केन्द्र हस्तक्षेप करे या फिर स्थिति का सामना किया जाये, जिसके कि भयानक परिणाम

होते; मारकाट व क्षति के अतिरिक्त लोगों में कटुता होती जो कि हो सकता है कि चुनावों तक या उसके बाद भी रहती और समझदार राजनीतिज्ञ होने के नाते उन्हें यह पसन्द नहीं था। ऐसी स्थिति में वे कर ही क्या सकते थे। केन्द्रीय हस्तक्षेप के अतिरिक्त उनको और कोई त्राण था ही नहीं।

†**श्री अ० क० गोपालन** : मेरा कहना है कि प्रधान मंत्री ने जो कुछ कहा है वह गलत है। मैं उसका खण्डन करता हूं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : आप किस बात का खण्डन करना चाहते हैं?

†**श्री अ० क० गोपालन** : आप कह रहे हैं कि हमने आप से कहा था "हमें बचाने के लिए कृपया हस्तक्षेप करें"। मैं श्री अजयघोष के साथ था। उन्होंने यह नहीं कहा था।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू**: जहां तक मुझे याद आता है उन्होंने ये शब्द कहे थे: "यदि आप यह सब रोक नहीं सकते, तो जितनी जल्दी आप कार्यवाही करें उतना ही अच्छा है।

†**श्री अ० क० गोपालन** : उन्होंने जो शब्द कहे थे वह ये थे : "क्या आप हमें बता सकते हैं कि आप ने क्या निर्णय किया है। क्या आप हस्तक्षेप करने जा रहे हैं?" उन्होंने पूछा था कि केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय किया है। (*अन्तर्बाधा*)

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं दोनों ओर के सदस्यों से शान्त रहने की प्रार्थना करूंगा। प्रधान मंत्री अपना भाषण जारी रक्खें।

†**श्री जवाहर लाल नेहरू**: माननीय सदस्य ने जो शब्द बताये उनका भी उन्होंने इस्तेमाल किया था। पर केवल इतना ही नहीं, उन्होंने यह बात भी कही थी, जो मैंने बताई है। मैंने उन्हें उत्तर दिया था कि हम अभी तक किसी अन्तिम निश्चय पर नहीं पहुंच सके हैं पर जो कुछ भी हो रहा है उस से हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। (*अन्तर्बाधायें*) खैर, मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता पर मेरा निवेदन है कि जिस समय यह उद्घोषणा निकाली गयी थी, उसके आस पास हम एक ऐसी स्थिति पर पहुंच चुके थे कि केरल में एक बड़े पैमाने पर संकट उत्पन्न हो जाने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं था। मेरा कहना है—मेरा ख्याल है— कि केवल अन्य लोगों की ही ऐसी धारणा नहीं थी बल्कि घटनाओं की परिस्थितियों से मजबूर होकर हमारे बहुत से साम्यवादी मित्र भी इसी निश्चय पर पहुंच चुके थे —खुशी से नहीं बल्कि मजबूरन।

जिस स्थिति मे आकर यह उद्घोषणा निकाली गयी उस समय केवल यह बात नहीं थी कि अन्य कोई मार्ग ही नहीं था बल्कि बात यह भी थी कि सभी लोग एकमत थे कि उद्घोषणा निकाली जाये।

यह कहा जा सकता है कि जिस समय उद्घोषणा निकाली गयी वह तो उद्घोषणा निकालने के लिए उपयुक्त समय था पर उस से पहले की स्थिति के बारे में क्या हुआ? माननीय सदस्या, श्रीमती चक्रवर्ती के प्रश्न का भी उत्तर दिया जा सकता है। माननीय सदस्या का प्रश्न था कि "पहले की स्थिति में क्या हुआ; यह एक षडयंत्र था और अपने अनुच्छेद ३५२ के अधीन या ऐसे किसी अन्य साधन से इसको रोकने के बजाय तरह-तरह से उसे प्रोत्साहित किया"।

अभी कुछ समय पूर्व श्री गोपालन ने पूर्व मेरे कई भाषणों के उद्धरण दिये। समाचार संवाददाताओं के बीच मैंने कई बार केरल में होने वाली सीधी कार्यवाही, स्कूलों में होने वाले पिकेटिंग बसों को रोकने तथा सरकारी दफ्तरों में तथाकथित सीधी कार्यवाही की निन्दा की थी। ऐसी बातें

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

मैंने ३ या ४ अवसरों पर कहीं। मैं मानता हूं कि इतना ही काफी नहीं था। हमें और अधिक बार तथा और जोरदार शब्दों में ऐसा कहना चाहिए था।

हम पर आरोप लगाया जाता है कि यह हमारा एक षडयंत्र था कि हम दूसरों से कुछ ऐसे काम करावें जिस से एक ऐसी स्थिति पैदा हो जाये कि हम इस प्रकार की कार्यवाही कर सकें। उनका कहना है कि यह षडयंत्र तब से चल रहा है जब केरल सरकार सत्ता में आई थी। श्री डांगे के कथनानुसार उसी समय श्री श्रीमन्नारायण वहां गये थे और उन्होंने अपनी राय दी थी कि वहां विधि और व्यवस्था खतरे में है। श्री डांगे का यह कथन सही नहीं है। यह सच है कि श्री श्रीमन्नारायण वहां गये थे पर वह अपने एक पूर्व निश्चित कार्यक्रम के अनुसार केरल प्रदेश कांग्रेस समिति की एक बैठक में भाग लेने गये थे। और उस समय उन्होंने यह बात नहीं कही थी। यह बात तो उन्होंने उस के ५ या ६ महीने बाद कही थी।

मैं ने खुद उन से पूछा है और उसी आधार पर मैं यह कह रहा हूं कि जब केरल में हत्या आदि के अभियुक्तों को बड़े पैमाने पर छोड़ दिया गया था, उस समय उन्होंने पहली बार कहा था कि इस से वहां काफी आशंका फैल रही है। ५ या ६ महीने बाद जब वह दोबारा वहां गये, तब उन्होंने कहा कि वहां जनता में असुरक्षा की भावना फैली हुई है। वास्तव में लगभग एक वर्ष पूर्व शायद पिछले वर्ष मैं ने भी कहा था कि मुझे पता लगा है कि केरल की जनता में असुरक्षा की भावना व्याप्त है। इस बात में कोई संदेह नहीं था। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वहां क्या स्थिति थी पर बहुत से लोगों का ऐसा खयाल था।

उसके बाद, श्री ढेवर को भी उस मामले में घसीटा गया है और कहा गया है कि उन्होंने लोगों को भड़काया व उत्तेजित किया। जिस रूप में उनको घसीटा गया है, उसके लिए मुझे बड़ा दुःख है क्योंकि मैं जानता हूं कि श्री ढेवर एक ऊंचे चरित्र के व्यक्ति हैं और उनके लिए मेरे हृदय में बहुत सम्मान है।

सभा को पता है कि गत वर्ष विरोधी दल के एक सदस्य द्वारा इन मामलों के बारे में एक प्रस्ताव सभा में रखा गया था और जैसा बताया जा चुका है उस मामले में सरकार का रवैया—गृहकार्य मंत्री का रवैया—मामले को सभा में बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देने का नहीं था। यह बात नहीं है कि केरल में होने वाली विभिन्न घटनाओं की चिन्ताजनक खबरें हमें न मिलती रही हों। गृहकार्य मंत्री के पास वहां के राज्यपाल के अनेकों व्यक्तिगत पत्र आते रहे थे। वहां के मुख्य मंत्री के पास भी गृहकार्य मंत्री ने पत्र भेजे और उन्होंने पूछा था की उद्घोषणा जारी करने से पहले संविधान के अमुक अनुच्छेद के अधीन चेतावनी क्यों नहीं दी गई। वास्तव में, अनेक बार कुछ बातों के संबंध में मित्रतापूर्ण पत्र भेजे गये। कभी-कभी मुख्य मंत्री उनके सुझावों को स्वीकार कर लेते थे और कभी-कभी स्वीकार नहीं करते थे। इस प्रकार की स्थिति चल रही थी।

अतः हमें चिन्ता रहती थी पर हस्तक्षेप करने का ख्याल हमारे दिमाग में कभी नहीं आया। हां इतना जरूर था कि जब यहां बात उठाई गयी थी और कई प्रकार के आरोप लगाये गये थे तो हमने इस बात पर विचार किया था कि क्या इस संबंध में जांच कराना उचित होगा? पर हस्तक्षेप करने का ख्याल तो हमारे दिमाग में कभी भी नहीं आया?

अभी लगभग २ या ३ महीने पहले जब मैं उटकमंड में था, तो मैं ने केरल की गड़बड़ के बारे में अखबारों में पढ़ा तथा अन्य बातें भी सुनीं। पर मुझे कुछ भी ज्ञान न था कि स्थिति कितने

---

†मूल अंग्रेजी में

आगे पहुंच चुकी है। केरल की इस नई स्थिति के बारे में सब से पहले मुझे केरल सरकार के एक मंत्री ने बताया था। उनकी बातें सुन कर मुझे आभास हुआ कि वहां की स्थिति कितनी गम्भीर थी। बाद में कांग्रेस के लोगों से तथा अन्य साधनों से मुझे अन्य बहुत सी बातें मालूम हुईं। उस समय मेरे दिमाग में एक मामूली सा ख्याल था कि अगर मैं केरल जाऊं तो शायद उस स्थिति को सुधारने में कुछ सहायता कर सकूं।

उसके बाद जब श्री मन्नत पद्मनाभन् ने स्कूलों में धरना देने तथा स्कूलों को खुलने न देने की धमकी दी, तो मामला सामने आया। हमारे सामने उस समय केवल यही मामला आया था और कुछ कांग्रेस के लोग इसे हमारे सामने लाये थे। हमने कहा था कि यह बिल्कुल गलत बात है और "आप किसी भी शर्त पर उस में भाग नहीं ले सकते"। यह थी राय जो हमने उस वक्त दी थी।

लेकिन हम ने यह महसूस करना शुरू किया कि हमारे राय देने या राय न देने के बावजूद भी, केरल में जो भी घटनायें हो रही हैं, वे ऐसी स्थिति पैदा कर रही हैं कि उनके लिए कोई भी उचित राय प्रभावी नहीं हो सकती। उसी समय मैंने एक वक्तव्य निकाला था, जिस में मैंने कहा था कि यह एक विशाल जन आन्दोलन है।

बाद में यह देख कर हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह आन्दोलन बढ़ता ही जा रहा है। एक बात जिसकी मुझे आशा नहीं थी —हम में से किसी को आशा नहीं थी—वह यह थी वहां कुछ कांग्रेसी लोगों को धरना देने से मना कर दिया गया था। उन्होंने धरना दिया भी नहीं। वैसे मैं व्यक्तिगत कांग्रेसियों के बारे में कुछ नहीं कह सकता ; हो सकता है कि उन्होंने धरना दिया हो, पर अधिकृत रूप से उन्होंने धरना नहीं दिया था। बस वाले मामलों में भी उनका हाथ नहीं था। वे सिर्फ़ "प्रतीक धरना" देने में भाग लेते थे। मैंने और हम में से किसी ने भी इस बात को अच्छा नहीं कहा। इसे अच्छा कहना हमारे लिए एक गलत बात होती। फिर भी मैं आप के सामने यह स्वीकार करता हूं कि हम एक बड़ी कठिनाई में पड़ गये थे। कुछ दिनों बाद जब मामला यहां आया तो हमारे सामने यह एक बड़ी कठिनाई थी क्योंकि लोग इस में सम्मिलित हो चुके थे। और यह आन्दोलन धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा था। हम इस बात के लिए आतुर थे कि किसी तरह धीरे-धीरे किसी उपाय से इस आन्दोलन को—सीधी कार्यवाही तथा अन्य बातों को—रोका जाये क्योंकि हम जानते थे कि उस समय परिस्थिति ऐसी थी कि "ऐसा मत करो" आदेश का कोई भी प्रभाव न होता।

अतः यदि आप को स्मरण हो, तो आप देखेंगे कि कांग्रेस संसदीय बोर्ड के संकल्प में बसों पर धरना देना तथा सीधी कार्यवाही आदि की बड़ी निन्दा की गयी थी पर उस में एक परन्तुक भी था —परन्तुक वहां होना चाहिये था या नहीं, इस बात से आप सहमत हों या न हों, यह एक अलग बात है पर स्थिति को देखते हुए परन्तुक का होना आवश्यक ही था—हमने उन से कहा था कि इस झमेले में से निकल आइये, ज्यादा से ज्यादा आप इस समय प्रतीकात्मक कार्य कर सकते हैं पर धीरे-धीरे अलग हो जाइये। यह था जो उस संकल्प में कहा गया था क्योंकि हम चाहते थे कि वे इससे बिल्कुल निकल आयें और अन्य लोगों को भी इससे निकलने के लिये कहें। हमने कहा कि आप सभायें, प्रदर्शन तथा काम कर सकते हैं पर यह काम नहीं, क्योंकि मैं स्वयं सीधी कार्यवाही के खिलाफ हूं। यह एक गलत बात है।

अभी दो दिन हुए आचार्य कृपालानी ने सत्याग्रह तथा सीधी कार्यवाही की प्रशंसा में अनेक बातें कहीं। मैं इस मामले में उन से तर्क करने में सक्षम नहीं हूं। मैं यह नहीं कह सकता कि सभी प्रकार के सत्याग्रह पर रोक लगाई जानी चाहिए ; अनेक अवसरों पर सत्याग्रह करना उचित हो

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

सकता है । पर जब हम सत्याग्रह शब्द का प्रयोग करते हैं, तो हमारे लिये सत्याग्रह के मूल तत्वों को जान लेना जरूरी है । सभा को स्मरण होगा कि पहले जब सत्याग्रह तथा सीधी कार्यवाही आदि बहुत मामूली बातें थी, तो किस तरह गांधी जी ने उन्हें रोका क्योंकि गांधीजी जानते थे कि यह सब गलत हो रहा है और उन्होंने उसे रोका । उनका तो यहां तक कहना था कि भारत में वही एक ऐसे व्यक्ति हैं, जो सत्याग्रह कर सकते हैं । अतः मैं ने ऊपर जिन बातों का जिक्र किया है यदि आप उन्हें सत्याग्रह कहते हैं तो मैं कहूंगा कि केरल में कोई सत्याग्रह नहीं था क्योंकि मैंने ऐसी भीषण घृणा व हिंसा शायद ही कहीं देखी हो । जैसी कि वहां देखी । वैसे मैं इस विषय का कोई विशेषज्ञ नहीं हूं । फिर भी मैं यह कह सकता हूं कि वहां जितनी घृणा व कटुता थी, उस में कोई भी सत्याग्रह करना खतरनाक है । आप उसे और कुछ नाम दे सकते हैं, पर वह सत्याग्रह नहीं है ।

श्री गोपालन ने मेरे केरल जाने की चर्चा की । मैं बताना चाहता हूं कि पहले मैं ने केरल जाने की बात कुछ सोची थी । पर वहां के मुख्य मंत्री ने खुल्लम खुल्ला कहा कि इस समय वह नहीं चाहते कि मैं वहां जाऊं अतः मैंने वहां जाने का प्रश्न नहीं उठाया । श्री डांगे ने कहा कि कांग्रेस के निमंत्रण पर मैं वहां क्यों नहीं गया । इस संबंध में मेरा निवेदन है कि बिना राज्य सरकार के निमंत्रण के मैं किसी भी राज्य में नहीं जाता—सिवाय कुछ विशेष कारणों को छोड़ कर —चाहे वह कांग्रेस सरकार हो या प्रजा समाजवादी सरकार हो या साम्यवादी सरकार हो । अतः मेरे केरल जाने का प्रश्न पैदा ही नहीं हुआ । श्री निम्बूदरीपाद ने कहा था कि मुझे वहां नहीं जाना चाहिए । पर बाद में उन्होंने मुझे लिखा कि वह चाहते हैं कि मैं वहां जाऊं । अतः मैं तीन दिन के लिए वहां गया । श्री गोपालन ने एक संगठित प्रदर्शन का जिक्र किया, जो उस समय हुआ था जब मैं वहां गया हुआ था । यह बात ठीक है कि वह एक संगठित प्रदर्शन था । मैं इतनी राजनीति जानता हूं कि उस प्रदर्शन का मतलब समझ लेता । पर संगठित प्रदर्शन अनेक प्रकार, आकार तथा रवैये के होते हैं । मैं यह भी समझता हूं कि उस प्रदर्शन के सिलसिले में एक विरोधी प्रदर्शन भी संगठित किया जा सकता था — हो सकता है कि वह इतना बड़ा न होता— इस से कुछ छोटा होता पर काफी बड़ा होता । मैं ने वहां तीन दिन बिताये और हजारों व्यक्तियों से—अलग अलग व समूहों में—मिला । मैंने केरल सरकार के मंत्रियों से भी काफी देर तक बात चीत की । सार्वजनिक सभाओं, प्रदर्शनों, भीड़ भाड़ तथा अन्य बातों में भी मैं जनता की भावनाओं का पता लगाना चाहता था कि आखिर जनता की क्या इच्छा है । मुझे ऐसा लगा कि केरल की स्थिति उस से भी अधिक खराब है, जितनी कि मैं सोचता था विरोधी दलों में किसी प्रकार का समझौता होने की कोई गुंजाइश नहीं रही थी । और चारों तरफ क्रोध, कटुता व घृणा फैली हुई थी । मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और यह बात समझ में नहीं आई कि इस प्रकार आन्दोलन को कैसे चलते रहने दिया जा सकता है । जब भी मैं ने भाषण दिये मैं ने सीधी कार्यवाही की निन्दा की । मैंने कांग्रस के लोगों से कहा कि सीधी कार्यवाही निन्दनीय है । पर वह समय दार्शनिक राय देने का नहीं था बल्कि एक कठिन स्थिति को हल करने का समय था । शिक्षा अधिनियम के संबंध में मैं ने एक सुझाव दिया कि इसके विवाद ग्रस्त खण्डों के संबंध में इसके आलोचकों से क्यों न बात चीत की जाये । मुझे प्रसन्नता थी कि वे इस बात पर सहमत हो गये । उसके बाद मैं स्कूलों के मैनेजरों तथा पादरियों तथा अन्य व्यक्तियों से, नायर सर्विस सोसायटी तथा अन्य लोगों से मिला, कांग्रेस का स्कूलों से कोई संबंध नहीं था । मुझे बड़ा खेद हुआ कि ये लोग इस प्रकार बातचीत करने के लिए इच्छुक नहीं थे । उन्होंने इस बात का जो कारण बताया वह भी ठीक ही था । उन्होंने बताया कि पहले वे बात करने के इच्छुक थे पर ऐसा नहीं हो सका, और अब जब विवाद इतना बढ़ चुका है और सारा वातावरण संदेह से भरा हुआ है, तो कैसे बात कर सकते हैं । इस में अवश्य कुछ दाल में काला है ।

फिर भी, मैं ने उन्हें गांधी जी द्वारा दी गयी शिक्षा का स्मरण कराया कि शत्रु से भी बात करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए । मैं ने कहा कि आप अपने सिद्धांतों पर अटल रहें, उन्हें कदापि न छोड़ें, पर बात तो करें । मुझे खेद है कि इतना सब कुछ कह कर भी मैं उन्हें समझा नहीं पाया । पर मैं ने यह समझ लिया कि शिक्षा अधिनियम झगड़े की मूल जड़ नहीं था । अतः जब मैंने देखा कि और कोई रास्ता नहीं है, तो मैं ने केरल के मुख्य मंत्री तथा अन्य मंत्रियों को सुझाव दिया कि अब तो चुनाव ही इस समस्या का हल है । ध्यान रहे कि मैंने केन्द्रीय हस्तक्षेप की बात नहीं कही थी । मैं ने सिर्फ चुनाव की बात कही थी । यह एक सुझाव था । मैं ने बताया कि स्थिति ऐसी नहीं थी कि डरा धमका कर या कठोर शब्दों का प्रयोग कर के स्थिति का सामना किया जा सकता था क्योंकि दोनों ओर लोग क्रोधान्मत्त थे । प्रत्येक व्यक्ति क्रोध में उन्मत्त था । मैं इसके औचित्य व अनौचित्य की बात नहीं करना चाहता पर यह सत्य है कि चारों ओर घृणा, क्रोध व हिंसा की भावना फैली हुई थी । मैं नहीं जानता यह कहां तक सही है पर मुझे पता लगा कि केरल के कुछ भागों में रहने वाले लोग बड़े-बड़े छुरे रखते हैं और क्रोध आने पर वे उनका प्रयोग करने में तनिक भी संकोच नहीं करते । नित्य प्रति ऐसी घटनायें हो रहीं थी । छुरे बाजी की घटनायें हम लोगों ने सुनीं ।

मैं ने इस लिये चुनावों का सुझाव दिया था । मेरी समझ इतनी अधकचरी नहीं है कि मैं समझता कि चुनावों से समस्या हल हो जायेगी । मैं समझता था कि चुनावों से केरल का मसला हल नहीं होगा । लेकिन मैं ने सोचा यह था मेरा मक़सद था कि चुनावों का फैसला करते ही संघर्ष में कुछ ढिलाई आ जायेगी, लोग लड़ना कुछ बन्द कर देंगे । कुछ "डिसएनगेजमेंट" हो जायगा, जैसा कि यूरोप में जर्मनी के और कुछ दूसरे मसलों के बारे में कहा जाता है । मे "डिसएनगेजमेंट" शब्द के उसी मायने को यहां ले रहा हूं । मैं चाहता था कि संघर्ष में कुछ ढिलाई आये । और अगर चुनावों की बात मान ली गई होती, तो हालत में तब्दीली आ जाती । मैं यह नहीं कहता कि दोनों तरफ के लोग एक दूसरे के गले मिलने लगते, लेकिन हां, वे लड़ाई के लिये इतने आमादा भी नहीं रह जाते, नफरत का जहर कुछ उतरने लगता और एक दो महीनों में लोग चुनावों की तैयारियों में लग जाते । यह तो है कि आपस में उनकी गालियां बन्द नहीं होती, लेकिन हां आन्दोलन जरूर बन्द हो जाता और लोगों को शिक्षा अधिनियम वगैरह के मसलों पर बात करने का मौका मिल जाता । केरल से लौटने से पहले मैंने इसी का सुझाव दिया था ।

वहां से लौटने के बाद भी मैं ने एक-दो मौकों पर इसी बात को दोहराया था । या तो प्रेस कान्फ्रेंस में या मुख्य मंत्री के नाम अपने पत्र में, और अन्य कई तरीकों से मैंने इसी बात को कहा था । इसीलिये कि मैं समझता था कि सिर्फ वही एक रास्ता रह गया था । और हो भी क्या सकता था ? सिर्फ दो ही तरीके रह गये थे । एक तो यह कि इस आन्दोलन को ताकत से कुचल दिया जाता, लेकिन वह ठीक नहीं होता । पुलिस और फौज की ताकत से बड़े से बड़े आन्दोलन को, किसी भी आन्दोलन को कुचला तो जा सकता है, लेकिन उसकी कीमत बहुत ज्यादा चुकानी पड़ती है और उसके नतीजे तो और भी ज्यादा बुरे निकलते हैं । हो सकता है कि मेरी यह समझ गलत हो । केरल के मंत्रियों ने कहा था कि अगर यह किया जाता तो सारी चीज़ अपने आप ठंडी पड़ जाती । लेकिन मेरा ख्याल है कि उनका सोचना गलत था, कम से कम उस समय तो गलत था ही । हां, उस से पहले शायद सही रहा हो, यह बात लागू होती हो ।

दूसरा तरीका यह था कि आन्दोलन को जब तक भी वह चलता, जारी रहने दिया जाता । वह भी बहुत खतरनाक था, क्योंकि सरकार का काम चलना ही उसकी वजह से नामुमकिन हो गया था । आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि सरकार के रोजाना के काम भी ठीक तरह से नहीं चल पा रहे थे । सरकारी काम सिर्फ अफसरों आदि वगैरह तक ही रह गया था । जब हर मंत्री के सामने ऐसे टेढ़े सवालात खड़े हों और उसके चारों तरफ छुरेबाजी, आग लगने, जुलूसों और

[श्री जवाहर लाल नेहरू]

गिरफ्तारियां वगैरह का हंगामा चल रहा हो, तो सरकार के रोजाना के काम चल भी कैसे सकते हैं। एक छोटे से राज्य में अगर इतने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हों, तो वहां सरकार का रोजाना का काम चल ही नहीं सकता ।

मुझे उस सब से बाहर निकलने का और दूसरा कोई रास्ता ही नहीं दिखा, सिवाय इसके कि किसी दूसरी बात की तरफ ध्यान दिलाया जाये ।लोग लड़ाई पर इतने आमादा न रहें और संघर्ष में कुछ ढिलाई पैदा की जाये । और इसका एक ही तरीका मुझे दिखाई दिया; चुनावों का तरीका । मैं फिर से आपकी तवज्जह दिलाना चाहता हूं कि चुनावों का मतलब राष्ट्रपति की उद्घोषणा कतई नहीं थी। चुनावों की पहल कदमी तो असल में केरल सरकार ही करती और उस से केरल सरकार को कई फायदे भी होते । मैंने यही बात उन से कही भी थी। उन्होंने मेरी बात तर आपस में बैठ कर गौर भी किया होगा, लेकिन वे इस पर राजी नहीं हुए। मैं आखिर तक यही सलाह देता रहा। एक दो बार तो कुछ ऐसा लगा भी कि शायद वे मेरी सलाह मान जायेंगे । लेकिन वे नहीं ही माने । और यह तब जब कि वे अच्छी तरह जानते थे कि चुनावों की बात न मानने का मतलब होगा राष्ट्रपति की उद्घोषणा और उस के बाद चुनाव । मेरी सलाह तो सिर्फ चुनावों की थी । यह नतीजा तो हर समझदार आदमी निकाल सकता था । और वे इसे बड़ी अच्छी तरह समझ चुके थे ।

उनके सामने दो ही रास्ते रह गये थे; या तो वे पहले चुनाव कराने के लिये तैयार हो जायें या राष्ट्रपति की कार्यवाही के बाद चुनावों की बात मानें। मैं तो बिल्कुल यही समझता हूं कि उन्होंने इन दोनों मुमकिनात के बारे में काफी बरीकी और गहराई से और काफी अर्से तक सोच-विचार किया होगा । मेरा अपना अनुमान है कि सोचने विचारने के बाद उन्होंने यही नतीजा निकाला होगा कि यह पहले चुनाव करान की बात मान लेना अपनी नाकामयाबी मान लेना होगा और तब उस हालत में वे केन्द्रीय सरकार के सिर पर इतना दोष भी नहीं मढ़ सकेंगे, शिकायत भी नहीं कर सकेंगे, । शायद इसीलिये उन्होंने फैसला किया कि "हम आखिरी दम तक डटे रहेंगे। केन्द्रीय सरकार की ओर से ही कार्यवाही होगी और तब हम उसके खिलाफ लोक तंत्र का झंडा उठा सकेंगे।" केरल में जो कुछ भी हुआ, उसका यही व्यौरा है । इस में लाग-लपेट की कोई बात नहीं है । हम तो यह सब न होने देने के लिये, यह सूरत पैदा न होने देने के लिये, कोशिश कर रहे थे, इस से बाहर निकलने का रास्ता तलाश कर रहे थे और यह सिर्फ इसीलिये नहीं कि हमें लोक तंत्र के उसूलों से लगाव है बल्कि इसलिये भी कि हम उस स्थिति के अमली नतीजों से बचना चाहते थे, उस में नहीं पड़ना चाहते थे।

एक और भी छोटी सी बात है । बात छोटी सी है, लेकिन काफी अहम है । इस कार्यवाही को कुछ दिन और रोके रखने से केन्द्रीय सरकार का काफी फायदा हो सकता था अगर वह केरल सरकार और कम्युनिस्ट पार्टी को गलत साबित करना चाहती । अगर यह कार्यवाही कुछ ही दिन तक और न की जाती तो मुझे पूरा यकीन है कि केरल की हालत और भी ज्यादा बिगड़ जाती । केरल सरकार की मुसीबत बढ़ती जा रही थी, और तब उसे मजबूर होकर आन्दोलन के दमन करने, उसे दबाने के लिये सख्त से सख्त कार्यवाही का रास्ता अपनाना पड़ता ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : आप हर अवस्था पर कम्युनिस्ट पार्टी को बचाने की कोशिश का ही दावा कर रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : श्री अजय घोष ने यह महसूस कर लिया था। वह जब मेरे पास आये, तो उन्होंने कहा था : "अगर आप कार्यवाही करना चाहते हैं तो जल्द कीजिये। देर मत कीजिये"। जाहिर है कि वहां हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि राष्ट्रपति की उद्घोषणा होती या न होती, हमें केरल में पुलिस या फौज लेकर जाना ही पड़ता। इसमें तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं।

एक दलील बार बार दोहराई गई है कि संविधान के अनुच्छेद ३५२ या शायद ३५५ के मुताबिक हमें केरल सरकार की मदद करनी चाहिये थी। मैं समझ ही नहीं पाता कि इसका मतलब क्या है। राष्ट्रपति की उद्घोषणा से पहले भी, मैं ने केरल के मुख्य मंत्री से साफ-साफ पूछा था कि वह हम से किस तरह की मदद चाहते हैं। हमने उनको जो भी मदद दी, उसके अलावा उन्होंने हमसे कोई भी और मदद कभी नहीं मांगी। केरल के मुख्य मंत्री ने जवाब दिया था कि वह नैतिक मदद चाहते हैं, हमारी ताकत की मदद नहीं। नैतिक मदद का मतलब तो यही होता है कि हमें आन्दोलन की और भी ज्यादा जोर से निन्दा करनी चाहिये थी। मैंने आन्दोलन को बुरा बताया था। लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज बिल्कुल साफ थी। मैं ने आन्दोलन के तरीके की बुराई की थी, क्योंकि धरना देने की बात पर मुझे ऐतराज था। लेकिन जनता द्वारा अपनी राय जाहिर करने को मैंने बुरा नहीं बताया था। मेरा ख्याल है कि वह चीज सही थी। मैं ने कहा था कि जनता और जैसे भी पसन्द करे अपनी राय जाहिर कर सकती है, लेकिन कम से कम यह तरीके तो ठीक नहीं हैं। मैंने ठीक यही शब्द इस्तेमाल किये थे। उसे कम से कम सत्याग्रह तो मत कहिये, क्योंकि मैं समझता हूं कि गुस्से और नफरत से भरे किसी भी आन्दोलन को सत्याग्रह का नाम नहीं दिया जा सकता है। मैं ने कहा था कि आप आन्दोलन चलाइये, मैं जनता की राय जाहिर करने के आन्दोलन को बुरा नहीं मान सकता। लेकिन उस आन्दोलन को इस तरह की सीधी कार्यवाही से तो अलग रहना चाहिये। पर किसी ने भी मेरी बात पर कान नहीं दिया। वैसी हालत में शायद कोई भी मेरी बात पर कान नहीं देता। यहां बार बार यह दलील दी गई है कि संविधान के एक खास किसी अनुच्छेद के मुताबिक हमें केरल सरकार की मदद करनी चाहिये थी।

एक साल या उस से भी कुछ पहले यह केरल सरकार बनने के करीब एक साल बाद, केरल के मुख्य मंत्री ने एक भाषण दिया था। उस भाषण में 'गृह-युद्ध शब्द' का भी इस्तेमाल किया गया था और इसीलिये उस वक्त उसकी काफी चर्चा भी हुई थी। वह कोई महत्वपूर्ण भाषण नहीं था। लेकिन फिर भी दिलचस्प तो था हां दिलचस्प भी इस मायने में कि उससे उनके सोचने के तरीके की झलक मिलती थी। मेरे पास उसके बारे में एक नोट मौजूद है।

"केरल के मुख्य मंत्री ने विरोधी दलों को चेतावनी दी कि यदि वे सब मिलकर केरल की कम्युनिस्ट सरकार को उलटने की कोशिश करेंगे, तो उस से जनता दो गुटों में बंट जायेगी और देश में अव्यवस्था फैल जायेगी। श्री नम्बूद्रीपाद का विचार था कि इस से एक ऐसी परिस्थिति पैदा हो जायेगी जिस में दो परस्पर विरोधी समूह एक दूसरे को बिल्कुल तहस-नहस कर देने की नीति अपना लेंगे और समूचे राष्ट्र के लिये उसका बड़ा दुखद परिणाम होगा। उन्होंने साथ में यह भी बताया कि चीन में ऐसी ही परिस्थिति पैदा होने के कारण बड़े लम्बे अर्से तक गृह-युद्ध चला था।" (**अन्तर्बाधायें**।)

यह भाषण आज से एक साल के अर्से से भी पहले, ३१ मई, १९५८ को दिया गया था। लेकिन हुआ यह कि अब केरल में एक ऐसी हालत पैदा हो गई थी जब कि न सिर्फ सभी विरोधी दल, बल्कि किसी दल से ताल्लुक न रखने वाली राजनीति से अलग रहने वाली, सारी जनता भी

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

सरकार और उसके तरफ़दारों के खिलाफ एक हो गई थी। केरल के मुख्य मंत्री ने अपने भाषण में, जिस चीज का ज़िक्र किया था वही हो गया। वैसी ही हालत पैदा हो गई कि एक दूसरे के मुख़ालिफ़ दो समूह एक दूसरे के सामने डट गये। यह हालत दरअसल पैदा की गई थी। कभी-कभी तो इन दोनों समूहों के बड़े-बड़े नेता भी एक दूसरे को नेस्तनाबूद करने की बातें किया करते थे, अजीब सी बातें किया करते थे। इस तरह जैसे कि एक-दूसरे को नेस्तनाबूद करना बिल्कुल मुमकिन ही हो। लगता यह था कि जैसे कम्युनिस्ट पार्टी समझती है कि वहां बाकी केरल को वाकई नेस्तनाबूद कर सकती है, या जैसे कि उसके मुखालिफ़ लोग सचमुच समझते हैं कि वे सब मिल कर कम्युनिस्ट पार्टी और उसके हमदर्दों को नेस्तनाबूद कर सकते हैं। इन बातों के कोई मायने नहीं हैं; लेकिन ऐसी बातें सुनने से यह तो पता लग ही जाता है कि एक-दूसरे पर उनका गुस्सा कितना बढ़ गया था।

मैंने श्री नम्बूद्रीपाद का भाषण पढ़ा था। बाद में उन्होंने गृह-युद्ध के अपने मतलब का कुछ खुलासा भी किया था। उस वक्त यानी आज से १५ महीने पहले, मैं ने उस बात को जरा भी अहमियत नहीं दी थी। मैं ने उनके सोचने के इस तरीके को कोई ज्यादा अहमियत नहीं दी थी कि बाकी सभी लोग उनकी सरकार के खिलाफ़ एक हैं। कम्युनिस्ट पार्टी और उनके हमदर्दों के सोचने का यह तरीका कि कम्युनिस्ट पार्टी और उस के हमदर्दों के सिवाय और सारी दुनिया, सारे लोग उनके मुखालिफ ह, कुछ बेतुका सा लगता है।

मैं ने केरल सरकार के मंत्रियों से मुलाकात होने पर उनसे पूछा भी था कि आपने सभी लोगों को अपने खिलाफ़ कैसे कर लिया है, अपनी पार्टी और उस के हमदर्दों के अलावा बाकी सभी लोगों को अपने खिलाफ़ कैसे कर लिया है? मैं ने पूछा था कि सभी दल और सभी लोग, यहां तक कि अपने आप को मार्क्सवादी या क्रान्तिकारी मार्क्सवादी या समाजवादी कहाने वाले कुछ लोग भी, आपके मुखालिफ़ क्यों बन गये हैं? आपने आखिर किस नुस्खे का, किस तरीके का इस्तेमाल कर के इन सब को अपना मुखालिफ़ बना लिया है? मैंने इस शब्द का इस्तेमाल इसी सिलसिले में किया था। अखबारों में तो, हमेशा की तरह, उन्होंने मेरे शब्दों को इस प्रसंग से अलग कर के अपने-अपने ढंग से पेश किया था। मैं ने जो कहा था वह इसी सिलसिले में था। मैंने उन से साफ़ कहा था कि यह आपकी एक बड़ी नाकामयाबी है, ऐसी नाकामयाबी है जिस पर हैरत होती है। मैंने यह सब उस सरकार के कामों वगैरह के सिलसिले में नहीं कहा था। मैंने उन से कहा था कि आप उन सभी लोगों की हमदर्दी खोते जा रहे हैं जिनका आप के स- - कोई ज्यादा लगाव नहीं है। मैं ने कहा था कि मुझे यह सब देख कर हैरत होती है। मेरा ख्याल है कि वे मुझे इसका ठीक से पूरा-पूरा जवाब नहीं दे पाये थे। इस के जबाब में यह कहना संतोषजनक जबाब नहीं माना जा सकता कि साम्प्रदायिक संस्थाओं, पूंजीपतियों और नायरों और कुछ दूसरे लोगों ने जनता को बहका कर यह सब करने के लिये उभारा है। यह तो कोई जबाब नहीं हुआ।

कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट सरकार की मुखालफत करने वालों में सभी तरह के लोग शामिल थे। उनमें बहुत से प्रतिक्रियावादी भ: हैं। इससे किसी को भी इन्कार नहीं। उनमें बहुत से सम्प्रदायवादी लोग भी थे। लेकिन देखने की बात तो यह है कि वे सभी आपके खिलाफ खड़े थे। हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि इतनी सारी पार्टियों या जमातों के होते हुये भी, ज्यादातर इन्सान इन जमातों के बाहर ही रहते हैं। सारा दारोमदार इस बात पर है कि जमातों से बाहर रहने वाली जनता, राजनीति से अलग रहने वाली जनता की हमदर्दी किस तरफ जाती है।

मुझे पूरा यकीन है कि केरल की इस परिस्थिति में, इस मौके पर, ऐसी सारी जनता की हमदर्दी सरकार के मुखालिफ लोगों की तरफ थी। [अन्तर्बाधाएं]

मेरी बात गलत भी हो सकती है। लेकिन मैं तो आपको अपना ख्याल बता रहा हूं। श्री गोपालन ने अपनी स्पीच के दौरान में एक बूढ़ी महिला का दुख से भरा खत पढ़कर सुनाया था। पता नहीं उससे वह क्या साबित करना चाहते थे। मैं उनके पास बूढ़ी महिलाओं और बूढ़े आदमियों के कई खत भेज सकता हूं, जो मेरे पास रोज ही आते हैं, देश की सभी जगहों से, केरल से भी। बदकिस्मती तो यह है कि केरल से जो ऐसे खत आये हैं उनमें से ज्यादातर बड़े दर्दनाक हैं। अभी उस दिन गोपालन और उनके साथी एक स्थगन प्रस्ताव के सिलसिले में कुछ गुस्से में आ गये थे। वह एक स्थगन प्रस्ताव रखना चाहते थे जिसमें कहा गया था कि केरल में कम्युनिस्टों पर हमले किये जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ऐसी बातों में शायद कुछ सचाई भी है। मैंने उनके बताये हुये ऐसे हर मामले की जांच करने की कोशिश की है। उनमें से कुछ तो बिलकुल ही बेबुनियाद निकले, और कुछ में थोड़ी सचाई भी थी। लेकिन इसका एक दूसरा भी पहलू था। बहुत से तार और खत ऐसे भी आते रहे हैं जिनमें कम्युनिस्टों द्वारा की जाने वाली छुरेबाजी और हमलों की बात थी। केरल में मैं जिस सब से बुजुर्ग आदमी को जानता हूं, जो मेरे एक दोस्त और साथी हैं, और जिनके साथ मैं २६ साल पहले त्रिचूर में ठहर भी चुका हूं, उनका नाम है कुरूर नम्बूद्रिपाद। वह जब स्वतंत्रता दिवस के जलसे में शरीक होने जा रहे थे, या शायद लौट रहे थे, तब उनको कार से बाहर खींच कर पीटा गया था। कहा जाता है कि पीटने वाले कम्युनिस्ट थे। वह अभी भी अस्पताल में हैं। इस तरह की चीजें भी होती हैं .... (अन्तर्बाधाएं)। मैं चाहता हूं कि आप अपने दिमांग में केरल के हालात की एक तसवीर बनाने की कोशिश करें। आप अन्दाज लगायें कि वहां कितना जबर्दस्त गुस्सा और कितनी नफरत थी, किस तरह लोग दो हिस्सों में बट गये थे और दोनों हिस्से एक दूसरे से कितना गुस्सा और कितनी नफरत करते थे। इस बात को छोड़िये कि कौन सा हिस्सा बड़ा और कौनसा छोटा है। मुझे पूरा यकीन है कि एक खास हिस्सा काफी बड़ा था, लेकिन अभी उस बात को छोड़िये। आप अपने दिमाग में केरल की तसवीर देखिये। यह एक ऐसी हालत थी जिसमें छुरेबाजी होने लगी थी उसकी सिर्फ नौबत ही नहीं आई थी। यह एक काफी गम्भीर चीज थी, काफी बड़ा खतरा था। आप खुद इसे देख सकते थे। यह हालत बिगड़ती जा सकती थी, हर कहीं छुरेबाजी का बाजार गर्म हो सकता था, और एक ऐसी हालत पैदा हो सकती थी जिस पर कोई भी अच्छी सी अच्छी पुलिस भी काबू नहीं पा सकती। यह किसी एक भीड़ का सवाल तो नहीं। यह सवाल तो है सभी आदमियों के छुरेबाजी में शामिल होने का। इसी तसवीर को देखकर हमने तय किया था कि हमें इस सब को रोकना चाहिये और इसीलिये हमने यह कार्यवाही की। हमने ही राष्ट्रपति को यह कार्यवाही करने की सलाह दी थी। हम कुछ दिन और रुक सकते थे, और रुकना हमारे हक में एक तरह से अच्छा होता क्योंकि हालत जितती भी बिगड़ती जाती हमारी कार्यवाही उतनी ही जरूरी बनती जाती और लोग उसे उतना ही ज्यादा सही मानते जाते। लेकिन कुल मिलाकर वह ठीक नहीं होता, उचित नहीं होता, क्योंकि उतने अर्से तक जनता को और ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती, लोगों में और ज्यादा कटुता पैदा होती जाती। सचाई तो यह है कि इस कार्यवाही के बाद से, अब केरल की हालत कहीं बहतर हो गई है। मैं यह नहीं कहता कि सारे केरल में पूरी तौर से शांति और अमन है। अभी भी एक दो जिले ऐसे हैं जहां कुछ गड़बड़ी हो जाती है। लेकिन एक मोटे तौर पर देखा जाये तो अब वहां गरमागरमी खत्म हो गई है और जनता अब उस

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

खतरनाक दौर से बाहर निकल रही है। मैं यह नहीं कहता कि वे सब एकाएक एक-दूसरे से बेहद प्यार करने लगे हैं।

इस वाद-विवाद के दौरान में कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिज्म वगैरह का भी कभी-कभी जिक्र आया है। स्वभाविक है कि केरल की कम्युनिस्ट पार्टी या केरल की कम्युनिस्ट सरकार के संबंध में हमें इस विषय पर विचार करना पड़ेगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि कम्युनिज्म या मार्क्सवाद या दुनिया भर की कम्युनिस्ट पार्टियों के बारे में कोई आम बहस करने का यह मौका नहीं है। मैं इस विषय पर बहस करने से कतराना नहीं चाहता, लेकिन उसका कोई ठीक मौका तो होना चाहिये उस बड़े सवाल को केरल जैसे स्थानीय महत्व के ऐसे एक सवाल से जोड़ना गलत होगा जिस पर कि इतनी गरमागरमी हो चुकी है। इसके विरोध में या इसके पक्ष में जो कुछ भी कहा गया है, उसमें बहुत कुछ ऐसा है जिसे मैं ठीक नहीं मानता। मैं कम्युनिस्ट नहीं हूं। कम्युनिस्ट सिद्धांत पूरी इज्जत करते हुये भी, मैं समझता हूं कि वह वक्त से पिछड़ गया है। मैं तो यही महसूस करता हूं। उसकी एक सबसे बड़ी अच्छाई यह है कि वह दबे इन्सानों की बात लेकर चलता है यह अच्छाई कम्युनिस्ट सिद्धांत की इतनी नहीं, बल्कि आम समाजवादी दृष्टिकोण की है। आप सिद्धांत को मानें या न मानें, पर यह है एक काफी बड़ी चीज। कम्युनिज्म में और आगे बढ़े हुये कम्युनिस्ट देशों में जरूर कुछ ऐसी अच्छी चीजें हैं, जिन्हें लोगों को सीखना चाहिये। फिर भी मैं समझता हूं कि कम्युनिस्ट सिद्धांत वक्त से पीछे पड़ गया है, वक्त और आगे बढ़ चुका है। और, खास तौर से कुछ मुल्कों में कम्युनिज्म को जिस तरीके से लागू किया गया है और उसकी देखा देखी कुछ और मुल्कों में लागू किया जा रहा है, वह तरीका बिलकुल गलत है।

श्री डांगे ने इस बात पर बड़ा ऐतराज जाहिर किया है कि कम्युनिस्टों की इस मुल्क में कोई जड़ें नहीं हैं। मैं श्री डांगे या किसी और व्यक्ति की बात नहीं कह रहा हूं। लेकिन पूरे दल के सिलसिले में यह बात काफी ठीक है। मैं किसी की नुक्ताचीनी नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैं कहता हूं कि यह एक लाजमी नतीजा है। और बुनियादी कठिनाई इसी बात से पैदा होती है। सवाल कम्युनिस्ट सिद्धांत, उसके आर्थिक सिद्धांत का नहीं है। उससे तो हम सहमत या असहमत हो सकते हैं। उसमें तो हम कुछ तब्दीलियां भी कर सकते हैं, जैसा कि कुछ कम्युनिस्ट मुल्क खुद कर रहे हैं, लेकिन कम्युनिस्ट मुल्कों से बाहर के कम्युनिस्ट नहीं कर रहे हैं। पर देश में जड़ें न होना, एक बड़ी खतरनाक चीज है। जड़ें न होने का मतलब यह भी नहीं होता कि आपके पास कोई ताकत ही नहीं है। जड़ें न रहते भी, आप ताकत हासिल कर सकते हैं। लेकिन जड़ें न होते हुये कुछ ताकत हासिल करने का नतीजा यह होता है कि उस ताकत को निर्माण संबंधी बुनियादी कार्यों के लिये इस्तेमाल नहीं किया जाता। वह ताकत जड़ों के जरिये कुछ रचनात्मक कार्य करने के लिये नहीं, बल्कि किसी चीज को मिटाने के लिये ही इस्तेमाल की जाती हैं। खैर यह एक बड़ी लम्बी बहस है और मैं अभी इसमें नहीं पड़ना चाहता। जो भी हो, जड़ें न होने वाली बात है ऐसी ही। और यह बात सिर्फ हमारे मुल्क ही नहीं, दूसरे मुल्कों पर भी लागू की जा सकती है। आप बाहर से तभी किसी चीज में कुछ जोड़ सकते हैं जबकि मुल्क में आपकी जड़ें हों, सांस्कृतिक जड़ें, राष्ट्रीय जड़ें या बुनियादी जड़ें, पहले से मौजूद हों। और अगर आपकी जड़ें मौजूद न हों, तो आप जहां के तहां खड़े रह जायेंगे, आगे नहीं बढ़ सकते। यदि जमीन में आपकी जड़ें मौजूद न हों, तो आप जो भी करेंगे वह अलग-अलग गमले के पौधों की तरह ही होगा, जिनका जमीन से कोई ताल्लुक नहीं होगा। और यही सबसे बड़ी मुश्किल है। देश में जड़ें पैदा न करके, जनता की ओर न देखकर कहीं और किसी और की तरफ देखना—यही वह बात है जिससे लोगों के दिमाग में शक पैदा होते हैं, और यह कठिनाइयां सामने आती हैं।

†**श्री पुन्नूस** (अम्बलपुजा) : क्या हमारी गलती यही है कि हम त्रिवेन्द्रम से दिल्ली की तरफ देखते हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : आप दिल्ली की तरफ नहीं देखते, आप दिल्ली में आते जरूर हैं। अब इसे एक दूसरे नजरिये से भी देखिये ।

मैं कम्मुनिस्ट नहीं हूं । लेकिन मैं कम्युनिस्ट विरोधी भी नहीं हूं । मैं इसका ऐलान करता हूं । मैं किसी वाद का विरोध करने में, मैं यकीन ही नहीं रखता । मैं चीजों का विरोध करने वाला आदमी नहीं हूं, मैं विरोध करने में नहीं बल्कि कुछ ठोस काम करने में यकीन करता हूं । मेरा अपना एक विश्वास है ।

आज दुनिया आगे बढ़ गई है । अब हम एक ऐसे दौर में आ गये हैं, जिसमें सिर्फ मुखालफत न करने, संघर्ष में, कशमकश में कुछ डिलाई पैदा करने, लड़ाई झगड़े से अपने को अलग रखने और शीत-युद्ध या 'कोल्ड वार' से बाहर निकलकर महा-युद्ध से बचने के लिये हर तरह की कोशिशें की जा रही हैं। हमने भी, इस मुल्क ने भी अपनी छोटी सी ताकत इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में लगाई है । इसलिये कि अब हर अक्लमन्द आदमी बिलकुल साफ तौर पर समझता जा रहा है कि दुनिया के बड़े बड़े गुटों का एक दूसरे को एकदम खत्म कर देने का ख्याल व्यवहार्य नहीं है । पहले कभी रहा हो, तो शायद रहा हो, पर अब बिलकुल नहीं है । इसका नतीजा होगा सभी की बर्बादी इसलिये आप चाहे पसन्द करें या न करें आपको अमन के साथ, मिलजुल कर रहने की बात सोचनी ही पड़ेगी । आप चाहें तो इसे शांतिपूर्ण सहअस्तित्व भी कह सकते हैं। इसके अलावा और कोई चारा नहीं रह गया है ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

मुझे यह देखकर बड़ी खुशी है कि अब दुनिया में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं, या होने जा रही हैं, जिनसे यह प्रगट होता है कि इस बात को और इस दृष्टिकोण को दुनिया के बड़े-बड़े मुल्कों द्वारा और ज्यादा स्वीकार किया जा रहा है । श्री ख्रुश्चेव अब प्रेसीडेंट आइजनहावर से मिलने जा रहे हैं और फिर प्रेसीडेंट आइजनहावर बाद में श्री ख्रुश्चेव से मिलने जायेंगे। आज से एक-दो साल पहले यह बात सोची भी नहीं जा सकती थी । इसका यह मतलब नहीं कि एक ने दूसरे की बात सही मान ली है । लेकिन यह मतलब जरूर है कि दोनों ने इस ख्याल को सही मान लिया है कि एक दूसरे से लड़कर, एक-दूसरे का खून बहाकर नहीं, बल्कि दोस्ताना तौर पर बातचीत करके ही समस्यायें हल की जा सकती हैं ।

अब जब कि दुनिया में इस ख्याल को ज्यादा से ज्यादा माना जा रहा है, तब अपने मुल्क पर, अपने मुल्क की अंदरूनी हालत पर इसका लागू होना तो और भी ज्यादा अहमियत रखता है। सवाल यह नहीं है कि अपनी बात छोड़कर किसी दूसरे की बात मानली जाये । सवाल यह है कि आज की इस दुनिया में यह नजरिया गलत है, गैर-समझदारों का नजरिया है कि कुछ लोग एक-दूसरे को नेस्तनाबूद करने पर आमादा हों; हर पार्टी अपनी मुखालिफ पार्टियों का नाम निशान मिटा देने पर तुली हो। मैंने अभी श्री नम्बूद्रिपाद के जिस भाषण का जिक्र किया था, उसमें इसी का जिक्र था । आज यह नजरिया समझदारी का नहीं है । आप पसन्द करें, या न करें, आपको अब विरोधियों पर गोली चलाने, उनके सिर तोड़ने के तरीकों को छोड़ कर सामना करने, कुछ और तरीके निकालने पड़ेंगे । मैं चाहता हूं कि इस समस्या पर आप इसी नजरिये से गौर करें।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

इतिहास में आपको इसकी मिशालें भी बहुत मिल जायेंगी। आप सभी ने जिहादों के किस्से पढ़े होंगे। एक मजहब के लोग जोर-जबर्दस्ती के बल पर सारी दुनिया को अपना मजहब मनवाना चाहते थे। उनको काफी कामयाबियां भी मिलती थीं। लेकिन बाद में,आम तौर पर धीरे-धीरे उनका जोश ठंडा पड़ जाता था। उनकी कोशिशों के बावजूद, आज दुनिया में कई मजहब मौजूद हैं। फौजों मजहबी कठ भुल्लापन, ताकत और जिहादी जोश के बल पर भी दुनिया पर एक ही कोई मजहब हावी नहीं हो पाया।

इस तरह दुनिया में इन्सान के भले के ख्याल से जब तब जागृत होने वाली ये प्रेरणायें कभी-कभी दुनिया को उलट-पुलट भी कर देती हैं, कभी-कभी दुनिया में काफी बुराइयां भी पैदा करती हैं, लेकिन बाद में धीरे-धीरे वे अपने चारों ओर के वातावरण के सांचे में ढल जाती हैं। उनका जिहादी जोश, हर चीज को उलट-पुलट कर रख देने का जज्बा धीरे-धीरे ठंडा पड़ता जाता है। वे अपने मुल्क के ढांचे में ही ढल जाती हैं। हमेशा से यही होता आया है, और आज भी हो रहा है। लोग ही उसे तंग दायरे में रखना चाहते हैं, अपने तंग नजरियों की वजह से वे चाहे कम्युनिस्ट हों, या उनके मुखालिफ लोग। ऐसे लोग ही इतिहास की इस सामान्य प्रक्रिया को उसकी अपनी चाल से आगे बढ़ने से रोकते हैं।

जहां तक हमारा ताल्लुक है, हमने अपनी ही अन्तर्राष्ट्रीय और घरेलू नीति पर चलने की कोशिश की है। हमारा अपना ही नजरिया है। लेकिन हमारी नीति अपने विरोधियों से, जो हमारे विचारों से सहमत नहीं, लड़ते रहने पर आधारित नहीं हैं। इस मुल्क की जनता के सोचने का अपना तरीका यह कभी भी नहीं रहा। इस मुल्क की जनता को उसकी विरास्त में यही ख्याल मिला है, सोचने का यही तरीका मिला है कि खुद भी जियों और दूसरों को भी जीने दो। और गलत बात के सामने सिर भी मत झुकाओ। यह ठीक है कि हमें उनका जो भी नजरिया पसन्द हो, हम उसी को अपनायें, उसी पर डटे रहें, उसी के मुताबिक बहसें करें, एक-दूसरे की बातें सुनें---समझें और समझौते करें। लेकिन आखिर में, हमें एक-दूसरे को नेस्तनाबूद करके नहीं, बल्कि खुद जीकर और दूसरों को जीने देकर ही, इसी नजरिये से उन मसलों को हल करना चाहिये।

आखिर में मैं एक बात कहना चाहता हूं, शायद श्री खाडिलकर ने इस बहस में मेरे सहयोगी वित्त मंत्री, श्री मोरारजी देसाई का और बम्बई की कुछ घटनाओं का जिक्र किया था। जो बिल्कुल असंगत था। इसके बारे में, दोनों तरफ से बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन उसका यह वक्त नहीं है। मैं समझता हूं, कि श्री खाडिलकर को इस ढंग से उन सबका जिक्र यहां नहीं करना चाहिये था। वह ठीक नहीं था।

†श्री शिवराज (चिंगलपट-रक्षित अनुसूचित जातियां) : अध्यक्ष महोदय, साम्यवादियों और गैर-साम्यवादियों द्वारा कही कई बातों को सुनने के पश्चात् किसी सही निष्कर्ष पर पहुंचना बहुत कठिन है। गणतन्त्र दल का प्रतिनिधि होने के नाते मैं सभा को यह बता देना चाहता हूं कि हम द्विदलीय प्रणाली पर आधारित संसदीय पद्धति में विश्वास करते हैं। जो लोग इस प्रणाली को नष्ट करना चाहते हैं उनका हम विरोध करते हैं क्योंकि हमारा विश्वास है कि भारत के लिये संसदीय प्रणाली ही सर्वोत्तम है। हम किसी भी विचारधारा के समक्ष घुटने नहीं टेकना चाहते। परन्तु इस संबंध में मेरा अनभव यह है कि कांग्रेस दल भी साम्यवादी दल की तरह तानाशाह है। जहां तक

†मूल अंग्रेजी में

केरल का संबंध है मेरा विचार यह है कि हमारे आगे प्रश्न यह है कि दोनों बुराइयों में किसे स्वीकार किया जाये। जाहिर है कि हम कम वाली बुराई को स्वीकार करेंगे। इस समय दोनों ओर के आरोपों को सुनने के बाद हम समझते हैं कि केरल में राष्ट्रपति के शासन का लागू किया जाना अच्छा ही हुआ क्योंकि वहां जो आंदोलन चल रहा है वह बन्द हो जायेगा। सरकार का काम शासन चलाना है और यदि वह शासन चलाने में असमर्थ हो तो उसे दूसरों के लिये रास्ता छोड़ देना चाहिये। केरल में बहुत समय से ऐसी स्थिति चल रही थी जिसका सामना वहां की सरकार ठीक तरह नहीं कर पा रही थी। इसलिये राष्ट्रपति ने वहां के शासन को अपने हाथ में लेकर अच्छा ही किया है। इतना ही नहीं, मैं तो यहां तक कह सकता हूं कि यह कार्यवाही काफी पहले ही की जानी चाहिये थी।

जहां तक केरल की स्थिति की जिम्मेदारी का प्रश्न है, मैं किसी भी पक्ष पर दोषारोपण नहीं करना चाहता हूं। परन्तु यह सच है कि वहां की स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। मेरा विचार है कि ऐसी स्थिति का सामना करने के लिये हमारे संविधान में ऐसा संशोधन किया जाना चाहिये कि यदि चुनाव के बाद दलीय स्थिति ऐसी हो कि स्थायी सरकार का निर्माण संभव न हो तो राष्ट्रपति को यह अधिकार होना चाहिये कि वह तुरन्त राज्यपाल का शासन लागू कर सके और नये चुनावों का आदेश जारी कर सके। यह सुझाव प्रतिक्रियावादी सा मालूम होता है परन्तु हमारे देश की जैसी परिस्थिति है उसमें यह बहुत आवश्यक है। अभी हम उस अवस्था को नहीं प्राप्त कर सके हैं जिसमें प्रजातंत्र पूर्णतः सफल हो सकता है। प्रजातंत्र की सफलता के लिये यह आवश्यक है कि हम अपने दैनिक जीवन में अपने राजनैतिक विरोधियों के प्रति सहिष्णुता का व्यवहार करें। हमें अपने विरोधियों की बात को समझने का प्रयत्न करना चाहिये।

एक सुझाव मैं और देना चाहता हूं। केन्द्रीय सरकार की कार्यवाही के संबंध में सन्देह उत्पन्न होने का कारण यह है कि बड़े-बड़े पदों पर नियुक्ति करते समय कांग्रेसियों को ही अधिमान्यता दी जाती है। केरल के राज्यपाल हो सकता है बहुत ईमानदार हों और दलबन्दी से ऊपर उठ कर विचार कर सकते हों। परन्तु जैसा कि मनुष्य का स्वभाव है उसको देखते हुए यह सन्देह दूर नहीं किया जा सकता कि उन्होंने कांग्रेस हाई कमांड के आदेशानुसार कार्यवाही की है। इसलिये ऐसे पदों पर जो व्यक्ति नियुक्त किये जायें वे ऐसे हों जिन पर सन्देह न किया जा सके। मैं अपने कांग्रेसी और साम्यवादी मित्रों से अनुरोध करता हूं कि वे प्रजातंत्र का दिखावा मात्र न करें वरन् उसके अनुसार आचरण भी करें। हमारे देश के लोगों में इस प्रकार का भय फैला हुआ है कि यदि साम्यवादी दल सफल हो गया तो देश में इस प्रकार की शासन-व्यवस्था स्थापित होगी जिसमें व्यक्ति सदा के लिये राज्य का दास हो जायेगा जिसकी अपनी कोई विचार शक्ति नहीं होगी। हम गणतंत्र दल के लोग इस प्रकार की व्यवस्था के विरोधी हैं। इसलिये हम केन्द्रीय सरकार द्वारा उठाये गये कदम का स्वागत करते हैं क्योंकि उससे संसदीय प्रजातंत्र की रक्षा होगी।

†**डा० मा० श्री अणे** (नागपुर) : मैं माननीय गृह मंत्री के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं जो राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करता है। जहां तक मैं समझ सका हूं देश में राष्ट्रपति के कार्य का बहुत स्वागत किया गया है। यदि कोई असन्तोष है तो यही कि यह कार्यवाही कुछ देर से की गई।

मैं यह स्वीकार करता हूं कि उद्घोषणा का प्रख्यापन अन्तिम कदम है। राष्ट्रपति को यह समाधान करना होता है कि राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल सकता है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि संविधान के निर्माताओं की यह इच्छा थी कि इस उपबन्ध का प्रयोग न किया जाये। मेरा निवेदन है कि संविधान के निर्माताओं को यह आशा थी कि राज्यों का शासन संविधान के उपबन्धों के अनुसार चलता रहेगा। इसी लिये

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० मा० श्री अणे]

उन्होंने वैसी इच्छा व्यक्त की थी। परन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि राज्य की स्थिति कैसी भी हो इस उपबन्ध का प्रयोग न किया जाये। इस शक्ति को वास्तविक रूप देने के लिये ही संविधान के निर्माताओं ने उस स्थिति की निश्चित व्याख्या भी की है जिसमें उसका प्रयोग किया जा सकता है।

देश की एकता बनाये रखने के लिये इस प्रकार की व्यवस्था बहुत आवश्यक है। हमारा संविधान संघीय है। संघ की इकाइयां स्वायत्तशासी हैं। यह स्वयत्तशासन देश को छिन्नभिन्न करने की शक्ति रखता है। यदि राज्य संविधान के प्रति निष्ठा नहीं रखेंगे तो राष्ट्र की एकता नष्ट हो जायेगी। इसीलिये अनुच्छेद ३५५ में केन्द्र को राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाने और यह देखने का कार्य सौंपा गया है कि राज्यों का शासन संविधान के अनुसार चले। पहली दो बातों के पालन के लिये संघ अपनी सैन्य शक्ति का प्रयोग कर सकता है परन्तु तीसरी के लिये संविधान के अनुच्छेद ३५६ में उपबन्ध किया गया है उसमें राष्ट्रपति को उद्घोषणा जारी करने का अधिकार दिया गया है। मैं समझता हूं माननीय सदस्य इस उपबन्ध के महत्व को स्वीकार करेंगे क्योंकि उसके बिना देश की एकता को खतरा उत्पन्न हो जायेगा।

अब प्रश्न यह है कि क्या केरल की स्थिति इस प्रकार की थी जिसमें वहां का शासन संविधान के उपबन्धों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता था?

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

उद्घोषणा का अनुमोदन करने के संबंध में यह प्रश्न विचारणीय है। बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि वहां का शासन चल रहा था और आगे भी चल सकता था। परन्तु देखना यह है कि क्या वह संविधान के उपबन्धों के अनुसार चल रहा था?

जब राज्य का मंत्रिमंडल बनता है तो मंत्रियों को एक शपथ लेनी होती है। उस शपथ के कारण ही वह मंत्री बनता है। इसलिये यदि वह शपथ किसी प्रकार से भंग हो जाती है तो वह मंत्री रहने का हकदार नहीं रह जाता। उस शपथ में यह कहा जाता है कि मैं भारत के संविधान के श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा।

इसके बाद मैं आपका ध्यान संविधान के अनुच्छेद ३६५ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें यह कहा गया है कि यदि कोई राज्य संघ के निदेशों का अनुवर्तन करने में या उनको प्रभावी करने में असफल रहे तो राष्ट्रपति के लिये यह मानना विधि-संगत होगा कि ऐसी अवस्था उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य का शासन संविधान के उपबन्धों के अनुकूल नहीं चलाया जा सकता। इसलिये यदि कोई राज्य संघ के निदेशों का पालन करने में चूक करता है तब भी राष्ट्रपति यह मान सकता है कि राज्य का शासन संविधान के उपबन्धों के अनुकूल नहीं चल रहा है।

केरल की स्थिति के संबंध में जो पैम्फलेट प्रकाशित हुये हैं उनमें संविधान के उपबन्धों के के उल्लंघन के बहुत से उदाहरण हैं। मैं उनमें से दो का ही उल्लेख करना चाहता हूं। इनमें से पहला है बन्दियों का मुक्त किया जाना और दूसरा है नई पुलिस नीति का प्रतिपादन।

जहां तक पहले का संबंध है मुझे ज्ञात हुआ है कि बहुत से कैदी ऐसे थे जिनके मृत्यु दंड को सर्वोच्च न्यायालय ने भी ठीक बताया था और जिनकी राष्ट्रपति द्वारा क्षमा याचिकायें भी नामंजूर की जा चुकी थी। ऐसे कैदियों का मुक्त किया जाना संविधान के प्रतिकूल कार्यवाही है। केरल की

सरकार ने जान बूझकर वैसा किया। मेरे विचार से यही एक बात मानने के लिये पर्याप्त है कि राज्य का शासन संविधान के उपबन्धों के अनुसार नहीं चल रहा था।

जहां तक नई पुलिस नीति का संबंध है उसमें पुलिस से कुछ लोगों की कुछ परिस्थितियों में रक्षा न करने के लिये कहा गया था जबकि कानून के अनुसार वे उसके हकदार थे। इस नीति का मुख्य उद्देश्य केरल में यह भावना उत्पन्न करना था कि वहां साम्यवादी शासन प्रारम्भ हो गया है और वह अपनी जड़ जमाने के लिये हर तरह के तरीके अपनायेगा। मैंने एक पैम्फलेट में पढ़ा कि एक जेल से छूटा हत्यारा केरल विधान सभा की अध्यक्ष दीर्घा में बैठा देखा गया। इसका मतलब यह है कि केरल सरकार की नैतिक धारणायें सर्वथा मौलिक थीं। जो सरकार संविधान के सिद्धांतों की ऐसी अवज्ञा करे उसे पदासीन रहने का कोई अधिकार नहीं हो सकता।

मुझे केन्द्रीय सरकार से यह शिकायत है कि उसने केरल की साम्यवादी सरकार के साथ बहुत अधिक उदारता का व्यवहार किया। केन्द्र की उदारता के कारण ही उसे संविधान की अवज्ञा करने का प्रोत्साहन मिला। केन्द्रीय सरकार दो वर्ष तक उसे सही रास्ते पर आ जाने की आशा में छूट देती रही। यह नर्मी अनुचित थी और सांप को दूध पिलाने के समान थी। इस घटना से हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि साम्यवादी व्यक्ति कभी अपना रंग नहीं बदल सकता।

केरल के साम्यवादी शासन का हाल पढ़कर मुझे हितोपदेश का निम्न श्लोक याद आ रहा है :

"यौवनम् धन-सम्पत्ति प्रभुत्वम विवेकिता
एकैकमप्यनर्थाय किमुयत्र चतुष्टयम् ।"

यौवन, प्रचुर सम्पत्ति, शक्ति और अविवेक में से प्रत्येक खतरनाक स्थिति उत्पन्न करने में समर्थ हैं। फिर साम्यवादी दल में तो ये चारों बातें एक साथ हैं। यही कारण है कि केरल की स्थिति इतनी खतरनाक हो गई थी। इसलिये यह आवश्यक था कि वहां की सरकार को हटाया जाता। इसलिये हम संघ सरकार के अत्यन्त आभारी हैं कि उसने राष्ट्रपति को यह उद्घोषणा जारी करने का परामर्श दिया।

अन्त में मैं यही कहना चाहता हूं कि सरकार को भविष्य में कड़ी नीति अपनानी चाहिये। संस्कृत की एक कहावत है "शुनः कपाले लगुडप्रहार।" सरकार को इसी का अनुसरण करना चाहिये इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

†**श्री प्र० के० देव** (कांताहांडी) : केरल के संबंध में मुझे कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है क्योंकि इन दिनों मुझे वहां जाने का मौका नहीं मिला। मेरी जानकारी का आधार समाचार पत्रों में समय समय पर प्रकाशित हुये समाचार ही हैं। इसीलिये हमने कुछ समय पहले यहां यह अनुरोध किया था कि राज्यपाल के प्रतिवेदन की प्रतियां हमें दी जायें ताकि हम यह जान सकें कि वास्तव में वे कौन सी परिस्थितियां थीं जिनके अन्तर्गत राष्ट्रपति को यह समाधान हो गया कि केरल का शासन संविधान के उपबन्धों के अनुसार नहीं चल सकता है। वह प्रतिवेदन गोपनीय होने के कारण हमें नहीं दिया गया। हां, उसका संक्षेप माननीय गृह मंत्री ने हमें दिया है। उसमें भ्रष्टाचार और शक्ति के अनुचित प्रयोग के अनेक मामलों का उल्लेख है। मैं संविधान का पंडित होने का दावा तो नहीं करता परन्तु मैं यह नहीं समझ सका कि संविधान के कौन से उपबन्ध हैं जो केरल में नहीं चल सकते थे? मेरे मित्र श्री थामस ने मौलिक अधिकारों के हनन के कुछ उदाहरण दिये। मैं समझता हूं कि इन मामलों के निर्णय का सही स्थान न्यायालय है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री प्र० के० देव]

संविधान के विभिन्न उपबन्धों को देखते हुये मेरा यह विचार है कि यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो गया था कि केरल में बहुत असुरक्षा है तो अनुच्छेद ३५२ के अन्तर्गत कार्यवाही की जानी चाहिये थी। भारत सरकार का यह तर्क है कि उस अनुच्छेद के अन्तर्गत इसलिये कार्यवाही नहीं की गई कि केरल सरकार की ओर से कोई प्रार्थना नहीं की गई थी। मेरा विचार है कि प्रत्येक राज्य की बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक अशांति से रक्षा करना केन्द्रीय सरकार का कर्तव्य है और उसे राज्य की ओर से प्रार्थना के लिये प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिये।

इसके बाद मैं इस समस्या के राजनैतिक पहलू पर आता हूं। केन्द्रीय सरकार इसका कुछ भी औचित्य बताये परन्तु प्रजातंत्र के लिये यह हानिकार है। हमारे पड़ोसी देशों में प्रजातंत्र की हत्या की जा चुकी है। अब संसार के समस्त प्रजातान्त्रिक देशों की आंखें भारत पर गड़ी हुई हैं। हमारे देश में प्रजातंत्र का ध्वज अभी तक अपना मस्तक ऊंचा किये हुये है और हम प्रजातंत्र को सफल बनाने के लिये दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। फिर ऐसी कार्यवाही क्यों की गई? विधान सभा का भंग किया जाना और मंत्रिमंडल को पदच्युत करना ऐसी बातें हैं जिनकी कल्पना करने मात्र से रोमांच हो आता है। हमारे देश में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि विधान सभा का विश्वास प्राप्त होने पर भी किसी मंत्रिमंडल को पदच्युत किया गया हो। केन्द्र ने पहले पंजाब, पेप्सू, आंध्र और त्रावणकोर-कोचीन में हस्तक्षेप किया है परन्तु ऐसा तभी किया गया जब वहां कोई स्थायी मंत्रिमंडल नहीं बन सका। इसलिये मेरा निवेदन है कि ऐसा कड़ा कदम उठाने के पहले केन्द्रीय सरकार को संसद् से परामर्श करना चाहिये था। यह सभा संविधान और जनता के प्रजातान्त्रिक अधिकारों की रक्षक है। इसमें जितना समय लगता उतने में आसमान नीचे नहीं गिर जाता। मैं इस जल्दबाजी को ठीक नहीं समझता हूं।

केरल के संबंध में वैसा कोई संवैधानिक अवरोध नहीं उत्पन्न हुआ था जैसाकि ऊपर बताये गये अन्य मामलों में हुआ था। हमें ठीक ठीक जानकारी भी नहीं है कि वहां की स्थिति ऐसी हो गई थी जिसमें केन्द्रीय हस्तक्षेप आवश्यक हो गया था या नहीं। परन्तु जो कुछ किया गया वह कोई अच्छा दृष्टांत नहीं है।

केरल की जनता ने कांग्रेसी तथा प्रजासमाजवादी सरकारों का अनुभव हो जाने के बाद ही साम्यवादी सरकार को चुना था। देवीकुलम् के उपचुनाव से भी यह सिद्ध हो गया था कि साम्य-वादियों को केरल की जनता का समर्थन प्राप्त था। विरोधी दलों ने अपनी हार का बदला लेने के उद्देश्य से ही यह आंदोलन प्रारम्भ किया तथा उसके वैधानिक औचित्य का विचार नहीं किया। स्वयं नेहरूजी ने सरकारी दफ्तरों, स्कूलों आदि में धरना देने को अनुचित कहा था। परन्तु कांग्रेस दल में होने के कारण उन्होंने उसका स्पष्ट विरोध नहीं किया। देश का नेहरूजी पर पूरा विश्वास है और हम आशा करते हैं कि वह प्रजातंत्र की रक्षा अवश्य करेंगे।

कांग्रेस व प्रजासमाजवादी दल का यह गठबन्धन बहुत संकीर्ण दृष्टिकोण का द्योतक है। यह गठबन्धन करते समय यह विचार नहीं किया गया कि वह लौट कर मार करने वाला अस्त्र सिद्ध हो सकता है। अन्य स्थानों में कांग्रेस ने आंदोलनों को अनुचित बताया परन्तु केरल में स्वयं आंदोलन कर्त्ता बन गई। बड़े खेद की बात है कि कांग्रेस ने साम्यवादियों को प्रजातंत्र का रक्षक बना दिया और स्वयं असमंजस-संकुल-तंत्र का पार्ट अदा किया।

जब उड़ीसा में डा० मेहताब ने कांग्रेस सरकार बनाने के लिये अनुचित हथकंडे अपनाये क्या उस समय केन्द्रीय हस्तक्षेप आवश्यक नहीं थी? जब गणतंत्र परिषद और साम्यवादी

टकटों पर निर्वाचित विधायकों ने सरकार में हिस्सा मिलने की आशा में कांग्रेसियों के साथ मेल किया था उस समय क्या केन्द्र इस नाटक को नहीं देख रहा था ? यदि यह ठीक था तो फिर अब श्री रंगा से अपनी सीट छोड़ने के लिये क्यों कहा जा रहा है ?

उड़ीसा विधान-सभा के पिछले बजट अधिवेशन में जब कांग्रेसी मंत्रिमंडल की हार सन्निकट थी तो तीन विधायकों और एक संसद् सदस्य को झूठे आरोप लगाकर जेल में बन्द कर दिया गया था ताकि मतदान कांग्रेस के पक्ष में रहे। फिर जब एक महत्वपूर्ण विधेयक के संबंध में उड़ीसा की सरकार की हार हुई तो उसकी अवहेलना करके मंत्रिमंडल को कायम रखा गया। इसी प्रकार जब उत्तर प्रदेश की विधान सभा में वर्तमान मंत्रिमंडल के प्रति अविश्वास प्रकट किया गया तो केन्द्र ने यह कह कर टाल दिया कि वह राज्य की विधान सभा पर निर्भर है। इन सब बातों से ऐसा आभास होता है कि देश में केवल कांग्रेस ही राज्य कर सकती है।

जहां तक साम्यवादियों का संबंध है मैं उनको भी निर्दोष नहीं कहता। शासकदल को अल्पसंख्यकों का समर्थन भी प्राप्त करना चाहिए। जब केरल में सामूहिक प्रदर्शन प्रारंभ हुआ था साम्यवादी सरकार को चाहिए था कि उसी समय त्यागपत्र दे देती। उसके कुर्सी पर चिपके रहने से हम यही समझेंगे कि वे भी सत्ता के लोभी हैं। इतने बड़े पैमाने पर आन्दोलन होने का अर्थ यह है कि वह सामूहिक आन्दोलन है, इसलिए साम्यवादी सरकार को नए चुनावों की मांग को स्वीकार कर लेना चाहिए था।

मेरा सुझाव है इस प्रकार की स्थिति में केन्द्रीय हस्तक्षेप का सहारा न लेकर "प्रत्यावर्तन' की प्रणाली अपनाई जानी चाहिए। इसके लिए संविधान में उपबन्ध किया जाना चाहिए। यूगोस्लाविया, हंगरी, रुमनिया, रुस और चीन में "प्रत्यावर्तन" की प्रणाली है जिसके अनुसार यदि कोई निर्वाचित सदस्य इस प्रकार का आचरण करे, जो निर्वाचकों के लिए अहितकर हो, तो उसे अपने पद से वापस लौटा दिया जाता है। यदि हमारे संविधान में इस प्रकार का उपबन्ध होता तो साम्यवादी मंत्रिमण्डल ने बहुत पहले ही त्यागपत्र दे दिया होता। इसलिए मेरा निवेदन है कि "प्रत्यावर्तन" का उपबन्ध संविधान में किया जाना चाहिए ताकि आगे इस प्रकार की कार्यवाही करने का मौका न आये। मैं यह भी चाहता हूँ कि केरल में जनता की सरकार बनाने के लिए शीघ्र कदम उठाया जाय।

†**श्री नथवानी** : (सोरठ): इस समस्या के दो पहलू है। एक राजनीतिक और दूसरा संवैधानिक। कहा गया है कि राज्यपाल का अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना असंवैधानिक कार्यवाही है, परन्तु वास्तव में यह बात निराधार है। संविधान के अनुसार यह व्यवस्था बड़ी स्पष्ट है कि वह स्वविवेक अनुसार कार्य कर सकता है और राष्ट्रपति को यह सूचित कर सकता हूं कि राज्य में सरकार संविधान के उपबन्धों के अनुसार नहीं चल रही। विरोधी पक्ष के सदस्यों की यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि यदि उन्हें इस प्रकार का प्रतिवेदन प्रस्तुत करना हो तो मंत्रिमंडल का परामर्श प्राप्त करना आवश्यक है। अपने कर्तव्य पालन के सम्बन्ध में उसे सारी स्थिति का स्वयं पता लगा कर प्रतिवेदन देने का पूरा अधिकार है। यह मामला जब संविधान सभा में था तो डा० अम्बेदकर ने इसकी व्याख्या की थी कि यह ठीक है कि राज्यपाल मंत्रियों के परामर्श से चलेंगे परन्तु कृत्य और कर्त्तव्य में थोड़ा अन्तर करना ही होगा। अपने कर्त्तव्य का पालन करते हुये राज्यपाल को इस बात का ध्यान रखना होगा कि मंत्रिमंडल जनता की इच्छा के विरुद्ध तो नहीं जा रहा और प्रशासन में किसी प्रकार

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नथवानी]

का भ्रष्टाचार अथवा पक्षपात तो नहीं। अतः राज्यपाल ने जब यह देखा कि सरकार समुचित ढंग से नहीं चल रही तो उन्होंने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया।

इसके अतिरिक्त अनुच्छेद संख्या २०० में भी राज्यपाल को किसी भी ऐसे विधेयक को स्वीकृति प्रदान करने अथवा रद्द करने के अधिकार प्राप्त है। इस काम को यह मंत्रिमंडल के परामर्श से नहीं करता। वह मामले को राष्ट्रपति के भी सुपुर्द कर सकता है। केरल में इसी प्रकार शिक्षा विधेयक पर राज्यपाल ने अपनी स्वीकृति प्रदान नहीं की थी। यदि केवल यही बात होती कि वह प्रत्येक काम केवल मंत्रिमंडल के परामर्श से ही कर सकता है तो केरल राज्यपाल शिक्षा विधेयक को स्वीकृति देने से इन्कार नहीं कर सकते थे। इसी प्रकार अनुच्छेद १६७ के अन्तर्गत भी राज्यपाल मंत्रिमंडल से जानकारी प्राप्त कर सकता है। श्री अय्यर ने डा० अम्बेदकर का गलत उल्लेख करके यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि अनुच्छेद ३५६ का प्रयोग केवल मंत्रिमंडलीय संकट के समय ही किया जा सकता है। अनुच्छेद ३५२ के सम्बन्ध में जो कुछ कहा गया है, उसके सम्बन्ध में निवेदन है कि उसका प्रयोग तो तब किया जाता यदि अनुच्छेद ३५६ की व्यवस्था उपलब्ध नहीं होती।

इस विचार में घटनाओं को तोड़-मोड़ कर प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है। आज जिन घटनाओं पर बहस हो रही है उसका सारा इतिहास देखने से ही सारी बात समझ में आ सकती है। आरम्भ से ही वहां संविधान को तोड़-मोड़ कर अपने दल को लाभ पहुंचाने का प्रयत्न किया जा रहा था। स्थिति इतनी विकट रूप में उपस्थित हो गई थी कि लोगों को अपने जीवन और सम्पत्ति की रक्षा करना भी अपराध हो गया था। वे भयभीत हो उठे थे। मैं अधिक विस्तार में न जाकर केवल इतना ही पूछना चाहता हूं कि जो कार्यवाही की गयी है वह क्यों संविधान के अनुरूप नहीं है। संविधान के अनुच्छेद १४ के अन्तर्गत आपको यह अनुमति नहीं दी जा सकती कि आप विधि का निर्माण करते हुये किस वर्ग के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करे। लेकिन ऐसा करने का प्रयत्न किया गया और एक दल विशेष को लाभ पहुँचाने की पूरी कोशिश की गयी। अब भी श्री डांगे यही कर रहे हैं कि यदि पुनः पदारूढ़ हुए तो इसी नीति को आगे भी अपनायेंगे। उन्होंने केरल सरकार की पुलिस नीति पर पूर्ण विश्वास प्रकट किया है। केरल सरकार ने समय-समय पर इसी प्रकार की नीति की पुष्टि की है। यहां तक शांति को भंग होते देख कर भी पुलिस ने नागरिकों की रक्षा के लिए कोई कार्यवाही नहीं की। सरकार ने नागरिकों की रक्षा का साधारण कर्तव्य भी पूरा न किया। उस पर भी आश्चर्य यह है कि श्री डांगे फरमाते हैं कि आगे भी हम इसी पुलिस नीति को अपनायेंगे।

मेरे से पूर्व बहुत से वक्ताओं ने यह बात कही है कि केन्द्रीय सरकार ने काफी नम्र व्यवहार किया है। यह उद्घोषणा बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। यह ठीक है कि सरकार को विधान सभा में बहुमत प्राप्त था परन्तु एक बड़ा भारी जन आन्दोलन यह मांग कर रहा था कि सरकार अपने पद से त्याग पत्र दे दें। सरकार जनता का विश्वास खो चुकी थी। अतः इस स्थिति में अनुच्छेद ३५६ के उपबन्धों को कार्यान्विति करना आवश्यक हो गया था। वैसे सामान्य अवस्था में इस अनुच्छेद की प्रायः प्रयोग नहीं किया जाता। परन्तु इस स्थिति में केन्द्रीय सरकार के लिए हस्तक्षेप करने के अतिरिक्त और कोई मार्ग ही नहीं रह गया था।

अन्त में मैं एक बात कहूँगा कि केरल के साम्यवादी शासन से एक शिक्षा मिलती है। वह यह कि पर्दा उठ गया है और साम्यवादी दल अपने असली रूप में संसार के समक्ष आ गया है। आज वे लोकतन्त्र और संविधान के नाम पर आसूं बहा रहे हैं। मेरा कहना है कि हमें उनसे सावधान रहना चाहिए। वे कहते हैं कि पुनः सत्तारूढ़ होकर भी वे इसी नीति पर चलेंगे जिस पर कि वे चलते आये हैं। हमें यह नहीं सोचना चाहिये कि शायद एक बार और मौका देने से ये लोग ठीक हो जायें, संविधान के प्रति इनमें श्रद्धा उत्पन्न हो जाये। हमे इस ख्याल में नहीं रहना चाहिये। यह खतरनाक साबित हो गया।

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोज़ाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, केरल की घटनाओं ने दस बारह साल से चले आ रहे एक नाटक का पटाक्षेप किया है। इस बीच में कलकत्ता की तीसरी कांग्रेस जो कम्युनिस्ट पार्टी की हुई थी और उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ने जो अपनी नीतियां बदलीं उनसे कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच एक गठबन्धन सा चलता रहा और हिन्दुस्तान की जनता ठगी जाती रही, हिन्दुस्तान की जनता पर जुल्म होते रहे, फिर चाहे वह कांग्रेस का सूबा रहा हो या केरल का सूबा रहा हो जहां पर कि कम्युनिस्ट पार्टी ने सन १९५७ में अपना शासन कायम किया। लेकिन जो एक उद्देश्यप्रद सबक मिलता है केरल में केन्द्रीय हस्तक्षेप से वह यह मिलता है कि सम्भवतः अबतक कम्युनिस्ट पार्टी के लोग अपनी नीति में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं और उस परिवर्तन को करके हिन्दुस्तान की शोषित व पीड़ित जनता के लिये लड़ाई लड़ना चाहते हैं और उसका शासन कायम करने की कोशिश करना चाहते हैं। अगर ऐसा किया गया तो आगे आने वाले हिन्दुस्तान के लिये यह एक अच्छी बात होगी।

लेकिन मुझे खतरा है कि वे हिन्दुस्तान के जादूगर के जाल में फिर न फंसें। बार बार कहा जाता है कि हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री की तरफ से और आज भी उन्होंने अपने भाषण में कहा है कि जब वह केरल के मंत्रियों से मिले तो उनसे पूछा कि आखिर यह कैसे हो गया कि सब विरोधियों को तुमने अपने खिलाफ कर दिया। मैं समझता हूं कि सम्भवतः वह अपनी कलागिरी दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से विरोधियों को आपस में बंटवा कर, एक दूसरे से लड़ा कर शासन किया जा सकता है। सम्भवतः कम्युनिस्ट शासक हिन्दुस्तान में नये थे और उनके लिये संसदीय परम्परायें नई थीं। वे नहीं जानते थे कि किस तरह से शासन किया जाता है विरोधियों को आपस में लड़ा कर तथा किस तरह से ऐसा करके कुर्सियों पर जमे रहा जा सकता है। इस तरह की नीति को बरतना वे जानते नहीं थे। इसी वास्ते मैं समझता हूं कि आन्ध्र में हुये राइस डील के सम्बन्ध में श्री गोपालन ने तार भेज दिया जब कि इस तरह की घटनायें हर सूबे में हुई हैं जहां पर कि कांग्रेस का शासन रहा है, जहां पर टेलीफोन से बातें होती रही हैं और लोगों को बुला कर के कहा जाता रहा न कि तुम इस तरह से करो और इस तरह से न करो, लेकिन चूंकि हमारे मित्र श्री गोपालन इस काम के लिये नये थे, वह जानते नहीं थे कि किस तरह से काम को किया भी जा सकता है और बचा भी जा सकता है, इसलिये उन्होंने तार द्वारा यह बात कहना मुनासिब समझा।

लेकिन फिर भी जहां तक केन्द्रीय हस्तक्षेप का प्रश्न है, हम उसका विरोध करते हैं। लेकिन केन्द्रीय हस्तक्षेप का विरोध करते वक्त, यह हमें मानना होगा कि हिन्दुस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी ने एक ऐसा अच्छा मौका हाथ से खोया है केरल में जिस मौके का फायदा उठा कर के कि वह हिन्दुस्तान की जनता के लिये एक नया सन्देश दे सकती थी और वह यह सन्देश था कि जब भी जनता शासन के खिलाफ हो जाय, जनता का बहुमत उसके खिलाफ हो जाये तो वह जनता से कहे हम तुमसे फिर विश्वास प्राप्त करने के लिये तैयार हैं, फिर चुनाव करने के लिये तैयार हैं। यहां पर यह कहा गया है और बारबार कहा गया है कि केरल में पुलिस को सरकारी मशीनरी के पक्ष में इस्तेमाल किया गया है और कम्युनिस्ट पार्टी को इस तरह का बना दिया गया था जिससे कि

[श्री ब्रजराज सिंह]

लोगों को यह सोचने के लिये मजबूर होना पड़े कि उनको न्याय नहीं मिल सकेगा, लेकिन मैं इस मामले में जाना नहीं चाहता हूं और इसको अलग रख क के कहना चाहता हूं कि केवल एक घटना को ले कर के ही कम्युनिस्ट पार्टी को इस्तीफा दे देना चाहिये था और वह घटना है पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने की । हम देखते हैं कि सन १९४७ से ले कर, जब हिन्दुस्तान आजाद हुआ आज तक सैकड़ों बार जनता पर गोलियां बरसाई गई हैं, निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाई गई हैं और हमेशा ही कांग्रेसी सरकारों ने इस्तीफा देने से मना किया है । हिन्दुस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी हिन्दुस्तान की राजनीति में एक नया अध्याय यह जोड़ सकती थी कि गोली चलने के फौरन बाद इस्तीफा दे देती और कह देती कि हम कन्ट्रोल नहीं कर सके और अपनी पुलिस को जिसने जनता पर गोली चलाई । यहां तक कि उसने न्यायिक जांच करने तक से इन्कार कर दिया, इस्तीफा देने की बात तो दूर रही । वहां के मुख्य मंत्री ने कहा कि जब तक आन्दोलन वापिस नहीं लिया जाता है, तब तक किसी तरह की कोई जांच करवाने का प्रश्न ही नहीं उठता है । मैं कहना चाहता हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी गलत नीति की वजह से न केवल कांग्रेस की पिछलग्गू बनने की कोशिश की बल्कि एक बार नहीं चार बार गोली चलाई और कोई नई नीति हिन्दुस्तान को देने की कोशिश नहीं की । न्यायपूर्ण बात तो यह थी कि वह इस घटना के बाद इस्तीफा दे देती और दूसरों को रास्ता दिखा देती और कहती कि हम इस बारे में असफल रहे हैं और हमारे राज में गोली चली है, इस वास्ते हम इस्तीफा देते हैं ।

इस सन्दर्भ में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कोई भी पार्टी हकूमत करती हो, जब भी कोई गोली चलने की घटना हो, तो उसके फौरन बाद न्यायिक जांच होनी चाहिये और अवश्य होनी चाहिये । मुझे लगता है कि इन सब घटनाओं के बाद कांग्रेस पार्टी के लोग भी इस बारे में सोचने लगे हैं और चाहने लगे हैं कि ऐसा हो और अगर उनमें यह बुद्धि आई तो मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान के भविष्य के लिये यह एक अच्छी बात होगी । एक सोचने वाली यह भी बात है कि गोली किन परिस्थितियों में चलनी चाहिये । जब तक भीड़ इस तरह की न हो जाये कि किसी पुलिसमैन को मार डाला हो, पुलिस को अधिकार नहीं है कि वह कोई कभी भी जनता पर गोली चलाये । जब हम केरल की स्थिति को देखते हैं तो पाते हैं कि यह साफ है कि वहां पर भले ही कुछ पुलिसमैनों को घायल कर दिया गया हो या कुछ को चोटें आई हों लेकिन कोई भी पुलिसमैन मारा नहीं गया है । ऐसी सूरत में गोली चलाया जाना उचित नहीं ठहराया जा सकता है और न्यायिक जांच करवाने के लिये इन्कार करना और कहना कि हम सन्तुष्ट हैं कि गोली उचित रूप से चलाई गई है, उसी तरह से बात हो जाती है जिस तरह से कि आज गृह मंत्री कहते हैं या दूसरे लोग कहते हैं कि केरल में केन्द्रीय हस्तक्षेप संविधान की भावनाओं के अनुसार, संविधान की व्यवस्थाओं के अनुसार ही किया गया है, वहां की सरकार संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, इसलिये हमने वहां पर केन्द्रीय हस्तक्षेप किया है ।

तो हमें देखना होगा कि जब तक पुलिसमैन की हत्या न हो जाये, जब तक कोई भीड़ हथियारबन्द न हो, हम गोली न चलायें । जब तक कोई हथियारबन्द भीड़ क्रान्ति के लिये उतारू न हो, तब तक गोली चलाने का मौका ही नहीं आना चाहिये । गांधी के देश में भी अगर इस तरह के काम हम नहीं कर सकते हैं जिन्होंने कि हमको अहिंसक रूप से लड़ाई लड़ना सिखाया है विदेशी सत्ता के खिलाफ तब तक हम दुनिया वालों को भी नहीं कह सकते हैं कि वे इस तरह से करें और वह हो नहीं सकता है । मैं समझता हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी ने एक बहुत ही अच्छा मौका अपने हाथ से खोया है । कम्युनिस्ट पार्टी जानती थी कि जब तक केन्द्र में कांग्रेस की हकूमत है, तब तक वह ज्यादा दिन नहीं चल सकती है । वहां पर उसका २८ महीने का शासन रहा है और इस बीच में बार बार यह आश्वासन दिलाया गया है कि हम तो कम्यनिस्ट पार्टी के घोषणापत्र पर नहीं चल

रहे हैं, हम तो कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र को अमल में लाना चाहते हैं, यह सब दिखाता है कि उनको कभी न कभी पांच साल पूरे होने से पहले ही हटाया जा सकता था। जब उनको पांच साल से पहले ही हटने का विश्वास था और यह विश्वास था कि उनको हटना ही पड़ेगा तो क्यों न वह सिद्धान्तों का प्रतिपादन करके हटते। उसने ऐसा नहीं किया, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना है हिन्दुस्तान के भविष्य के लिये। असल बात है कि पिछले दिनों जब कि कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी में दोस्ती चली तो उस दोस्ती के बारे में उन्हें गलतफहमियां थी और मुझे खुशी है कि वे गलतफहमियां सम्भवतः कुछ हटती चली जा रही हैं और उसके दृष्टिकोण में परिवर्तन आता जा रहा है।

हिन्दुस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी के विषय में यह बड़ी दुर्घटना रही है कि उसने कभी भी हिन्दुस्तान की परिस्थितियों को देख करके अपनी नीतियां निर्धारित नहीं की हैं और हमेशा ही मास्को की तरफ वह देखती रही है और अब पेकिंग की तरफ देख करके भी वह अपनी नीति निर्धारित करती है। ख्रुश्चेव और नेहरू की दोस्ती है तो हिन्दुस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी की दोस्ती है और उसके खिलाफ उसने कोई काम नहीं किया और नही वह कर सकती है और जहां तक गृह नीति अथवा विदेश नीति का सम्बन्ध है, वह कांग्रेस का बहुत बुरी तरह से समर्थन करती रही। इसीलिये नम्बूदरीपाद सरकार बार बार यह कहती रही है कि हम तो कांग्रेस पार्टी के मैनिफैस्टो को लागू करना चाहते हैं, कोई नई चीज़ करना नहीं चाहते हैं। जो मौका आया था उसका वह विदेशी कारखाने अपने हाथ में ले ने की, उनका राष्ट्रीयकरणे करने की बात कह सकती थी और मैं जानता हूं कि उसके सामने यह बात उठाई जाती कि हिन्दुस्तान में मौजूदा संविधान के लागू रहते, इस तरह की बात नहीं की जा सकती है लेकिन सवाल यह नहीं था कि यह किया जा सकता था या नहीं किया जा सकता था, सवाल यह था कि २८ महीने में, २४ महीने में या ६ महीने में ही सही जब उसे जाना था तो एक सिद्धान्त का प्रतिपादन करके जाना चाहिये था और यह साबित करना चाहिये था कि जो काम हिन्दुस्तान की कांग्रेस सरकारें १३ सूबों में नहीं कर सकी हैं, देशी और विदेशी कैपिटल को नैशनलाइज़ करने का, वह काम कम्युनिस्ट पार्टी कर सकती है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, कम्युनिस्ट पार्टी की आंख सत्ता पर थी। इसलिये जब हम देखते हैं कि केरल में भी वही काम हो रहा है जो कि यू० पी० में हो रहा है, एक जगह पर साहू जैन के साथ और दूसरी जगह पर बिड़ला के साथ और उन्हें सुविधायें दी जा रही हैं और उनके साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है तो दोनों की नीतियों में कोई अन्तर नहीं रह जाता है। कम्युनिस्टों की नीति में एक गलती यह थी कि वे समझते थे कि कांग्रेस पार्टी से दोस्ती करके वे शासन की कुर्सी पर बने रह सकते हैं, अपना काम चला सकते हैं। मुझे खुशी है कि उसमें कोई परिवर्तन आने को है, लेकिन जब मैं कहत हूं कि परिवर्तन आने को है, तो मैं साफ कहे देता हूं कि जब तक हिन्दुस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी पीकिंग या माको में अपनी जड़ों को समझेगी, वह समझेगी कि मास्को और पीकिंग में जो कुछ होता है उसी के ऊपर उस नीति निर्धारित करनी पड़ेगी, तब तक वह परिवर्तन नहीं आ सकता है। तिब्बत के सम्बन्ध में जो कुछ यहां की कम्युनिस्ट पार्टी का रवैया रहा है, उससे हमें यह खतरा रहता है कि सम्भवतः अपनी उस चीज़ को वह छोड़ नहीं सकेगी, पीकिंग और मास्को का उसे समर्थन करना पड़ेगा। लेकिन जहां तक केरल का सवाल आता है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि केरल में इस तरह की स्थिति पैदा हो गई थी कि संविधान की भावनाओं के मुताबिक शासन नहीं चल सकता था। लेकिन इस तरह के उदाहरण और भी दिये जा सकते हैं। अभी उत्तर प्रदेश की घटना है, ९८ कांग्रेसी सदस्यों ने असेम्बली की फ्लोर पर यह कह दिया कि यह सरकार हमारा विश्वास खो चुकी है, वह कुछ भी सरकार हो सकती है, कांग्रेस की सरकार नहीं है, उसका बहुमत खत्म हो चुका है, इसके बाद कोई कार्यवाही नहीं हो सकती। केरल में तो हो ही जायेगी . . . . . .

एक माननीय सदस्य : जनता ऐसा नहीं कहती ।

श्री ब्रजराज सिंह : जनता नहीं कहती ? जहां तक जनता का प्रश्न उठता है, सन् १९५७ के बाद पिछले दिनों में हिन्दुस्तान के हर सूबे में आन्दोलन चलते रहे हैं, और ऐसे चले हैं कि जिनमें १५,०००, १५,००० आदमियों ने कलेक्टोरेट को घेर लिया है । राजस्थान में बांसवाड़ा की कलेक्टरी को १५,००० आदिवासियों ने घेरा, किन्तु आदिवासियों ने कंकड़ी नहीं चलायी, फिर भी साढ़े पांच सौ जूते उनके छीन लिये गये हैं । उन आदिवासियों को जो कि बिकुल अहिंसक थे, भगा दिया गया लाठी चार्ज कर के । वे वहां की हवालात में मौजूद हैं । इस तरह के जन विद्रोह हो रहे हैं । आप कहेंगे कि यह जन विद्रोह नहीं है । आपके जन विद्रोह की कोई परिभाषा भी है ? आप के केरल में जन विद्रोह हो सकता है । मैं मानता हूं कि केरल की जनता उठ खड़ी हुई थी इसलिये कम्मुनिस्ट पार्टी की मिनिस्ट्री को स्तीफा दे देना चाहिये था । लेकिन इस प्रकार का जन-विद्रोह उत्तर प्रदेश में हुआ है, इस तरह का जन विद्रोह मध्य प्रदेश में हुआ है, इस तरह का जन विद्रोह राजस्थान में हुआ है । उसकी शक्ल दूसरी हो सकती है । सवाल ऐसा हो सकता है कि उनके पास ५० लाख रुपया न हो, समनमय पद्मनाभन के पास ५० लाख रुपया हो सकता है, किस प्रकार से वह आया, मैं इसमें नहीं जाना चाहता । मैं चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के भविष्य के लिये आप नियम बनायें कि राजनीतिक पार्टियां कहां से चन्दा पाती हैं, किस तरह से वह खर्च होता है, इस सब का जनता के सामने प्रकाशन हो । यह सबको मालूम होना चाहिये कि यहां से रुपया आया और इस तरह से खर्च हुआ । तो मैं कह रहा था कि केरल में जन विद्रोह हुआ, इसे हम मान लें, लेकिन दूसरे सूबों में भी हो रहा है, इसे हम न मानें, यह एक ऐसी बात है जो हिन्दुस्तान की जनता के गले नहीं उतारी जा सकती । यह कहना कि हम सिविल डिसओविडिएन्स की थ्यो ी को, सत्याग्रह के उसूल को नहीं मानते हैं, हम नहीं मानते हैं कि जनता को अधिकार है कि वह जनता की चुनी सरकार के खिलाफ विद्रोह कर सकती है, यह ठीक नहीं है । मैं तो मानता हूं कि जनता को अधिकार है कि जिस टाइम के लिये उसने सरकार को चुना है, उसके बीच में भी उस सरकार को उखाड़ फेंके, जन विद्रोह द्वारा, अगर वह समझती है कि सरकार की नीतियों से उसे सन्तोष नहीं है, चाहे वह कम्युनिस्ट सरकार हो या कांग्रेस सरकार हो । लेकिन अगर यह नियम कम्युनिस्ट सरकार पर लागू हो सकता है तो इसे नेहरू सरकार पर भी लागू होना चाहिये, सुखाड़िया सरकार पर भी लागू होना चाहिये, काटजू सरकार पर भी लागू होना चाहिये, सम्पूर्णानन्द सरकार पर भी लागू होना चाहिये, यह नियम डा० राय की सरकार पर और सिन्हा सरकार पर भी लागू होना चाहिये । मैं किसी पक्ष की बात नहीं कहता हूं, मैं तो एक नियम की बात कहता हूं, जब तक हम सब पर एक नियम लागू नहीं कर सकते हैं .....

उपाध्यक्ष महोदय : बाकी सरकारों पर भी लागू करना चाहते हैं तो कल कीजियेगा । कल जारी रख कर आप ऐसा कर सकेंगे ।

इसके पश्चात् लोक सभा गुरुवार २० अगस्त, १९५९ २९ श्रावण, १८८१ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

बुधवार, १९ अगस्त, १९५९

२८ श्रावण, १८८१ (शक)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		१५२९—५४
तारांकित प्रश्न संख्या		
५३७	इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक सेवायें	१५२९—३१
५३८	इस्पात कारखानों में पुर्जों तथा सामान का मानकीकरण	१५३१—३२
५३९	दिल्ली के स्कूल . .	१५३२—३३
५४२	स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास	१५३३—३४
५४३	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का मुख्यालय . .	१५३५—३६
५४४	भारत में विशेष इस्पात और मिश्रित धातुओं का उत्पादन	१५३६—३८
५४६	राज्यों में न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलग किया जाना	१५३९—४०
५४७	धमन भट्टियां	१५४०—४१
५५०	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम .	१५४१—४२
५५१	केन्द्रीय युद्ध सामग्री डिपो, छेवकी, में अनियमिततायें	१५४२—४३
५५२	पेट्रोलियम पर उत्पादन शुल्क .	१५४३—४४
५५३	काश्मीर में विश्वयतन योगाश्रम को अनुदान	१५४४—४६
५५४	तीस हजारी में न्यायालय की इमारत	१५४६—४७
५५५	गाजा पट्टी में भारतीय सैनिक	१५४८
५५६	वाटरप्रूफ कपड़ों पर उत्पादन शुल्क	१५४८
५५७	जालसाज़ी विरोधी दस्ता	१५४८—५०
५५९	अनिवार्य जीवन बीमा योजना	१५५०
५६०	त्रिपुरा में होमगार्ड बटेलियन .	१५५०—५१
५६१	खनन इंजीनियरों का विदेशों में प्रशिक्षण	१५५१—५२
५६२	इंडियन लान टेनिस एसोसियेशन	१५५३—५४
५६३	विश्वविद्यालयों और कालेजों में सांध्यकालीन कक्षायें	१५५४

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर		१५५५—१६०१
तारांकित प्रश्न संख्या		
५४०	उच्चतम न्यायालय और निर्वाचन आयोग का क्षेत्राधिकार जम्मू तथा काश्मीर राज्य तक बढ़ाया जाना	१५५५
५४१	युद्ध सामग्री कारखानों में फालतू श्रमिक	१५५५
५४५	बीमा प्रतिभूतियां	१५५५
५४८	कोलार की सोने की खानें	१५५६
५४९	विमानों के इंजनों से सम्बन्धित जांच अदालत का प्रतिवेदन	१५५६
५५८	प्रादेशिक परिषदों के नियम	१५५६–५७
५६४	विश्वविद्यालयों में नियोजन यूनिटें	१५५७
५६५	पटना में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण बैंच	१५५७
५६६	प्रोफेसर और लेक्चरों की सेवा-निवृत्ति की आयु	१५५७
५६७	बच्चों को उठा ले जाना	१५५७–५८
५६८	जूनियर टेकिनकल स्कूल	१५५८
५६९	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की महिलायें	१५५९
५७०	युद्ध-सामग्री कारखानों में जूतों का निर्माण	१५५९
५७१	जम्मू तथा काश्मीर का पुरातत्वीय विभाग	१५५९–६०
५७२	आदिवासियों की ऋणग्रस्तता	१५६०
५७३	रूपकुण्ड झील	१५६०
५७४	युद्ध-सामग्री कारखानों में प्रशिक्षित कुत्ते	१५६०
५७५	भाषाई अल्पसंख्यक	१५६१
५७६	सनावर पब्लिक स्कूल	१५६१
५७७	आसाम तेल परिष्करणी के लिये भूमि का अर्जन	१५६१
५७८	ब्रिटेन में भारतीय क्रिकेट टीम	१५६१–६२
५७९	देवनागरी लिपि	१५६२
५८०	कथारा कोयला खान	१५६२
५८१	हैदराबाद में सैनिक शिक्षा के लिये स्कूल	१५६२–६३
५८२	मनीपुर का तामेंगलांग सब-डिवीजन	१५६३
५८३	उड़ीसा में लौह अयस्क के निक्षेप	१५६३–६४
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१०२६	भारत के राज्य बैंक की पंजाब में शाखायें	१४६४

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१०२७	विदेशी सार्थ . .	१५६४
१०२८	जम्मू तथा काश्मीर में चूने का पत्थर .	१५६४—६५
१०२९	सारनाथ के स्मारक	१५६५
१०३०	पंजाब में आई० ए० एस० और आई० पी० एस० पदाधिकारी	१५६५
१०३१	पंजाब उच्च न्यायालय में लेख याचिकायें	१५६६
१०३२	भारत में पंजीकृत विदेशी	१५६६
१०३३	उच्चन्यायालय के न्यायाधीश .	१५६६—६७
१०३४	आय-कर से छूट	१५६७
१०३५	जीवन बीमा निगम द्वारा दावों का भुगतान .	१५६७
१०३६	बम्बई राज्य को लोहे और जस्ते की चादरों का आवंटन .	१५६८
१०३७	बम्बई राज्य में चन्दा के निकट लौह अयस्क के लिये भू-भौतिकीय सर्वेक्षण	१५६८
१०३८	स्टेनलेस स्टील का आयात .	१५६८
१०३९	मैट्रिकुलेटों और ग्रेजुएटों की संख्या	१५६८
१०४०	पंजाब के लिये जिला विवरणिकायें	१५६९
१०४१	उड़ीसा को इस्पात का आवंटन	१५६९—७०
१०४२	ग्राम्य उच्च शिक्षा .	१५७०
१०४३	कुमारी मृदुला साराभाई की रिहाई	१५७०
१०४४	रूरकेला इस्पात परियोजना	१५७०—७१
१०४५	कुतब मीनार .	१५७१
१०४६	अतिरिक्त उत्पादन शुल्क .	१५७१—७२
१०४७	अस्पृश्यता निवारण सम्बन्धी प्रचार .	१५७२
१०४८	उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति	१५७२
१०४९	१९६१ की जनगणना	१५७२—७३
१०५०	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूची .	१५७३
१०५१	गुरदासपुर में श्रम तथा समाज सेवा कैम्प . .	१५७३—७४
१०५२	दिल्ली के ग्रामों के लिये कालेज . .	१५७४
१०५३	माध्यमिक स्कूलों के शिक्षक . . .	१५७४—७५
१०५४	माध्यमिक शिक्षा स्तर पर तीन भाषाओं का अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाना	१५७५

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
मतारांकित प्रश्न संख्या		
१०५५	प्रतिरक्षा सामान का आयात	१५७६
१०५६	स्नेहन-तेल	१५७६
१०५७	सैनिक डेरी फार्म सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट	१५७६–७७
१०५८	जनशक्ति निदेशालय को फोर्ड फाउंडेशन की ओर से अनुदान	१५७७
१०५९	दिल्ली के नगरीय क्षेत्र में भूमि की कीमतें	१५७८
१०६०	राष्ट्रीय झण्डा	१५७८
१०६१	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के लिये विपणन संगठन	१५७८
१०६२	पंजाब में लौह-अयस्क	१५७८–७९
१०६३	निवेली तापीय बिजलीघर	१५७९
१०६४	पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी सम्बन्धी प्रशिक्षण के लिये सुविधायें	१५८०
१०६५	राष्ट्रीय अनुशासन योजना	१५८०–८१
१०६६	पंजाब सरकार का शिक्षा विकास कार्यक्रम	१५८१–८२
१०६७	वाणिज्यिक बैंक	१५८२
१०६८	टर्बो-जेट विमान	१५८२
१०६९	आकाशवाणी	१५८२
१०७०	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम	१५८२–८३
१०७१	बम्बई राज्य में मैगनेसाईट के निक्षेप	१५८३
१०७२	कुमाऊं में मेगनेशियम के निक्षेप	१५८३
१०७३	उड़ीसा में चूने का पत्थर	१५८३–८४
१०७४	राज्यों के मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन	१५८४
१०७५	रूस से इस्पात का आयात	१५८४
१०७६	मंत्रालयों में आदेशों, परिपत्रों और ज्ञापनों का हिन्दी में जारी किया जाना	१५८४–८५
१०७७	ईसाई धर्मप्रचारक	१५८५
१०७८	दुर्गापुर के इस्पात कारखाना क्षेत्र में आग लगने की दुर्घटना	१५८५
१०७९	"लोलिता" पुस्तक पर रोक	१५८६
१०८०	राष्ट्रीय पर्वों पर खर्च	१५८६
१०८१	पत्रकारों का निष्कासन	१५८६
१०८२	हिन्दी	१५८७

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१०८३	विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन	१५८७
१०८४	सवर्ण हिन्दुओं द्वारा भंगी का काम करना	१५८७
१०८५	राज्यों में पुस्तकालय	१५८८
१०८६	हिमाचल प्रदेश प्रशासन में अनुसूचित जातिया .	१५८८
१०८७	हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियों को मकान के लिये ऋण . .	१५८८
१०८८	हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के लिये छात्रावास . .	१५८८–८६
१०८६	विद्यापीठ और गुरुकुल के बारे में राष्ट्रीय आयोग	१५८६
१०६०	टेकनीकल व्यक्तियों की भर्ती . .	१५८६–६०
१०६१	कनिष्ठ आयुक्त अधिकारियों के परिवारों के लिये आवास-स्थान	१५६०
१०६२	कनिष्ठ आयुक्त अधिकारियों (जे०सी०ओ०) की पदोन्नति	१५६०–६१
१०६३	कनिष्ठ आयुक्त अधिकारियों (जे०सी०ओ०) की पदोन्नति	१५६१–६२
१०६४	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग	१५६२
१०६५	त्रिपुरा में भूमि सम्बन्धी विवाद .	१५६२–६३
१०६६	जम्मू और काश्मीर के लिये औद्योगिक वित्त निगम	१५६३
१०६७	दिल्ली नगर निगम के वित्तीय संसाधन .	१५६३
१०६८	अ-हिन्दी भाषी क्षेत्रों के लिये हिन्दी प्राथमिक पुस्तकें (प्राइमर्स)	१५६३–६४
१०६६	क्लर्क ग्रेड परीक्षा, १६५८	१५६४
११००	मकान भाड़ा और नगर प्रतिकरात्मक भत्ता	१५६४–६५
११०१	बैरकपुर छावनी .	१५६५
११०२	त्रिपुरा में स्टेडियम .	१५६५–६६
११०३	छावनी बोर्ड के कर्मचारी	१५६६
११०४	श्री लेवी का प्रतिवेदन	१५६६–६७
११०५	लड़के तथा लड़कियां	१५६७
११०६	तेलीचेरी वर्ग	१५६७
११०७	तेल की खोज में विदेशी सहयोग	१५६८
११०८	टेकनीकल शिक्षा सम्बन्धी भारत-कनाडा करार	१५६८
११०६	नागाओं के छिपने के स्थानों पर छापा	१५६८–६६

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१११०	विश्व पैट्रोलियम कांग्रेस	१५९९
१११९	इस्पात कारखानों में विदेशी	१५९९
१११२	तांबा उत्पादन	१५९९
१११३	संघ राज्य-क्षेत्रों में शिक्षा का विकास .	१५९९–१६००
१११४	माध्यमिक स्कूलों तथा उनके पुस्तकालयों आदि की इमारतें	१६००
१११५	विश्वविद्यालय -परीक्षाओं के असफल उम्मीदवार .	१६००
१११६	बरेली-शाहजहानपुर क्षेत्र में तलछट-चट्टान का सर्वेक्षण .	१६००
१११७	झील कुरंजा में झोंपड़ियों को क्षति .	१६०१
सभा पटल पर रखे गये पत्र		१६०१–१६०२
अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत दिनांक ८ अगस्त, १९५९ को अधिसूचना संख्या जा० एस० आर० ९०८ और ९०९ की एक-एक प्रति .		
राज्य सभा से सन्देश		१६०३
सचिव ने राज्य सभा से प्राप्त तीन सन्देशों की सूचना दी कि राज्य सभा ने अपनी १७ अगस्त, १९५९ को बैठक में निम्नलिखित विधेयकों को बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है :—		
(१) सड़क परिवहन निगम (संशोधन) विधेयक, १९५९, जो लोक-सभा द्वारा ३ अगस्त, १९५९ को पारित किया गया था ।		
(२) भारत का राज्य बैंक (संशोधन) विधेयक, १९५९, जो लोक-सभा द्वारा ११ अगस्त, १९५९ को पारित किया गया था ।		
(३) बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक, १९५९, जो लोक-सभा द्वारा १२ अगस्त, १९५९ को पारित किया गया था ।		
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित—		
सैंतालीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया		१६०३

विषय पृष्ठ

याचिका का उपस्थापन १६०३

श्री न० रा० मुनिस्वामी ने आन्ध्र प्रदेश तथा मद्रास (सीमाओं में परिवर्तन) विधेयक, १९५९ के बारे में एक याचिकाकार द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित की।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना १६०३–०४

श्री रघुनाथ सिंह ने दिल्ली में हुये दो बम विस्फोटों की ओर, जिनमें से एक १० अगस्त, १९५९ को चांदनी चौक के निकट हुआ था, जिसके फलस्वरूप ८ व्यक्ति घायल हो गये थे और दूसरा १४ अगस्त, १९५९ को जामा मस्जिद के निकट हुआ था, जिसके फलस्वरूप एक व्यक्ति मारा गया था, गृह-कार्य मंत्री का ध्यान दिलाया।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) ने उस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया।

संकल्प विचाराधीन १६०४–४६

केरल सम्बन्धी उद्घोषणा के बारे में संकल्प पर अग्रेतर चर्चा आरम्भ हुई। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

गुरुवार, २० अगस्त, १९५९। २९ श्रावण, १८८१ (शक) के लिये कार्यावलि––

केरल सम्बन्धी उद्घोषणा के बारे में संकल्प पर अग्रेतर चर्चा और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग विधेयक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा बैंक (संशोधन) विधेयक पर विचार करना तथा उन्हें पारित करना